C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXXI, Thirteenth Session, 2013/1934 (Saka)
No. 2, Friday, February 22, 2013/Phalguna 03, 1934 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE SPEAKER	2
Death of several persons and injuries to many others in two bomb blasts in Hyderabad, Andhra Pradesh	
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 1 to 20	4-105
Unstarred Question Nos.1 to 230	106-683

*Due to continuous interruptions in the House Starrred Questions could not be taken up for oral answers. Therefore, these Starred Questions were treated as Unstarred Questions.

PAPERS LAID ON THE TABLE 684-686

RESIGNATION BY MEMBERS 687

ASSENT TO BILLS 688

SUBMISSION BY MEMBERS
Re:death of several persons in two bomb blasts in Hyderabad, Andhra Pradesh 689-712

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
44th Report 713

STATEMENT BY MINISTER
Two bomb blasts in Hyderabad, Andhra Pradesh

Shri Sushilkumar Shinde 722-728

PRIVATE MEMBERS' BILLS - INTRODUCED 729-737

(i) Old Age Pension Bill,2012
By Shri Basu Deb Acharia 729

(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2012
(Amendment of Article 72)
By Shri Anant Gangaram Geete 730

(iii) Environment Protection (Control of Non-Biodegradable Garbage) Bill, 2013
By Shri. Mahendrasinh P. Chauhan 730

(iv) Electronic Waste (Handling and Disposal) Bill, 2013
By Shri. Mahendrasinh P. Chauhan 731

(v) Removal of Homelessness Bill, 2013
By Shri. Mahendrasinh P. Chauhan 731

(vi) Indecent or Surrogate Advertisements and Remix Songs (Prohibition) Bill, 2013
By Shri. Mahendrasinh P. Chauhan 732

(vii) Indian Forest (Amendment) Bill (Amendment of Section 2), 2013
By Shri Prem Das Rai 733

(viii)Agricultural Workers (Employment, Conditions of Service and Welfare) Bill, 2013
By Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure 733

(ix) Abolition of Child Labour Bill, 2013
By Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure 733

(x) National Commission for Youth Bill, 2013
By Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure 734

(xi) Hindu Succession (Amendment) Bill, 2013 (Amendment of sections 3 and 15)
By Shri Anurag Singh Thakur 734

(xii) Information Technology (Amendment) Bill, 2013 (Amendment of section 2, etc.)
By Shri Baijayant Panda 735

(xiii) Bihar Reorganisation (Amendment) Bill, 2013 (Amendment of the Eighth Schedule)
By Shri Nishikant Dubey 735

(xiv) Prevention of Female Infanticide Bill, 2013
By Shri Rakesh Singh 736

(xv) Computer Training Centres (Regulation) Bill,2013
By Shri Rakesh Singh 736

(xvi) Special Financial Assistance to the State of Madhya Pradesh Bill, 2013
By Shri Rakesh Singh 737

PROVISION OF SOCIAL SECURITY TO SENIOR CITIZENS BILL,2010 738-776

Shri Arjun Ram Meghwal 738-741

Chaudhry Lal Singh 742-750

Shri Mangani Lal Mandal 751-755

Shri Bhartruhari Mahtab 756-761

Shri Vijay Bahadur Singh 762-768

Shri Manohar Tirkey 769-770

Shri P. Balram Naik 771-772

Shri Jai Prakash Agarwal 773-776

Bill Withdrawn 776

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL,2010
(Amendment of Section 2, etc.) 777-786

Motion to Consider 777

Shri Hansraj G. Ahir 777-781

Chaudhary Lal Singh 782-785

Shri Arjun Ram Meghwal 786

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 805

Member-wise Index to Unstarred Questions 806-810

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 811

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 812

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, February 22, 2013/Phalguna 03, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER
Death of several persons and injuries to many others in two bomb blasts in Hyderabad, Andhra Pradesh

MADAM SPEAKER: Hon. Members, as you are aware, several persons were killed and a large number were injured in two bomb blasts in Hyderabad, Andhra Pradesh yesterday.

The House unequivocally condemns this barbaric and cowardly act of terrorism.

The House expresses its profound sorrow on this tragic incident which has brought pain and suffering to the affected families.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

11.01hrs

The Members then stood in silence for a short while.

___

MADAM SPEAKER: Question Hour.

… (*Interruptions*)

11.02 hrs

At this stage, Shri Adhi Sankar, Shri P. Kumar, Shri P. Karunakaran, Shri Venugopala Reddy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)[*] ...

MADAM SPEAKER: Shri Baalu, I will call you in 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Kindly go back to your seats.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 Noon.

11.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

[*] Not recorded.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 2, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): I beg to lay on the Table a copy of the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Regulations, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. 14-3/69(98)/Coordination Cell/Estt. I in Gazette of India dated 29th November, 2012 under sub-section (3) of Section 29 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

(Placed in Library. See No. LT 8384/15/13)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): On behalf of Shri Sushil Kumar Shinde, I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Proclamation (Hindi and English versions) dated 18th January, 2013 issued by the President under clause (1) of article 356 of the Constitution in relation to the State of Jharkhand published in Notification No. G.S.R. 27(E) in Gazette of India dated 18th January, 2013 under article 356 (3) of the Constitution.

(ii) A copy of the Order (Hindi and English versions) dated 18th January, 2013 made by the President in pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the above Proclamation published in Notification No. G.S.R. 28(E) in Gazette of India dated 18th January, 2013.

(Placed in Library. See No. LT 8385/15/13)

(2) A copy each of the Report (Hindi and English versions) of the Governor of Jharkhand dated 8th January, 2013 and 12th January, 2013.

(Placed in Library. See No. LT 8386/15/13)

(3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 (No. 3 of 2013).

(Placed in Library. See No. LT 8387/15/13)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) under article 123(2)(a) of the Constitution:-

(1) The Securities and Exchange Board of India (Amendment) Ordinance, 2013 (No. 1 of 2013) promulgated by the President on 21st January, 2013.

(Placed in Library. See No. LT 8388/15/13)

(2) The Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies Ordinance, 2013 (No. 2 of 2013) promulgated by the President on 30th January, 2013.

(Placed in Library. See No. LT 8389/15/13)

(3)The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 (No. 3 of 2013) promulgated by the President on 3rd February, 2013.

(Placed in Library. See No. LT 8390/15/13)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): On behalf of Shri S.S. Palanimanickam, I beg to lay on the Table:--

(1) A copy of the Consolidated Report (Hindi and English versions) on the working of Public Sector Banks as on 31st March, 2012.

(Placed in Library. See No. LT 8391/15/13)

(2) A copy of Notification No. S.O. 31(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 2nd January, 2013, containing Presidential Order constituting the Fourteenth Finance Commission under article 280 of the Constitution and of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951.

(Placed in Library. See No. LT 8392/15/13)

<u>12.02 hrs</u>

RESIGNATION BY MEMBERS

MADAM SPEAKER: The House will now take up Item No. 5-A.

I have to inform the House that the following Members have resigned from the membership of Lok Sabha:--

(i) Shri Virbhadra Singh, elected Member from the Mandi Parliamentary constituency of Himachal Pradesh *vide* his letter dated 1st January, 2013 submitted his resignation. I have accepted his resignation with effect from 1st January, 2013.

(ii) Shri Vitthalbhai Hansrajbhai Radadiya, elected Member from the Porbandar Parliamentary constituency of Gujarat *vide* his letter dated 3rd January, 2013 submitted his resignation. I have accepted his resignation with effect from 3rd January, 2013.

12.03 hrs

ASSENT TO BILLS

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I beg to lay on the Table the following two Bills passed by the the Houses of Parliament during the Twelfth Session of Fifteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 23rd November, 2012:--

1. The Appropriation (No. 4) Bill, 2012; and
2. The Constitution (Ninety-eighth Amendment) Bill, 2012.

I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary-General, Rajya Sabha, of the following five Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:--

1. The North-Eastern Areas (Reorganisation) Amendment Bill, 2012;
2. The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2012;
3. The Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2012;
4. The Unlawful Activities (Amendmnt) Bill, 2012; and
5. The Banking Laws (Amendment) Bill, 2012.

12.03 ½hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re : Death of several persons in two bomb blasts in Hyderabad, Andhra Pradesh

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ये हैदराबाद बम ब्लॉस्ट पर ही बोल रहे हैं।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I have also given a notice on bomb blast in Hyderabad. … (*Interruptions*)

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं सब को बुलाऊंगी।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ये टेरेरिज़्म पर ही बोल रहे हैं, मैंने टेरेरिज़्म पर बोलने के लिए इनको खड़ा किया है।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let the hon. Minister speak.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH): Before the hon. Members speak on this issue which is obviously very important, I would like to inform the House, through you, that the Union Home Minister, along with the Home Secretary and the Director-General of the National Investigation Agency, left early morning for Hyderabad to review the situation of the blast. He has just returned or is returning shortly and he will make a Statement in the Lok Sabha at 2 p.m. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: मैं सब को बुला लूंगी।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ये सीरियल बम ब्लॉस्ट पर बोल रहे हैं। इन्हें बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हम उसी विषय पर बुला रहे हैं, ये जो बम विस्फोट हुआ है। हम सब को बुला लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हम सब को बुला रहे हैं। शून्य-प्रहर और एडजर्नमेंट मोशन, सीरियल बम ब्लॉस्ट पर बोलने के लिए इनका नाम है, इसलिए हमने इनको खड़ा कर दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम आपको बुला लेंगे, अभी उनको बोलने के लिए खड़ा कर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बासुदेव आचार्य जी, नेता प्रतिपक्ष पहले बोलना चाह रही हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, सबको दो-दो मिनट बोलने का समय दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, आप बोलिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज सदन के शुरू होते ही आपने पीठ से उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जो कल के हैदराबाद बम विस्फोट में मारे गये थे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, बेहद दर्दनाक और शर्मनाक भी है। मेरी जानकारी के अनुसार 14 लोगों की मौत हो गयी है, 119 लोग घायल हैं, जिनमें से 7 की हालत अत्यंत चिंताजनक है।

अध्यक्ष जी, ऐसे प्रसंग एक-दूसरे पर दोषारोपण करने का अवसर नहीं देते, बल्कि एकजुट होकर दृढ़-संकल्पित होकर आतंक का सामना करने का अवसर देते हैं। लेकिन वह सामना करना तभी संभव है, जब हमारी सोच में आतंक से लड़ने की समानता हो। मुझे केवल दुःख इस बात का है कि देश में एक सम-सोच, एक समान सोच आतंक से लड़ने की नहीं बन रही है। बहुत बार आतंकवादियों के मानवाधिकारों की पैरवी करते हुए हम उनके खिलाफ नरमी बरतने की बात करते हैं, बहुत बार केन्द्र सरकार केवल यह जानकारी देकर राज्य सरकार को कि आपके यहां ऐसा हो सकता है, अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेती है। जैसा कि इस केस में भी हुआ है, स्वयं गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि हमने जानकारी दी थी। पहले भी बहुत बार यह हुआ कि केन्द्र सरकार यह कहती है कि हमने जानकारी दी थी, लेकिन अगर जानकारी होने के बाद भी घटना घटती है तो दोष दो गुना हो जाता है। अगर जानकारी दी थी तो केन्द्र सरकार क्या कर रही थी, राज्य सरकार क्या कर रही थी, अगर जानकारी के बावजूद और यह जानकारी के बावजूद कि वहां रेकी हुई थी, आतंकवादी अपना काम करने में सफल हो जाते हैं, निर्दोष लोगों को मारने में सफल हो जाते

हैं तो क्या हम केवल जानकारी देकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं, जो हर बार जब आतंकवादी घटना होती है तो सामने खड़े होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आतंकवाद से लड़ने की एक समान सोच देश में तैयार हो जाये और हम सब यह समझ लें कि आतंक को किसी मजहब की दृष्टि से नहीं देखना है, आपस में बंटना नहीं है, बल्कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई रंग नहीं होता, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है; यह सोचकर पूरा का पूरा देश इकट्ठा होकर इसका सामना करने लगे तो जो हम ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं और उन लोगों से लड़ने की बात करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अन्य देशों को साथ लेने की बात करते हैं, उससे पहले देश को एक होना होगा। उससे पहले देश के तमाम राजनैतिक दलों को एक होना होगा और अगर वे अपनी एक समान सोच बना लेंगे तो इस आतंकवाद से लड़ने में हम सफल हो सकेंगे। हम इंतजार कर रहे थे कि शायद आज सदन शुरू होने से पहले गृह मंत्री आयेंगे और वे तथ्यों से हमें अवगत करायेंगे और क्या उन्होंने किया है और क्या अब तक की जानकारी है, सदन को इसकी जानकारी मिलेगी। जैसा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि वे अभी तक पहुंचे नहीं हैं और दो बजे वह इसका जवाब यहां देंगे तो मुझे लगता है कि प्रारम्भिक बात मुझे आज जो कहनी थी, वह कही है। दो बजे जब उनका जवाब आयेगा तब हम उसकी जानकारी के आधार पर अपनी आगे की बात रखेंगे और दो बजे आप इसी विषय को लें, यह मैं आपसे अनुरोध करूंगी। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री बसुदेव आचार्य।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको बुला लेंगे। अभी इनको बोलने के लिए खड़ा कर दिया है, आपको इनके बाद बुला लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम सबको बुला लेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, another unfortunate incident has taken place yesterday in Dilsukhnagar of Hyderabad city. The place which has been selected for serial bomb blast is a mini Andhra Pradesh where more than 20 lakh people reside. इस जगह को बम ब्लास्ट के लिए चुना है। पहले भी तीन घटनायें घटी थीं।

In the city of Hyderabad there had been three serious bomb blasts in the past. I heard the statement of the Home Minister yesterday. He stated yesterday immediately after the incident that State Governments were informed that such incidents might take place and the Home Ministry had alerted the State Governments. That means, the Central Government was aware that such incidents would take place in some parts of our country. If State Governments were alerted, if State Governments were informed, if the Government of Andhra Pradesh was informed, if the Government of Andhra Pradesh was aware that such incidents or such bomb blasts would take place in the city of Hyderabad, then I would like to know why no action was taken by the State Government to prevent the occurrence of such an incident. As a result of this bomb blast, about 15 persons died and more than 100 persons are injured and out of 120 persons who are injured, the condition of many of them is very critical. So, the number of victims is likely to increase, it will not be limited to only 15. So, it is a very serious incident.

The Home Minister will come and make a statement at 2 o'clock and then we will be able to know what are the factors behind this incident, who were responsible etc. We are told that National Counter Terrorism Centre was set up in many parts of the country. I would like to know what that centre was doing. I would also like to know whether it was an intelligence failure. Every time when such an incident takes place, we are told that it is an intelligence failure. What is the reason for such intelligence failure? यह हम लोग जानना चाहेंगे। मंत्री जी जब आएंगे तो बयान देंगे कि इसके पीछे क्या कारण था? गृह मंत्रालय को इसके बारे में जानकारी थी जो कल बताया है तो क्यों जानकारी के बावजूद इतता बड़ा हादसा हैदराबाद शहर में हुआ। यह हम जानना चाहते हैं। Terrorism has no colour or religion and we will have to fight terrorism unitedlly without dividing the people of our country. Then only we will be able to overcome this menace.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, हैदराबाद में हुआ बम धमाका बहुत ही गंभीर और यह देश के लिए बहुत ही दुखद घटना हुई है। सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है और दुःख भी है कि सरकार को इसकी सूचना थी। सरकार ने स्वीकार भी किया कि प्रत्येक राज्य को एलर्ट कर दिया गया है, उसके बावजूद भी वे विस्फोट करने में कामयाब हुए, जिसमें अभी तक 13 लोगों के मरने की खबर है, किसी खबर में 14 लोग, किसी खबर में 15 लोग और किसी खबर में 19 लोग घायल हैं। अभी तक कुल 83 लोग घायल हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और भी लोगों की मौत हो सकती है। धन-जन का नुकसान हुआ है। हम लोगों को यह पता है कि इस बात से देश को खतरा है। आसपास कुछ ऐसा माहौल है, हमारे पड़ोसी देशों के पास, पड़ोसी देशों से, आतंकवादी जो सीमा पार कर हमारे देश में निकल आते हैं, यह सबसे गंभीर बात है।

जहां तक देश का सवाल कहा गया है, नेता विरोधी दल ने कहा है, इस मामले में पूरा देश सरकार के साथ है। पहले भी जब-जब ऐसी घटनाएं हुई हैं, तब-तब सरकार को भी आश्वस्त किया गया। पूरे देश ने पहले भी प्रस्ताव पास किया है, लोक सभा में प्रस्ताव पास किया गया है। पूरा देश साथ है, पूरा सदन साथ है, फिर सरकार बताए कि उसकी क्या कमजोरी है। हिम्मत के साथ, साहस के साथ, हमारी बहादुर फौज है, सब कुछ है। आपकी इंटेलीजेंस है, रॉ भी है, और अन्य एजेंसियां हैं। पूरी खबर होने के बाद घटना हो जाए तो देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है? देश का बचाव कैसे हो सकता है? यह सरकार को बताना चाहिए? आज सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन पूरे देश के लोग एक साथ हैं, पूरी जनता साथ है, पूरा सदन साथ है। लोक सभा में एक बार नहीं बल्कि कई बार संकल्प किए जा चुके हैं। चीन की लड़ाई से लेकर लगातार कई बार ऐसे मौके आए जब पूरा देश, पूरी सल्तनत साथ खड़ी हुई है। फिर सरकार की क्या कमजोरी है, क्या खामियां हैं, कैसे गलती होती है। जब विस्फोट हो गया, हत्याएं हो गईं तो इसका असर पूरे देश में होता है। रास्ता चलते, रेलगाड़ियों, जहाज से चलते, चाहे साइकिल से चलें, चाहे पैदल चलें, चाहे खेत में काम करें, हिन्दुस्तान के सब लोग आज दहशत में हैं। आज सरकार को ऐसा कोई आश्वासन देना चाहिए कि देश में कोई भयभीत न हो। अगर पूरा देश भयभीत होगा तो उसकी क्या हालत होगी। हमारे व्यापार से लेकर, कल विदेश नीति पर राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ। आपकी विदेश नीति क्या है? इसमें आपका साथ कौन देंगे। यह सही है कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ सब देश एक साथ नहीं हो सकते लेकिन कुछ देश हो सकते हैं। क्या इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है? अगर प्रयास किया है तो आपके साथ कौन-कौन से देश आए हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे।

यह ठीक है कि गृह मंत्री जी वहां गए हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास जो भी जानकारी है, वह तत्काल बतानी चाहिए। देश की जनता दहशत में है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आपके पास जो भी रिपोर्ट है, सूचना है वह सदन को बताइए। संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी गृह मंत्री जी के साथ बात हुई होगी। आप देश और इन घटनाओं के बारे में अच्छी तरह समझते हैं, जानते भी हैं। आपको अनुभव है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी से बात नहीं हुई होगी।...(व्यवधान) कुछ न कुछ बात तो हुई है। आपने क्या रणनीति अपनाई है? आप विस्तार से बताएंगे कि यह नुकसान हुआ, वह नुकसान हुआ, लेकिन आपकी असली नीति क्या है। नीति बनाने वाले प्रधान मंत्री जी हैं, आपका मंत्रिमंडल है। अगर हो सके तो आधे घंटे के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए। क्या नीति है, वह बताइए। यह मुश्किल काम नहीं है, यह खतरनाक है।...(व्यवधान) हमारा इतना विशाल देश, इतनी बहादुर सेना सब साथ खड़े हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष तथा पूरा सदन एक साथ है, फिर आपको कहां परेशानी है, क्या बाधाएं हैं जो आतंकवादियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। संसदीय कार्य मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इस बारे में अभी कुछ न कुछ जरूर सदन को बताना चाहिए।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैदराबाद में हुई आतंकी घटना की निंदा करते हैं और उसमें जो लोग मारे गये हैं, उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदया, इस बात से सवाल जरूर पैदा होता है कि गृह मंत्री जी का यह बयान कि दो दिन पहले इसकी सूचना थी, तो पूर्व की सूचना के बाद यह शंका कि इस तरह की घटना घट सकती है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। गृह मंत्री जी वहां से आने के बाद इस सदन और देश को बतायें कि उनके पास कौन सी तकनीक है। अगर अचानक कोई घटना घटती, तो बात लोगों की समक्ष में आती कि किसी को सूचना नहीं थी। लेकिन हमें पूर्व सूचना थी, यह गृह मंत्री जी का बयान है। उसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार को किस तरह से अलर्ट किया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार इसमें क्या कर रहा था? उसके बाद जो इस तरह से घटना घटी है, तो निश्चित रूप से देश के सामने एक आशंका पैदा होती है कि भारत सरकार के पास कौन सी तकनीक है। ये कितने दिन पहले सूचना मिलने से अलर्ट हो सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं, इस तरीके की घटना को रोकने में समर्थ हो सकते हैं? इसलिए मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी वापस आने के बाद इस पर जरूर जवाब दें कि कहां चूक हुई। मैं यह भी जरूर चाहता हूं कि इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं, उनको पनिशमैंट मिलना चाहिए और इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गलत लोग साजिश का शिकार न हो जायें, क्योंकि इससे लोगों में गलत मैसेज जाता है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, सभी साथियों ने अभी जो बात कही है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं कल गृह मंत्री जी का बयान देख रहा था। जानकारी है कि अभी तक वहां 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ सूचनाएं मिल रही हैं और घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। हम सब लोग खड़े होकर निंदा ही नहीं करते, बल्कि हर तरफ से सहयोग देने का भी वचन देते हैं। मैं मानता हूं कि यह सरकार लुंज-पुंज है। जैसे सब साथियों ने कहा कि आपका इंटेलीजैंस और सरकार का जो संयुक्त संकल्प होता है, वह कहीं जाहिर नहीं होता। अफजल गुरू को फांसी हुई। देश भर के लोगों को कई दिनों से इस बात पर वेदना थी कि सारी अदालतों के फैसला देने के बाद भी हम वक्त पर ठीक काम नहीं कर पाते। हमने किया, मुझे गलत न समझा जाये, लेकिन जब हम कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, तो उसके परिवार को सूचना देने में आप जिस तरह का तरीका अपनाते हैं, आप जानते हैं कि हर इलाके में अलग-अलग सेंटीमेंट्स होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। बेअंत सिंह पंजाब के मुख्य मंत्री थे। उनके कातिल को फांसी देने की बाबत जब बात उठती है, तो कुछ इलाके में संवेदनाएं अलग हो जाती हैं क्योंकि यह बड़ा देश है। ऐसा नहीं कि हम उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं। सब जगह होती हैं। ...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): इलाके से बड़ा देश होता है। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं समझ गया । ...(व्यवधान)

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): शरद जी, आप क्या कह रहे हैं, हम लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : कोई कन्फ्यूज करने की बात नहीं है। मेरा यह कहना है कि जो कानून है, वह सबके लिए बराबर होना चाहिए। ...(व्यवधान) आपने अकारण ही एक कानून के अंतर्गत ठीक काम किया। उस ठीक काम को सम्पन्न करने के लिए आप उसके परिवार को कैसे सूचना दे रहे हैं? ...(व्यवधान) देरी की। ...(व्यवधान) 9 साल लगाए।...(व्यवधान) इसके बाद भी आप ठीक तरीके से नहीं कर पाए। क्यों उसके परिवार को नहीं बुलाया? क्यों नहीं उनको खबर दी? फिर इसी बात को ख्याल में रखकर पूरे देश भर में आपने एलर्ट जारी कर दिया। इनका एलर्ट गजब है। एलर्ट कर देते हैं। एक पत्र लिखा दिया - तैयार रहो, सतर्क रहो। देश में आज तक मुझे नहीं पता चला कि कब सतर्क रहे हैं? सतर्क करने से क्या चीज बन जाएगी भई? क्या आतंकवादी आपको बता देगा कि इस जगह जाने वाला है, इस वक्त पर जाने वाला है? कल कह रहे थे कि हमने तो खबर कर दी है, तो क्या करेगी राज्य सरकार? कहां का एलर्ट रहेगा? हमारी हालत है आपको मालूम? क्या पुलिस है, क्या हमारा इंटेलिजेंस है? बिल्कुल लुंज-पुंज है। यह जो सरकार है, इसका कोई इकबाल ही नहीं है, न भीतर है, न बाहर है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। अब समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव : सुषमा जी ने बयान मांगा है, ये बयान दे देंगे। हर बार बम ब्लास्ट होगा, लोग मरेंगे, फिर ये बयान दे देंगे।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): जांच के बाद बहस होनी चाहिए।

श्री शरद यादव : बहस क्या होगी, बहस तो हम लोगों ने कर ली, माथा मार लिया अपना। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग आपस में बात मत कीजिए, बहुत गंभीर विषय पर बात हो रही है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, इसलिए आपके माध्यम से मेरी विनती यह है कि जो चीजें हमको मालूम हैं, कृपया उनके जैसी या उन्हीं को दोहराने का काम न करें। अगर कोई ठोस बात इनके पास है, तो उसको बताएं। इन्होंने पूरे देशभर में एलर्ट किया था, वह किस मानसिकता से किया था? वह खबर क्या थी? उस खबर का क्या स्रोत था? इतना बड़ा देश है। यह बयान तो आए, लेकिन यह बयान हम बार-बार सुन चुके हैं, देश बेचैन है। इस तरह की मार-काट बंद होनी चाहिए। इसके लिए कल संकल्प के साथ आप ठीक बयान दें। सभी लोगों ने कहा है कि सहयोग करने को तैयार हैं, आप बताइए कि क्या सहयोग करना है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, आपकी बात समाप्त हो गयी?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। इन्हीं बातों के साथ मेरी आपसे विनती है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है। यह बहुत गंभीर विषय है।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मेरी विनती है कि इनका बयान रुटीन नहीं होना चाहिए, वह तोता रटन्त नहीं होना चाहिए। ठीक बात बताई जाए हमको।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। धन्यवाद। श्री सुदीप बंदोपाध्याय ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, yesterday's incident in Hyderabad was really a barbaric, cowardice, as you have mentioned, a heinous and a shameful incident, which we strongly condemn. What it appears is

that the Government of India possibly was over-confident that such type of incidents will not occur anywhere in India any further more. Yesterday, the hon. President in his speech implied that there were no possibilities. This was mentioned in President's speech that we are still concerned about the terrorist threat which may occur in our country. So, what we feel is that we are going to be sandwiched between terrorist attack on one side and Maoists attack on the other side.

We face this type of Maoist activities in our State of Bengal. You will be glad to know that now it is at zero level. The Chief Minister's tremendous style of functioning has made Maoist activities in Bengal at zero level. What I would like to mention or would suggest that when Advaniji was the Home Minister, he used to make us convinced as to how Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba and other terrorist outfits were functioning. We have heard that Indian Mujahideen has now stationed in Hyderabad and they are trying to operate it. So, if we take these incidents seriously, we should be more cautious. I fully believe that India is a country where the people are firm believers of the principles of remaining united at the time of crisis.

All the political parties are united in standing behind the Government, and we will extend our full support to whatever measures the Government wishes to take in this regard. Equally the Government will have to rise to the occasion with firm attitude and should give a feeling to the common people that the Government is functioning properly with positive outlook and with managerial efficiency.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): मैडम, हम उस राज्य से आते हैं, जहां यह घटना घटी है, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन शोर न करें। इतनी दुखद घटना घटी है, उस पर बात कर रहे हैं इसलिए कृपया शांतिपूर्वक सदन चलाने दें और बैठ जाएं।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते जयः।
हर्षामर्ष भयोद्वेगः मुक्तो, यस्यसः च मे प्रियः।।

यह हमारी फिलासफी है, जो दुनिया में किसी से डरता न हो और दुनिया में कोई भी इससे डरता न हो, वही हमें सबसे प्यारा है, यह बात भगवान श्रीकृष्ण ने कही है। हम किसी को डराना नहीं चाहते हैं और हम किसी से डरना भी नहीं चाहते हैं। मगर ऐसा हो गया कि डराना ही एक फिलॉसफी बन गई है। आतंकवाद कुछ नहीं है, लोगों को डराना ही उनका फिलॉसफी है। इससे लड़ने के लिए हम सबको एक होना चाहिए, सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को एक होना चाहिए। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि जिसे सजा मिली वह हीरो बन रहा है, जिसने गलत काम किया, उसे हीरो बनाने की कोशिश जारी है। जिन्होंने देश के लिए प्राण दे दिए, जैसे कल हैदराबाद में हुआ, उन लोगों का कोई खयाल ही नहीं हो रहा है। कल की घटना में हैदराबाद में जिनकी भी मृत्यु हुई, हमने अखबारों में पढ़ा कि एक आदमी का बेटा आईआईटी खडगपुर में पढ़ता है, उसे फोन करते-करते ब्लास्ट हो गया। बेटा पूछने लगा कि बाबा, क्या हुआ, पिता जी क्या हुआ। इसी तरह दो लोग पुलिस की ट्रेनिंग लेकर एसआई बनकर जॉइन करने वाले थे और वहां कुछ चाट या खाना खाने आए थे, वे दोनों भी मारे गए।

मैडम, मैं समझता हूं कि जो लोग कल के बम ब्लास्ट्स में मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को यह सम्मान मिलना चाहिए कि ये देश के लिए मरे। हमारे देश के खिलाफ जो लड़ने आए हैं, उनसे लड़कर इन्होंने अपने प्राण दिए हैं। इसलिए उनके परिवार वालों को वही सम्मान मिलना चाहिए जो फ्रंटियर में फाइट करते हुए जवान मारे जाते हैं। जैसी केयर उन जवानों की फैमिली की होती है, वैसी ही केयर इन लोगों के परिवारों की हो जो आतंकवादियों के हाथों मारे जाते हैं। वे लोग देश की खातिर शहीद हो गए हैं। वे शत्रु से लड़ते हुए नहीं मरे, देश के शत्रुओं ने उन्हें मार दिया। आतंकवादी यह समझते हैं कि इस तरह मासूम लोगों को मारने से हम इस देश में घबराहट पैदा कर देंगे, इस देश को डरा देंगे, लेकिन वह कभी नहीं होगा। जो लोग इस घटना में मरे हैं, वे देश के लिए अमर हो गए हैं, उनकी फैमिलीज को ऐसा मैसेज हमें देना चाहिए कि आपके परिवार वाले जो मारे गए हैं, चाहे मां-बाप हों या बच्चे हों, कोई बात नहीं पूरा भारत आपके साथ है।

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam Speaker, on behalf of my Party, I strongly condemn the dastardly act and the heinous crime committed by the terrorists. It has cost us more than 17 innocent lives, and more than 150 people have been injured in this act of terrorism.

Madam, this particular State has been subjected to such dastardly acts. Within a matter of one year, there were two such incidents. Now, this is the third incident which has taken place. A serial bomb blast has taken place yesterday.

Yesterday, our Home Minister has gone on record saying that he has already got information and the Intelligence Report was in possession. Definitely, he should have shared this information with other States, especially with Andhra Pradesh when it is State specific. I do not know whether this Report has been shared with the Andhra Pradesh Police or the Andhra Pradesh administration. If it is so, with whom he has shared, and what action have they taken? We would like to know why the Government of India has not taken preventive action. The Home Ministry should have joined with the State Police Force so that joint action would have been taken. All these things should be made clear when the Home Minister comes before this House; and we should have a proper statement in the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, on behalf of my party, I strongly condemn the dastardly act, which happened in Hyderabad in Dilsukh Nagar. It is a cowardly act perpetrated by the enemy of this country.

I would also mention here that just 100 metres to 150 metres away from the Sai Temple, the first bomb blast had taken place. Yesterday was Thursday; and there was a large number of devotees who had congregated near the Sai Temple. On an earlier occasion, a bomb blast had taken place near the Sai Temple. As far as I am given to understand – I am sure, the Home Minister is going to make a statement at 2 o'clock today – that the target was the devotees of the Sai Temple of Dilsukh Nagar. Just 10 minutes before this bomb blast had taken place, the DGP had visited the Sai Temple. I am not aware whether he is a devotee of Sai Baba.… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): He was the Police Commissioner and not the DGP.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am told that he was the DGP.

Perhaps the cycle borne terrorist noticing the frequent movement of the police force in and around the Sai Temple had panicked and left that cycle just 100 metres or 150 metres away from the Sai Temple. My only view, which I want to mention here, is that by the statement of the hon. Home Minister, he has given

the credit to the intelligence agency. The intelligence agency was aware about that incident as to what is going to happen. That information must have passed on to the police force of Andhra Pradesh. We would be eager to know from the Home Minister to find out where is the disconnect between the intelligence and the police force.

Invariably, we have been discussing in different forums that just one incident of 9/11 in the United States has totally controlled the terrorist activities in the United States. After two or three incidents in the UK, there is no further terrorist activity in Britain. But why is it that in our country, year after year, such incidents go on happening? That is why the leaders cutting across party line stand here and say: "Whatever endeavour the Government wants to take, we will be with it." Where is the problem today and why are we unable to control terrorism? Why can we not pre-empt the terrorist activities in our country? What more needs to be done?

I believe that there is a need to have proper dissemination of information that trickles down to the intelligence agencies from various quarters; and I hope that the incident that occurred last evening was not an instant decision of the terrorist organizations. They must have prepared themselves two or three days before. Certain information must have passed through different channels which must have been tapped by our intelligence agencies. We would be educated if the Government comes out with full details of those information.

I would also be obliged if the Home Minister stands up in this House and says, how far was the headquarters of disbanded SIMI organization from that place of the incident. There are a number of other organizations in this country, which are anti-India. They want this country to be poor and weak.

One message that should go from this House should be loud and clear that we are one in fighting against terror.

MADAM SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi is allowed to associate with the matter raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, yesterday's incident that took place in Hyderabad is a very sad one. This morning itself you mentioned about it in the House in the Obituary.

Madam, India is the very biggest democratic country in the world. There is a conspiracy to destabilize our system. That is what is happening. The terrorism acts go like that. We know that this type of incidents is taking place continuously for many years. We have been seeing that. Even though the law and order is a State subject, the Centre cannot keep away its responsibility. It has to play a vital role because many incidents are taking place and all the State Governments may not have that kind of information. The Centre alone can feed the information to the State Governments.

Yesterday, even the Home Minister said that he had passed on the message to the State Government. I do not know whether it is a routine message he has sent or he has sent any specific message to the Government of Andhra Pradesh that this incident is going to take place. Then, where is the lapse? Why the Government failed? We do not know. Therefore, instead of giving routine statements, the Home Minister must give a clear statement about what actually happened.

Madam, we know that terrorism is a very big issue in the country. At the same time, what is the responsibility that we are taking? I know saving the human lives, lives of the citizens is the prime responsibility of the Government, not only of the State Government but also of the Central Government. We are elected to protect the lives of the human beings of this country. That is what the Kings did it. That is the prime duty. After the Defence Ministry, we have to deal with the Home Ministry. What sort of allocation are we giving to the Home Ministry? In many of the debates on the Home Ministry, I had requested the Government to consider and see that it has allocated more money to modernize our police force, and also requested the Government to give more money to the State Governments. Without that, how can you improve the intelligence agencies? It is because intelligence is very important. Without that, this kind of incidents takes place. If intelligence fails,

then they cannot do anything. Therefore, in order to increase the efficiency of the intelligence agencies, we have to recruit good persons with caliber. For that, the Government has to come forward with a good scheme. That is why, because of the failure of intelligence agencies, this kind of incidents is taking place.

Yesterday, 15 persons died in Hyderabad. That is what the Home Minister said. Madam, 64 persons are in serious conditions. If this continues like that, then we are shirking our responsibility. Therefore, we want to see that terrorism must be controlled and removed from this country. Also, the Centre must come forward to give more and sufficient funds to all the State Governments and also pass on the intelligence inputs to the State Governments in advance and see that this kind of incidents does not take place.

Therefore, on behalf of my Party, I strongly condemn the incident that took place in Hyderabad. We also sympathize with the people who lost their lives and suffered injuries.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, कल हैदराबाद में आतंकवादियों द्वारा 15 लोगों की हत्या की गई है और सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं। मैं इस घटना की कडे शब्दों में निंदा करता हूं। हमारे गृह मंत्री जी ने घटना घटते ही बयान दिया कि हमने दो दिन पहले ही आंध्र सरकार को इस बात के लिए आगाह किया था। अब सवाल यह उठता है कि यदि केंद्र सरकार को यह बात दो दिन पहले से पता थी, तो जिन स्रोतों की सहायता से उन्हें यह बात पता थी कि इस प्रकार के हमले हो सकते हैं तो भारत सरकार ने इन आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए?

यह पहली घटना नहीं है। हर बार ऐसी कोई घटना होती है और पूरे देश को अलर्ट किया जाता है। जब अफ़जल गुरु को फांसी दी गई थी तभी पूरे देश को अलर्ट किया गया था। अफ़जल गुरु को फांसी देने के बाद आतंकवादी संगठनों ने पूरे देश को धमकाया था कि हम इसका बदला लेंगे। इस बात से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरह अवगत हैं लेकिन फिर भी कल का आतंकवादी हमला हो गया। मैं आपके माध्यम से एक बात की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम कई वर्षों से आतंकवाद को झेल रहे हैं और इसकी सारी जड़ें सीमा पार हैं। हमारा देश और सरकार इस बात को जानते हैं। कई बार गृह मंत्री की ओर से सदन में बयान दिए गए हैं कि सारे आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ है। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। देश भी पूरी तरह इस बात को जानता है कि सीमा

पार से आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है। जो संगठन आतंकवादी में लिप्त हैं, वे चाहे सीमा पार के संगठन हों या देश के अंदर के संगठन हों, सबकी जानकारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को है। यदि हमें सचमुच आतंकवादी से लड़ना है तो हमें इसे भावनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा अहम है। राष्ट्र और देश की जनता की सुरक्षा किसी की भी भावनाओं से ऊपर है। यदि सचमुच आतंकवाद से लड़ना है तो इसे भावनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। भावनाओं को अलग रखते हुए आतंवाद से निपटना है। यह केवल आतंकवाद नहीं बल्कि कई वर्षों से हमारे देश के खिलाफ छिपा हुआ युद्ध है, प्रॉक्सी वार है। सारा देश इस बात को जानता है। एक के बाद एक हमले होते जा रहे हैं। हमें इसकी जड़ तक पहुंचने की आवश्यकता है। जो संगठन आतंकवाद से लिप्त हैं, चाहे वे किसी भी राज्य, प्रांत, भाषा, धर्म के हों, उनको जड़ से उखाड़ने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि जब गृह मंत्री जी दो बजे बयान दें तो वे केवल सदन को तथ्य से अवगत न कराएं बल्कि आतंकवाद से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की है और कौन से सख्त कदम उठाने वाले हैं, इसकी जानकारी भी सदन को दें।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): माननीय अध्यक्ष महोदया, कल हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ है, हम इसे स्ट्रांगली कन्डेम कर रहे हैं। हमें आज गवर्नमेंट द्वारा कही गई दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात है कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दो दिन पहले इस विषय के बारे में राज्य सरकार को बताया दिया गया था। दूसरी बात है कि मीडिया से खबर आई है कि अगस्त में उग्रवादी को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद हैदराबाद में रेकी की गई है। दिलसुख नगर, बेगमपेट और एबिट्स तीनों जगह में रेकी हुई है, छः महीने पहले जिसे अरैस्ट किया है उसने बताया है। लेकिन इसके बाद भी छः महीने से प्रापरली कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। दो दिन पहले जो बात पता चली उसे भी सीरियसली नहीं लिया गया। आज दिलसुख नगर में वारदात से दिल में सुख नहीं रहा, इससे देश को दुख हो रहा है। 2004 से पूरे देश में 30 जगह कन्टीनुअसली ब्लास्ट हो रहे हैं। असम, वाराणसी से लेकर जयपुर, गोहाटी, बैंगलूर, अहमदाबाद, दिल्ली और मुम्बई में कन्टीनुअसली 30 ब्लास्ट हुए हैं। इनमें 952 लोगों की मृत्यु हुई है और 2500 लोग घायल हुए हैं। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 2004 से कई बार ब्लास्ट हुआ है।

पुलिस कंट्रोल रूम के बगल में बम ब्लास्ट हुआ है। कल जिस जगह बम ब्लास्ट हुए हैं, उस जगह पर पहले भी टैरेरिस्ट्स ने अटैक किया है। मगर इसे हमें गवर्नमैन्ट का फेल्योर जरूर बोलना पड़ेगा। गवर्नमैन्ट की ठीक ढंग से एक व्यवस्था है,, इंटेलिजेन्स एजेन्सीज हैं, लेकिन इन सबके और स्टेट गवर्नमैन्ट, सैंट्रल गवर्नमैन्ट के फेल्योर की वजह से आज यह कांड हुआ है। देश में जब भी ऐसी कोई इंसीडेन्ट होती है तो

मैडम आप कंडोलेन्स देती हैं और हम लोग भी श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद गवर्नमैन्ट स्टेटमैन्ट देती है, लेकिन उसके बाद क्या इनवेस्टीगेशन हुआ है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रीएक्शन क्या है, आज तक यह गवर्नमैन्ट ने नहीं किया और उसी वजह से आज आतंकवाद बढ़ रहा है। अभी भी हम सब लोगों ने कहा है कि हम सब लोग इस इश्यु पर गवर्नमैन्ट का साथ देंगे। भारत एक है, टैरेरिस्ट्स को खत्म करने के लिए हम लोग सरकार के साथ हैं। लेकिन गवर्नमैन्ट इसे उतना सीरियसली नहीं ले रही है। जब इंसीडेन्ट्स होती हैं तो दो-तीन दिन इधर-उधर करेंगें और उसके बाद उसे भूल जायेंगे और अगली इंसीडेन्ट होने तक हम लोग सोते रहते हैं। उसी कारण से ये सब हो रहा है।

मैडम, आज गवर्नमैन्ट ऐसे मामलों को बहुत सीरियसली ले, हम लोग इस मामले में गवर्नमैन्ट के साथ हैं। इसके अलावा बम ब्लास्ट में जो लोग घायल हुए हैं या जिनकी डैथ्स हुई हैं, उन फैमिलीज को ठीक से कम्पैनसेशन मिले।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, three things are very important – hanging of Afzal Guru; place is Hyderabad; and the Minister is saying that we had given the warning only two days before. When Afzal Guru was hanged, everybody apprehended that terrorists will hit back. It was a common belief. Even the common people were saying this. It does not need anybody's intelligence report. It is needless to say that this apprehension was not taken seriously by the Government.

I tell you that this may not be the last blast. There may be more blasts because terrorists have been openly saying *hum revenge lenge, badla lenge*. So, it may not be the last blast; there may be more blasts. Therefore, preparedness of the intelligence wing and preparedness of the law enforcing agencies are very important.

There has been a colossal failure. We are not in the habit of hurling abuses on the Government. The Opposition should not be blamed that always we find something wrong with the Government. No. The point is, after the hanging of Afzal Guru, the whole country should have been on the alert; may not be publicly, but confidentially. And specially Hyderabad because in Hyderabad so many factors are there; I do not like to elaborate them; they are all self-explanatory.

Temples are being targeted. In Gujarat a temple was targeted. They always target a place where there is a mass mobilization on any occasion – markets and temples. We have seen this in Gujarat.

The point is that India is not a cowardly nation. Let nobody believe that if a terrorist acts, we will bow down. No. India is a great nation. We are all together. We are not to be cowed down under the spate of terrorism – wherever it may originate from. The Government knows this. It is not a question of everybody being united in the Parliament. No fool or stupid or mad in the country will say that he is in favour of terrorism. Only a terrorist can say that he is in favour of terrorism. Indian nation is united; the Government knows it. Therefore, it is not for us to repeat everyday that we are united.

We are not a cowardly nation. We know how to deal with terrorism. But, the point is why there is the repeated failure of the Government. What would the Minister say? Everything has come out on television yesterday. I have seen on TV that the police official was not corroborating that they had a warning from the Central Government. I had seen with my own eyes that the DGP did not corroborate it.

Therefore, I cannot say that terrorism has acted without sufficient warning. There was warning, but the warning was not taken note of. Therefore, I am saying let the country be prepared to face the situation; let there be proper intelligence; and let the Minister be little more serious. We are discussing this issue, but where is the Minister of Home Affairs? He should have shown this respect, at least, to the House. He will make a statement typed out by the Home Secretary. Therefore, there is a lack of seriousness.

Lastly, I agree with my friend, Shri Sharad Yadav, that while hanging Afzal Guru, his family should have been informed and his wife should have been allowed to see him. It is a gross violation of human dignity, definitely.

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): मैडम स्पीकर, कल जो शैतानी हरकत हुई है, जिसमें कई कीमती जानें चली गई हैं, कई बेगुनाहों का खून सड़क पर गिरा, ज़मीन पर गिरा, उसकी सब लोगों ने मज़म्मत की है।

हम भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इस किस्म के शैतानी वाक्यात जहां भी मुल्क में होते हैं, उसकी हम दिल से मज़म्मत करते हैं। लेकिन सिर्फ मज़म्मत करने से ही बातें नहीं चलेंगी। इसके लिए एक जामिया पॉलिसी की जरूरत है कि इस तूफ़ान का मुकाबला हम कैसे करें। उसमें कई कमियां लगती हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इंटैलिजेंस बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। एक बार एनडीए गवर्मेंट में अटल जी ने कश्मीर के बारे में अपने तमाम इंटैलिजेंस के लोगों को बुलाया। जनाब आडवाणी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने नक्शे दिखा कर कहा कि इस गली से आते हैं, उस गली से जाते हैं। उसमें बड़े रहनुमा, हमारे मुलायम साहब थे, लालू साहब थे। सबने उस पर बात की और जब हम तक बात पहुंची, छोटे आदमी पर बात पहुंची तो मैंने कहा कि ये सब गलत कह रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है। ये सरकार की आँखों में धूल झोंकते हैं। वे गलियां जहां से खतरे आ सकते हैं, मैं वहां हर जगह घूमा हूँ। लिहाज़ा ये बातें सही नहीं हैं। मुझे याद है कि बाहर निकलते हुए अटल जी ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा था कि शारिक मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। यह एक दूसरे पर इल्ज़ामात देने का मसला नहीं है, यह देश का मसला है, सभी का मसला है। सभी का मसला एक ही है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से तज़वीज करूंगा कि वे ऑल पार्टी लीडर्स की मीटिंग बुला कर सिर्फ इसी एक बात पर बात करें। इसी एक बात पर सब से मशविरा ले लें। अगर उसमें जरूरी है तो इंटैलिजेंस और दूसरे जो इस सिलसिले में टैक्नीकली एक्स्पार्ट लोगों को साथ बिठा कर खामियों का पता करें। आखिर खामियां कहां हैं? हमें क्यों पता नहीं लगता है? जब तक दहशतगर्द आ कर, बॉम्ब ब्लास्ट कर के हमारे लोगों को मार डालते हैं तब तक हमें पता क्यों नहीं लगता है? इतना मॉडर्न ज़माना है, इतनी टैक्नोलॉजी है, सड़कों पर इतने कैमरे लगे हुए हैं, इसके बावजूद यह हो रहा है। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुल्क दहशत में है। यह क्यों है? इसके वजूहात क्या हैं? इसको भी देखना पड़ेगा। क्यों यह हो रहा है? इन वजूहातों को देखना पड़ेगा और साथ-साथ उनका हल भी देखना पड़ेगा। बहरहाल यह काबिले-मज़म्मत है। जब तक इस **वबा** को खत्म न कर दिया जाए, इंसानों को यहां चैन नहीं मिल सकता है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, यह जो हैदराबाद में मानवता और देश के खिलाफ आतंकवादियों ने हमारे लोगों की जान लेने की घटना की है, देश और दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। हम सब इसकी निंदा करते हैं। मैं सदन की भावना देख रहा हूं कि यह देश एकजुट है कि आतंकवाद का मुकाबला किया जाए और उनको ध्वस्त किया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं रूक नहीं रही हैं। देशभर में आतंकवादी घटनाएं, कभी न कभी हो जाती हैं और महत्वपूर्ण स्थानों पर, जहां पर वे देश को विचलित कर सकते हैं, डरा-धमका सकते हैं, वहां पर आतंकवादी सक्रिय हैं और वे सफल हो जाते हैं।

13.00 hrs

हम उनका मुकाबला करने में और उनको पकड़ने में नाकाम हैं और उनकी बातें रसमी तौर पर क्यों हल्के ढंग से होती हैं कि हमने खबर कर दी थी। यह तो रूटीन खबर होती रहती है कि सजग रहिए, सजग रहिए, यह कोई खबर नहीं है। यह इंटेलिजेंस की फेल्योर है और यह हमारी विफलता है कि हम इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पाते हैं। इसलिए जब इतना बड़ा नैतिक बल हमारा है और देश एकजुट है, तब हम इसका मुकाबला नहीं कर पाए हैं, तो यह कमी है, इस कमी को दूर करना चाहिए। यह मेरा पहला बिंदु है। दूसरा, जो अपराध हुआ, जो घटना घटी, यह क्यों हुई? इसके कसूरवार को पकड़ लिया जाए। तीसरा, जो घायल हुए हैं, उन घायलों के पर्याप्त इलाज की व्यवस्था और जो मृतक परिवार हैं, उनको पूरी सहायता दी जाए, यही उपाय करना चाहिए। हम एकजुट हैं और आतंकवाद को हम किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकते हैं। आतंकवादी इस काम में लगे हुए हैं कि देश में अस्थिरता लायी जाए, लेकिन खुशी की बात है कि हम सब एकजुट है। इस तरह की दहशत से हमारी जनता भी विचलित नहीं होती है और मुकाबला करने के लिए तैयार है।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Madam Speaker. Many hon. Members have spoken about yesterday's incident. I condemn last evening's incident.

My humble submission to you is this. Last evening, after the incident, I came to know about the remarks and comments of our Home Minister from the Television that the State Government was informed two days back about a possible terrorist attack taking place in Hyderabad.

Madam, terrorism is a burning issue of our country. This terrorist attack, that has happened yesterday, shows the lapses of the State Government and the

lapses of the Central Government. The Central Government had informed the State Government about it two days back, but the lapses were there and hence this incident took place.

It is a very condemnable incident. Many hon. Members have expressed their views. We have strongly condemned the incident in this House, but the Government should look into the issues of the people who have died and those who have been injured. Nearly 15 people have died. Their family must be given compensation. Further, nearly 60 people have been seriously injured. Their treatment should be done by the Government.

Secondly, more than 30 such incidents took place previously. How can we check such incidents in the future? The Central Government and the Home Minister should mention about this in his Statement. I feel that a thorough message should be given to the country from this House that we are united and our nation is united irrespective of religion, etc. This is my humble submission to you.

MADAM SPEAKER: Thank you.

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Thank you, Speaker, Madam. Firstly, I would like to extend my condolences to the bereaved families.

One of my colleagues has just now spoken on the intelligence failure. One thing interesting is that in the past so many years not a single case has been detected. So, we do not know about the terrorist attacks, but once we know about it, we are not able to catch the people who are involved in the terrorist attack. So, my request to my colleagues is this. What can we do as Parliamentarians? One of the recommendations is the continuous failure of the intelligence. So, the time has come when we should make the intelligence agencies accountable to the Parliament. There is no accountability of the intelligence agencies at all. So, it is high time that all the intelligence agencies should come under the Parliament's overseeing.

The second important thing is that whenever there is a terrorist incident, there is no standard procedure for compensation. My learned colleague has said why the Parliamentarians cannot evolve a policy to ensure that every time it is not left to the discretion of State Government or different agencies to decide on compensation. We should have a standard policy for injured for treatment for job or whatever it is. But this Parliament should decide about the victims. The moment this incidence happens, everybody forgets about the victim in two years' time. It has been happening for all the thousand people who have died in the past five to six years.

So, I would request this Parliament that one has to come with the policy for all victims of terrorist crime whether it is naxal affected or not.

Second, it is very important to bring intelligence agencies under the Parliament overseeing. Otherwise, we will continue to have people dying. There is no accountability of intelligence agencies. You say that information has been given by general alert. It is of no value.

There is last thing which is interesting. The police did a raid to one of the hotels and if they knew that person was involved, why could not they publish the

photographs in all Television channels that these are people involved in terrorist activities? So, these are things which continue to shock us.

MADAM SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi is permitted to associate on the issue raised by Shri Ajay Kumar.

13.06 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

44th Report

MADAM SPEAKER: Report of Business Advisory Committee Shri Ananth Kumar.

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): I beg to lay on the Table 44th report of the Business Advisory Committee.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I feel extremely honoured and I pay my respect to you for allowing me to raise this issue. I am referring to the two day general strike throughout the country by the workers of this country. All the trade unions are together. From INTUC to BMS, from AITUC to CITU all trade unions are together. There is no political division. All are together. We had been fighting for the minimum demands of the workers for the last three years. First demand of the workers today is to curb inflation. Our demand is to curb inflation because 94 per cent of the workers are unorganized. They do not get the benefit of Dearness Allowance. Our demand is काम का दाम दो. Minimum wages should be fixed at Rs. 10,000. Our demand is maternity benefit for the women; our demand is pension for all; our demand is that there should be welfare schemes for unorganized labour of the country; our demand is trade unions should be allowed to be registered. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): The total demands are reasonable but what is the necessity to have 48 hours strike? … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Madam, we had been continuing the agitation for the last three years. On 28th September, last year, there was a general strike. The issue was raised in the Indian Labour Conference. The issue was raised in the Standing Committee of Labour. The issue was raised in Parliament. With your kind approval, there was a full discussion under Rule 193. What happened is that nobody talked with us. No Government talked with us. The Government has the time to talk to the tax evaders. The Government has time to talk to the delinquent corporates but trade union is untouchable. That is what forced us to go for 48 hours strike. Workers are the worst hit. They lost their jobs but the Government did not talk to us. What happened is that only a few days before the strike, the Prime Minister made a very innocent appeal through the Press. He talks to the trade union from the Press. Does he talk to the corporates from the Press? We are

the Members of Parliament. He could have talked to us. He could have talked to the Leader of the Opposition. He never talked to us. Just an open appeal would have withdrawn the strike. After that, the Labour Minister called us for a discussion. He had nothing to offer.

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : So far as our demands are concerned, he had nothing to offer. We asked him what is that you are going to offer. Then the Prime Minister constitutes a four-man Committee. I am showing the apathy of the Government. The four-man Committee included the Finance Minister. He was not present in the discussion. Was it an act of arrogance or was it an act of ignoring the trade unions? Therefore, workers had gone on strike for two days. There has been a case of violence. We disapprove it absolutely. But it was peaceful throughout the country. Trade unions' right to go on strike is a constitutional right. Nobody can take away their right. After long months of waiting, we had gone for two day strike. The Government did not respond. Now the point is whether the country is going to be totally blind towards the 40 crore people of the country who produce the wealth. You do not produce the wealth; I do not produce the wealth. वह लोग बनाते हैं, हम लोग खाते हैं। वह लोग इमारत बनाते हैं, लेकिन बस्ती में रहते हैं, वे लोग काम करते हैं, लेकिन काम का दाम नहीं मिलता है। क्या यही हमारा हिन्दुस्तान है, यही हमारी आज़ादी है, यही हमारा आम आदमी है, यही है ह्यूमनिज्म? जो लोग करते हैं, उनको नहीं मिलता है, लेकिन जो लोग लूटते हैं, वे देश को चलाते हैं। Two day strike has ended, but the Government must respond. सरकार को बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ट्रेड यूनियन से बात करने के लिए यह इंकार नहीं कर सकते हैं। सरकार को यह मालूम होगा कि अगर ट्रेड यूनियन से बात नहीं करेंगे तो दोबारा हड़ताल होगी, दिल्ली में हड़ताल होगी, देश में हड़ताल होगी। We do not want strike. मैडम हम लोग हड़ताल नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार मजबूर करके हमें हड़ताल के रास्ते पर ले जा रही है।

MADAM SPEAKER: Shri M.B. Rajesh.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You please send your slip. If you want to associate, you please send your slip.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : श्री हंसराज गं. अहीर, श्री पी.के.बिजू, श्री एम.बी.राजेश, श्री शिवकुमार उदासी, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री मनोहर तिरकी, श्री राकेश सिंह, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री पी. लिंगम, श्री नरहरि महतो, श्री नृपेन्द्र नाथ राय, श्री पी. करुणाकरन, शेख सैदुल हक़ एवं श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार स्वयं को श्री गुरुदास दासगुप्त जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri M.B. Rajesh is speaking. Let him speak.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): You allow him and allow me after that. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I am allowing.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please send your slip.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him speak.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : I may be allowed to associate. I have given a notice for Adjournment Motion. Let me associate with this. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: If you are not allowing your own Member, then you speak.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए या उनको बोलने दीजिए, किसी को बोलने तो दीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do you not want your Member to speak?

SHRI BASU DEB ACHARIA : He will speak.

MADAM SPEAKER: Let him speak then.

SHRI BASU DEB ACHARIA : After him, you allow me also. I have also given a notice for Adjournment Motion. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप पहले उनको बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : If he is allowed, I will also have to be allowed.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam Speaker, with great pain and agony, I would like to draw the attention of this august House to a shocking experience I had yesterday. Yesterday, as a President of the Democratic Youth Federation of India, along with student activists and activists of Democratic Women's Association, I was leading a protest procession on a very serious issue related to sexual violence against women. We were demanding action *... who is involved in a serious case of sexual harassment against women.… (*Interruptions*)

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): That report is not correct. There has been only an allegation. That report should be withdrawn… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)*** ...

SHRI M.B. RAJESH: Let me make it clear. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बैठ जाइए। आप लोग डिसक्शन क्यों कर रहे हैं?

…(व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the chair.
** Not recorded

MADAM SPEAKER: Have you finished?

SHRI M.B. RAJESH : No, Madam, I have just started and I was interrupted. This is a very serious issue.

MADAM SPEAKER: Please sit down.

SHRI M.B. RAJESH : Madam, let me speak. This is a very serious thing. It is very unfortunate.

SHRI BASU DEB ACHARIA : He has given a privilege notice. … (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): He was beaten by the police. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have given him chance. He has raised it.

… (*Interruptions*)

SHRI M.B. RAJESH: I was attacked by the police in front of the Parliament. … (*Interruptions*)

13.16 hrs

At this stage, Shri P. Karunakaran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Why are you shouting like this?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Yes, I know my duty. You do not have to tell me.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Rajesh, I have received your notice of Question of Privilege dated 22nd February, 2013 against the Delhi Police personnel for brutal attack and injuries inflicted on you on 21st February, 2013, when you along with other Members from Kerala were holding a demonstration outside the Parliament House. I am calling for a factual note in the matter. I will take a decision after receipt of the same.

13.16½ hrs

At this stage, Shri Karunakaran and some other hon. Members went back to their seats.

MADAM SPEAKER: Sk. Saidul Haque and Shri Mahendra Kumar Roy associate themselves with Shri M.B. Rajesh on this issue.

Now, Shri Hansraj G. Ahir.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री शरद यादव जी अपने आपको श्री गुरुदास दासगुप्त जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: रघुवंश जी, इन्हें बोलने दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, मैंने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है।...(व्यवधान) मुझे बोलने का मौका दिया जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, हमने नोटिस रिजेक्ट कर दिया है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। अहीर जी की बात सुनने दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक बहुत गंभीर मामले पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र में तीन दिन पूर्व एक परिवार की तीन बच्चियां स्कूल से नहीं लौटी थीं, जिनकी उम्र छ: साल, आठ साल और 11 साल थी। ये नाबालिग बच्चियां स्कूल से नहीं लौटी थीं, इसलिए उसकी मां और उसके रिश्तेदार पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने के लिए गए तो वहां उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। दूसरे दिन सुबह पता चला कि इन तीनों बच्चियों की हत्या करके इनको एक सूखे कुंए में डाल दिया गया था। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें यह पुष्टि हुई है कि इन तीनों बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया था, जिनकी उम्र बहुत कम थी। इन तीनों बच्चियों की हत्या की गई है। मैं आपके सामने यह मामला इसलिए रख रहा हूं कि जो विधवा मां है, वह जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई तो वहां उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अगर वक्त पर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई होती तो शायद इन तीनों बच्चियों के साथ बलात्कार भी नहीं होता और इनकी जान भी बच जाती। इस मामले को लेकर भंडारा जिला तीन दिनों से बंद है। वहां हड़ताल की जा

रही है। इसी तरह की एक अन्य घटना यवतमाल जिला में महाराष्ट्र में हुई। एक ढाई साल की बच्ची के माता-पिता मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। उस बच्ची को किसी व्यक्ति ने उसके घर से उठा लिया और उसके साथ बलात्कार किया। उस बच्ची की वहीं पर मौत हो गई। यह ढाई साल की बच्ची थी। यवतमाल में एक गांव की यह बात है। जब वहां के लोगों को पता चला तो उन्होंने उन आरोपियों को उस जगह पर पकड़ लिया। लेकिन भंडारा जिले में इन आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने इन्हें पकड़ा नहीं, स्वयं पुलिस, महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी, विशेष आईजी भंडारा जिले में गए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी पुलिस की गलती से आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है, विलम्ब हुआ है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन्हें कुछ आर्थिक मदद मिली जरूर है, यहां से कुछ जांच दल भेजा जाए। इन मामलों में फास्ट ट्रेक के माध्यम से मामला चलाया जाए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, this is a very serious matter being raised.

श्री हंसराज गं. अहीर : इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर, आरोपियों को दण्डित करने के लिए, फांसी की सजा देने के लिए आप राज्य सरकार को सूचित करें और यवतमाल जिले में जो घटना हुई है, ढाई साल की बच्ची का बलात्कार होने के बाद, हत्या होने के बाद भी राज्य सरकार का कोई मंत्री वहां नहीं पहुंचा है और उन्हें कोई भी आर्थिक मदद या सहायता नहीं मिली है। जो घटना दिल्ली में हुई है, दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था, उसमें जिस गंभीरता से केन्द्र सरकार ने दखल लिया था, उससे ज्यादा गंभीर यह मामला बनता है। जो सहायता केन्द्र सरकार ने दिल्ली गैंगरेप में दी, वह सहायता उस परिवार को मिलने के लिए आप मदद करें, आदेश-निर्देश दें। वहां इसके लिए जांच दल भेजें, यह मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री हरिभाऊ जावले, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री गणेश सिंह अपने आपको श्री हंसराज गं. अहीर जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

यह बहुत ही दुःखद घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है। दिल्ली में 16 दिसम्बर को ऐसा हो चुका है, इससे पहले भी होता रहा है, हमेशा होता रहा है, खासकर के बच्चियों के साथ, कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ और अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृपया, जो सरकार है, वह इस ओर बहुत मजबूत कदम उठाये ताकि इस तरह की दुःखद घटनायें न हों। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है और यह सब समाप्त हो।

The House stands adjourned to meet again at 2.20 p.m.

13.21 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Twenty Minutes past Fourteen of the Clock.

____

14.20 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twenty Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

STATEMENT BY MINISTER
Two bomb blasts in Hyderabad, Andhra Pradesh

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Home Minister will now make a Statement.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Mr. Deputy Speaker Sir, on 21.02.2013 twin blasts took place in a busy locality of Dilsukhnagar area of Hyderabad City at a local bus stop and a Canteen, which were about 150 meters from each other, at 6.58 p.m. and 7.01 p.m. respectively. Preliminary investigations reveal that the lEDs (improvised explosive devices) were placed on Bicycles causing explosions at both the places. A total of 16 persons died and 117 were injured out of which four are critically injured. The State Government immediately deployed emergency medical response team along with 25 ambulances to take the injured to hospital. The State Police and a team of NIA from the National Investigation Agency Branch office at Hyderabad immediately reached the place of occurrence and cordoned off the area and collected the evidence. The State forensic teams were also pressed into service to collect the evidence from the crime scene. A team of NIA led by IG and Post Blast Investigative team (PBIT) of NSG were sent to Hyderabad from Delhi at 9.30 p.m. yesterday by a special plane and reached Hyderabad at 11.30 p.m. yesterday only. Two cases have been registered vide CR No. 146/2013 of Saroor Nagar, Police Station, Cyberabad and CR No. 56/2013 of Malkpet Police Station, Hyderabad

City. The NIA will investigate the case in conjunction with Andhra Pradesh Police.

Today, early morning I along with Home Secretary and DG, NIA went to Hyderabad and reviewed the situation with Governor, Chief Minister, Chief Secretary, DGP, Commissioner of Police and other senior officers. I visited the scene of occurrence and thereafter I visited the injured in Hospital.

The hon. Prime Minister of India has announced ex-gratia of Rs.2 Lakh for the deceased and Rs. 50,000 to the injured. The State Government has also announced ex-gratia of Rs. 6 Lakh to deceased and Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh for injured besides bearing all the expenses for the treatment of the injured. The situation is under control.

I extend my heartfelt condolences for the bereaved families who have lost their near and dear ones in the blasts. The Government is committed to combat such cowardly terror attack and it shall make all possible efforts to apprehend the perpetrators and masterminds behind the blasts and ensure that they are punished as per the law.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, अभी-अभी जो वक्तव्य सदन में गृह मंत्री जी ने रखा है, हम लोग सुबह से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि दो बजे जब सदन भोजनावकाश के बाद मिलेगा, तो वे एक वक्तव्य सदन में रखेंगे। लेकिन गृह मंत्री जी, यह बहुत ही रूटीन में दिया गया वक्तव्य है। पहले पैराग्राफ में बता दीजिए क्या-क्या हुआ, बाद में जो एक्स-ग्रेशिया एनाउंस किया, वह बता दो और अंत में कह दो कि हमारी तो कमिटमैंट है, हमारी तो टैरर से लड़ने की प्रतिबद्धता है। लेकिन आज सुबह भी आपकी अनुपस्थिति में बोलते हुए मैंने एक ही बात पर जोर दिया था कि यह समय दोषारोपण करने का नहीं है, एकजुट होकर, दृढ़ संकल्पित होकर आतंक का सामना करने का है। लेकिन वह सामना तभी किया जा सकता है जब हमारी और आपकी सोच में समानता हो। दुख इस बात का है कि हमारी सोच समान नहीं है।

हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, जो इस सदन के सम्मानित सदस्य भी हैं, वे मौके पर गए हैं। वे आज सुबह ही हैदराबाद गए हैं और मेरे दूसरे सहयोगी श्री शाहनवाज हुसैन उनके साथ गए हैं। मैंने उनसे अभी सम्पर्क साधा था। मैं चाहती थी कि आपके वक्तव्य से पहले उनसे बात हो जाए और वहां स्पॉट

पर उन्होंने क्या देखा, उसकी जानकारी मुझे मिल जाए तो मैं शायद वहां की परिस्थिति को सामने रखकर बोल सकती थी। सम्पर्क तो हुआ, लेकिन वे स्पॉट पर पहुंचे ही थे। अभी तक वहां की स्थिति का जायजा नहीं ले पाए थे। इसलिए मैं वहां की परिस्थिति को सामने रखकर नहीं बोल पाऊंगी। जो आपने कहा है, उसे असत्य नहीं मान रही हूं। हमारा आपसे प्रश्न था। सुबह सभी लोग आपकी अनुपस्थिति में बोले थे। हमारा पहला प्रश्न यह था कि आपने कल घटना घटते ही यह बात कही कि हमने राज्य सरकार को जानकारी दे दी थी। यह घटना जिस घटना के बाद घटी है, उसमें आप जानकारी न भी देते तो सभी राज्य सरकारें इस बात में अलर्ट होनी चाहिए थीं कि ऐसी कोई घटना घट सकती है, क्योंकि नौ वर्ष बाद आपने अफजल गुरू को फांसी पर लटकाया था। नौ वर्ष बाद आपके इस निर्णय की कोई न कोई प्रतिक्रिया खास तौर पर उन इलाकों में हो सकती थी जिन इलाकों को हम सैंसिटिव कहते हैं, अंग्रेजी में वलनरेबल कहते हैं। इसलिए आज जानकारी न भी देते, तो भी कम से कम आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में यह अलर्ट होना ही चाहिए था। लेकिन आपकी जानकारी के बाद वह और भी पुख्ता हो गया। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी महज राज्य सरकार को जानकारी देना है या उसे रोकने में मदद करना भी है? अगर रोकने में मदद करना भी है, तो आपने रोकने के लिए क्या किया? महज यह कहकर कि हमने जानकारी दे दी थी, आपका कर्तव्य पूरा हो गया और आपने राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिया। आतंकवाद साधारण कानून-व्यवस्था का मसला नहीं होता जो केवल राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, बहुत राज्यों के बीच फैला हुआ होता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें संक्षेप क्या है। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, 14 लोग मर गए हैं, 109 घायल हैं।...(व्यवधान) यदि मैं एक भी बात अप्रासंगिक कह रही हूं, विषय से हटकर कह रही हूं या बहुत लम्बा हो गया हो बोलते हुए, तो आप इंटरवीन करें और कहें कि संक्षेप में बोलिए। उन्होंने जो वक्तव्य रखा है, उस पर मुझे कुछ पूछने का अधिकार है या नहीं? पूरा देश जानना चाह रहा है। गृह मंत्री जी, मैं आपसे यह बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो आपने जानकारी दी, उस जानकारी में केवल हैदराबाद नहीं है, उसमें आपने हैदराबाद के साथ बंगलुरू भी जोड़ा है और मुम्बई भी जोड़ा है। यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रही हूं कि यह जो जानकारी दी गई कि हैदराबाद में ऐसी घटना हो सकती है, बंगलुरू में घटना हो सकती है, मुम्बई में घटना हो सकती है। हैदराबाद में तो घट गई। क्या घटने के बाद भी हम चेते हैं? इसके बाद भी बंगलुरु में ऐसी घटना की पुनरावृति न हो, मुम्बई में न हो, क्या इसके लिए कोई उपाय किया है? अगर किया है, तो क्या

किया है? क्या हम आश्वस्त हो सकते हैं कि इस घटना के घटने के बाद बंगलुरु और मुम्बई में ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी?

मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं। हैदराबाद में ही एक बहुत गंभीर घटना घटी थी। इसी सदन के सम्मानित सदस्य ने हैदराबाद में एक ऐसा भड़काऊ भाषण दिया था। उनके भाई ने दिया था। यह कहा था कि अगर कुछ समय के लिए पुलिस हटा दी जाये, तो हम 25 मिनट में सबका काम तमाम कर सकते हैं। ...(व्यवधान) क्या इस हैदराबाद के बम विस्फोट का उस भड़काऊ भाषण से किसी तरह का कोई संबंध है? इसलिए ये कुछ प्रश्न हैं, जो उपस्थित हो रहे हैं।

तीसरी बात आपने एक्स ग्रेशिया की कही है। यहां एक माननीय सदस्य ने आपके पीछे से बहुत अच्छी बात कही थी कि कहीं हम दो लाख रुपये दे देते हैं और कहीं दस लाख रुपये दे देते हैं। क्या हम तय कर सकते हैं कि इस तरह की घटनाओं में कोई एक सी राशि तय हो जाये कि वही राशि सबको दी जायेगी। क्योंकि इसमें बहुत हार्ट बर्निंग होती है और जहां कम मिलता है वहां लोग उदाहरण देकर कहते हैं कि फलां जगह तो दस लाख रुपया मिला और हमें केवल पांच लाख रुपये मिल रहे हैं या केवल दो लाख रुपये मिल रहे हैं। क्या इस संसद से ऐसा कोई स्वर निकल सकता है कि हम राशि तय कर दें कि इस तरह की घटना में इतनी ही राशि दी जायेगी। लेकिन आपका जो आखिरी वाक्य है कि हम कमिटेड है। इस प्रतिबद्धता का आप कोई प्रदर्शन तो कीजिए। यह प्रतिबद्धता आपकी है। इस प्रतिबद्धता के लिए कुछ तो बताइये। आप कहेंगे कि आपने फांसी दे दी, तो नौ वर्ष के बाद आपने फांसी दी है। बार-बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को पुष्ट किया, पुख्ता किया और वहां भी एक तरह की वोट बैंक की राजनीति के चलते आपने रोक रखा था और दूसरी वोट बैंक की राजनीति के चलते फांसी देने का निर्णय किया है। वर्ना नौ वर्ष के अंतराल का औचित्य क्या है, यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे? जो बात मैंने आपके पीछे से कही थी कि सोच में समानता नहीं है, वह मैंने इसलिए कही थी कि कभी तो हम मज़हब के आधार पर आतंकवाद को बांटकर आपस में बंट जाते हैं और कभी हम आतंकवादियों के मानवाधिकारों की पैरवी करते हुए उन पर नरमी बरतने की वकालत करते हैं। आखिरकार यह सोच जब तक समान नहीं होगी, तब तक आपकी यह कमिटमैंट पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यह कमिटमैंट केवल आपकी नहीं है। यह कमिटमैंट देश हम सबसे चाहता है। हमसे भी चाहता है, आपसे भी चाहता है, इधर के लोगों से भी चाहता है और उधर के लोगों से भी चाहता है। इसलिए यह एक ऐसा समय है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, यह वे पड़ाव हैं जब हम उस संकल्प को दोहराएं, अपनी सोच में समानता लायें और एक समान सोच से भारत निश्चित तौर पर आतंकवाद का सामना कर सकता है। मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रतिबद्धता के साथ सोच की समानता भी बनाइये, तभी और तभी यह प्रतिबद्धता पूरी हो सकती है। ..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, नेता जी को भी दो मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये, क्योंकि हमें भी बोलना है।

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under Rule 372 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha after a Statement has been made by a Minister on a matter of public importance, no question shall be asked. By convention, no discussion is held immediately after the Statement is made.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रूल में एलाउड नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, इसलिए आप सबको दो-दो मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं। आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी खड़े हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

14.33hrs

At this stage Shri Shailendra kumar came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष की नेता ने जो बात कही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो घटना हुई है, वह बहुत गंभीर और दुखदायी है। इसमें कोई शक नहीं है। पूरा सदन इससे जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)

14.34hrs

At this stage Shri Nama Nageshwar Rao and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table

…(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : इस पर चर्चा आवश्यक होनी चाहिए और नियम के तौर पर जैसे सदन तय करेगा, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। …(व्यवधान) अभी माननीय गृह मंत्री जी को राज्य सभा में बयान देना है। …(व्यवधान) इसीलिए आप समय फिक्स कर लीजिए या बीएसी समय फिक्स कर ले और चर्चा केवल इस बात पर ही नहीं, बल्कि अन्य जो मुद्दे प्रतिपक्ष की नेता ने उठाये हैं, उन पर चर्चा हो जायेगी। …(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग नोटिस दीजिए, डिसकशन करा देंगे।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को राज्य सभा में स्टेटमेंट देना है, इसलिए वहां जा रहे हैं।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यहां सदन में अभी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको राज्य सभा में भी स्टेटमेंट देना है।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग लिखकर दे दीजिए, फिर उस पर डिसकशन करने के लिए हम लोग बात करते हैं।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मान लिया है, हमने बोल दिया है।

…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3.30 p.m.

14.36 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15.37 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty-Seven Minutes past Fifteen of the Clock.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

MR. CHAIRMAN: The House will now take up Item No.8. Shrimati Priya Dutt – present

Item No. 9 – Shrimati Priya Dutt – not present

Item No.10 – Shrimati Priya Dutt – not present

Item No.11 – Shri Basu Deb Acharia

15.37¼hrs

PRIVATE MEMBERS' BILL- INTRODUCED

(i) OLD AGE PENSION BILL,2012*

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of pension to senior citizens.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of pension to senior citizens."

The motion was adopted.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item No. 12 - Shri Varun Gandhi – not present

Item No. 13 - Dr. Kirit Premjibhai Solanki – not present

Item No. 14 - Shri Anant Gangaram Geete

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 22.02.2013

15.37 ½ hrs

(ii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*

(Amendment of Article 72)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Item No. 15 - Shri Satpal Maharaj – not present

Item No. 16 – Shri Satpal Maharaj – not present

Item No. 17 – Shri Satpal Maharaj –not present

Item No. 18 – Dr. Mahendrasinh P. Chauhan

15.37 ¾hrs

(iii)ENVIRONMENT PROTECTION(CONTROL OF NON-BIODEGRADABLE) BILL,2013*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कूड़े-कचरे से प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सार्वजनिक नालियों में, सड़कों पर और सार्वजनिक रूप से दिखने वाले खुले स्थानों पर गैर-जैव अवक्रमणीय कूड़ा-कचरा फेंकने या डाले जाने को रोकने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 22.02.2013

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prevent throwing or depositing non-biodegradable garbage in public drains, roads and places open to public view so as to protect the environment from being polluted by such garbage and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.38 hrs

(iv)ELECTRONIC WASTE(HANDLING AND DISPOSAL)BILL,2013*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के निपटान के संबंध में मानक विहित करके और विनिर्माताओं, पुनःचक्रणकर्ताओं और उपभोक्ताओं के दायित्व और कर्त्तव्यों का नियतन करके परित्यक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की उचित उठाई-धराई और निपटान का तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for proper handling and disposal of electronic waste being generated by discarded electronic devices by prescribing norms and fixing responsibilities and duties on manufacturers, recyclers and consumers with regard to disposal of electronic waste and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 22.02.2013

15.38 ½ hrs

(v)REMOVAL OF HOMLESSNESS BILL,2013*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक आवासहीन परिवार को कम कीमत पर सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवासीय इकाई की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आवासीय योजना तैयार करने का उपबंध करके देश से आवासहीनता का निराकरण करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to remove homelessness in the country by providing for framing of a housing scheme aimed at providing dwelling units with all basic facilities at an affordable cost to every homeless family."

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.39hrs

(vi)INDECENT OR SURROGATE ADVERTISEMENTS AND REMIX SONGS (PROHIBITION BILL), 2013*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाज की संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण के उद्देश्य से अभद्रता और नग्नता प्रदर्शित करने वाले अशिष्ट या छद्म विज्ञापन, जो बालकों और युवा पीढ़ी के मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, के प्रकाशन या प्रसारण का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसे अनुषंगी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit publication or telecast of indecent or surrogate advertisements and remix songs which contain vulgarity and nudity that adversely affect the minds of the children and younger generation with a view to protect the

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 22.02.2013

culture and values of the society and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.39 ½ hrs

(vii)INDIAN FOREST (AMENDMENT) BILL,2013*
(Amendment of Section 2)

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Forest Act, 1927.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Forest Act, 1927."

The motion was adopted.

SHRI PREM DAS RAI I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item No. 23 – Shri Kalikesh Narayan Singh Deo – not present.

15.40 hrs

(viii) AGRICULTURAL WORKERS (EMPLOYMENT CONDITIONS OF SERVICE AND WELFARE) BILL,2013*

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE (SHIRDI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to protect the interest of agricultural workers and to provide for their welfare.

MR. CHAIRMAN: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 22.02.2013

"That leave be granted to introduce a Bill to protect the interest of agricultural workers and to provide for their welfare."

The motion was adopted.

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE : Sir, I introduce** the Bill.

15.41hrs

(ix)ABOLITION OF CHILD LABOUR BILL,2013*

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE (SHIRDI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to abolish child labour in the country and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to abolish child labour in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE : Sir, I introduce the Bill.

15.41 ½ hrs

(x) NATIONAL COMMISSION FOR YOUTH BILL, 2013*

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE (SHIRDI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the setting up a National Commission for Youth for their overall development and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a National Commission for Youth for their overall development and for matters connected therewith."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 22.02.2013

** Introduced with the recommendation of the President.

The motion was adopted.

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE : Sir, I introduce the Bill.

15.42 hrs

(xi) HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) BILL, 2013*
(Amendment of section 3 and 15)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956."

The motion was adopted.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.43 hrs

(xii) INFORMATION TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL,2013*
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 22.02.2013

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT PANDA : I introduce the Bill

15.44hrs

(xiii) BIHAR REORGANISATION (AMENDMENT) BILL,2013*
(Amendment of the Eighth Schedule)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Bihar Reorganisation Act, 2000."

The motion was adopted.

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.45 hrs

(xiv)PREVENTION OF FEMALE INFANTICIDE BILL,2013*

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कन्या शिशु-हत्या का निवारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 22.02.2013

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prevent female infanticide."

The motion was adopted.

श्री राकेश सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.46 hrs

(xv)COMPUTER TRAINING CENTRES (REGULATION) BILL,2013*

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकरण को विनियमित करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to regulate the functioning of computer training centres and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राकेश सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 22.02.2013

15.47hrs

(xvi) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE OF MADHYA PRADESH BILL,2013 *

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ तथा इसके संसाधनों के विकास, दोहन और समुचित उपयोग के लिए मध्य प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Madhya Pradesh for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people and for the development, exploitation and proper utilization of its resources."

The motion was adopted.

श्री राकेश सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

सभापति महोदय : डॉ. काकोली घोष दस्तिदार - अनुपस्थित।

श्री रमेन डेका - अनुपस्थित।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 22.02.2013

** Introduced with the recommendation of the President.

15.48 hrs

PROVISION OF SOCIAL SECURITY TO SENIOR CITIZENS BILL -2010 –contd.

MR. CHAIRMAN: Now we take up further consideration of Item No. 35. Shri Arjun Ram Meghwal will continue his speech.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, पिछले सत्र में सोशल सिक्योरिटी सीनियर सिटिजन, 2012 विधेयक श्री जे.पी. अग्रवाल द्वारा लाया गया था, मैं इस संबंध में बोल रहा था। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि भौतिकवादी युग के कारण हम देखने लग गए कि हमारे मां-बाप हमारे लिए किसी काम के हैं या नहीं। और यह जो मैटिरियलिस्टिक अप्रोच हुई है, उसके कारण ही सीनियर सिटीजन्स को तकलीफ हुई है। मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि कोई आदमी अधिकारी बन गया था और जब किसी ने उससे पूछा कि तुम कैसे बने तो उसने कहा कि मैं अपनी मेहनत से बना। उसने कहा कि इसमें तुम्हारे मां-बाप ने भी मदद की है तो उसने कहा कि नहीं, इसमें हमारे मां-बाप ने कोई मदद नहीं की है। मैं यह इसलिए सुनाना चाह रहा था, मैंने उस अधिकारी को बोला कि जब तुम पांच साल के थे और तुम्हें स्कूल जाना था या तुम्हें खेत का काम करना था, मजदूरी करनी थी, ये सोच उस समय तुम्हारे अंदर विकसित नहीं हुई थी तो उस समय स्कूल में भेजने का काम तुम्हारे मां-बाप ने किया था, जिसके कारण तुम पढ़-लिखकर आज इतने बड़े अधिकारी बने, इसलिए मां-बाप के फर्ज को भूला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति महान थी, इसलिए मां-बाप के फर्ज को बहुत ऊंचा फर्ज माना गया। इसलिए सरकार ने ज्यादा इंटरवेन्शन नहीं किया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देश आजाद हो गया, उसके बाद हम भौतिकवादी युग में जीने लग गये। अन्य देशों में सीनियर सिटीजन्स को रखने की प्राब्लम थी, वहां की गवर्नमैन्ट ने इंटरवेन्शन करके ओल्ड एज होम बनाये, फ्री मैडिकल कैम्प लगाये, उनका यूज किया। लेकिन हमारे यहां जो मैनपावर है, जो साठ साल के आसपास हैं, हालांकि आज कुछ लाइफ एक्सपेन्टेन्सी भी बढ़ी है, लोग 70-80 साल तक जीने लग गये हैं। लेकिन जब उनकी दुर्दशा होती है तो समाज के लोग सोचते हैं कि सरकार क्या करती है। सरकार को भी कोई इंटरवेन्शन करना चाहिए। जब बच्चे मां-बाप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो यह पीड़ा हर किसी को होती है। लेकिन श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी को यह पीड़ा हुई और वह यह बिल लेकर आये। इसलिए मैं जयप्रकाश अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि वह अपने मां-बाप को संभाल रहे होंगे या उन्होंने संभाला होगा।

लेकिन अन्य लोग जो अपने मां-बाप को नहीं संभाल रहे हैं, जिसे भारतीय संस्कृति में परोपकार की भावना कहते हैं, फिलेन्थ्रोपिक अप्रोच बोलते हैं. जिस पर जय प्रकाश अग्रवाल जी के कारण हम यहां चर्चा कर रहे हैं और पूरे देश को यह बताना चाह रहे हैं कि जो ओल्ड हो गये हैं वे अब किसी काम के नहीं रह गये हैं, ऐसा नहीं है। कभी हम कहते थे कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि अब आप किसी काम के नहीं हैं, बुजुर्ग हो गये हैं, अब भगवान भजन करो, खाना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ऐसे कई संकट उनके सामने आते हैं।

सभापति जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक इंकम टैक्स विभाग में कमिश्नर थे। उन्होंने हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में छापा मारा। उन्हें पता चला कि नीचे भी कुछ है। जब वह नीचे गये तो वहां गोदाम मिला। उसमें दो बूढें और बूढीं थे, जो उनके पेरेन्ट्स थे। वह बहुत बड़ा आदमी था, जिस पर रेड पड़ी, वह जैम्स और ज्वैलरी का काम करता था। उसके दोनों पेरेन्ट्स अंडरग्राउंड में रह रहे थे। उनसे पूछा गया कि आप यहां कितने दिनों से रह रहे हो तो वे बोले कि हमें यहां 20-25 दिन हो गये। उन्होंने पूछा खाना कैसे खाते हो तो वे बोले कि ये जो सूखी रोटियां हैं, उनसे ही हम काम चलाते हैं। उन्होंने पूछा कि आपकी यह हालत है। वे बोले कि हां, हमारी यही हालत है। आप मानेंगे नहीं, उस कमिश्नर ने बाद में जयपुर में एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बनवाया। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे काम करते-करते भी लोगों में प्रेरणा आती है और उन्हें लगता है कि हम किस तरह की सामाजिक रचना करने जा रहे हैं। यह जो बिल प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्युरिटी टू सीनियर सिटीजन्स आया है, इसमें इन्होंने सरकार से सात सौ करोड़ रुपये मांगे हैं। इन्होंने जो फाइनेंशियल एलोकेशन मांगा है, वह सात सौ करोड़ रुपये है और सात सौ करोड़ रुपये में विशेष रूप से यह कहना चाह रहे हैं कि Free medical and other health care facilities in the Government and private hospitals including reimbursement of the amount spent on medicine. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उन्हें रिटायर होने के बाद मैडिकल एड मिलती है, लेकिन बहुत से हास्पिटल उसके पैनल में नहीं होते। मेरा यह कहना है कि उनका प्राइवेट हास्पिटल से भी इलाज हो। यह उन्होंने सारे सीनियर सिटीजन्स को कहा है, चाहे वह अधिकारी हो, कर्मचारी हो या नागरिक हो, उन्होंने सबके लिए कहा है। लेकिन उनकी एज निश्चित होनी चाहिए। मैं इसमें यह जोड़ना चाह रहा हूं कि रेलवे और कुछ पीएसयूज 58 साल के लोगों को सीनियर सिटीजन्स मानते हैं। कुछ लोग 60 साल को सीनियर सिटिज़न मानते हैं। कुछ लोग 65 साल को सीनियर सिटिज़न मानते हैं। विजय बहादुर सिंह जी बैठे हैं, जज तो 70 साल को सीनियर सिटिज़न मानते हैं, वे 70 साल तक रिटायर ही नहीं होते हैं। सिनियर सिटिज़न की ऐज निर्धारित होनी चाहिए कि क्या ऐज

है। रेलवे कहां से कंसेशन शुरू करेगा? बैंक कहां से इंट्रस्ट फ्री लोन देना शुरू करेगा? इनकम टैक्स की रिबेट सिनियर सिटिजन में कौन सी ऐज से शुरू होगी? ये ऐज निश्चित होनी चाहिए। यह एक बिंदु जो छूट गया था, मैं उसको कहना चाह रहा था। दूसरा मैं यह कहना चाह रहा हूँ, इस बिल में मैंने सारा देखा है, इन्होंने सिंपोज़ियम, सेमिनार करने के लिए भी कहा है कि इसमें सिनियर सिटिज़न का उपयोग हो सकता है। मेरा इसमें यह कहना है कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या भौतिकवादी युग शुरू होने के कारण, करैक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं हुए हैं। हम स्कूलों में भी करैक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं देखते हैं। किसी ज़माने में बाल सभा होती थी, पढ़ाया जाता था, लेकिन आज कल करैक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं होते हैं। हमारे पास सिनियर सिटिज़न की इतनी बड़ी फौज़ है। जो 60-70 साल के हैं, जो हैल्दी हैं, पढ़ा सकते हैं, उनको चरित्र निर्माण के कार्यक्रम में लगा दें, योगा और प्राणायाम के कार्य में लगा दें, सिंपोज़ियम, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस आदि करें। अगर सरकार उनको कुछ टी.ए. और डी.ए. दे दे तो वे फ्री पढ़ाएंगे। ऐसे सैग्रिगेशन करना पड़ेगा। हर सीनियर सिटिज़न तो नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन कुछ सिनियर सिटिज़न हैं, जो पढ़ा सकते हैं। श्री विजय बहादुर सिंह इलाहबाद की एक कहानी भी सुना रहे थे कि इलाहबाद में एक कॉलोनी है, पुराने जमाने में जिसका नाम आई.सी.एस. कॉलोनी रख दिया था। आई.सी.एस. ऑफीसर्स रिटायर होने के बाद वहीं बसते थे। आई.सी.एस. ऑफीसर को रिटायर होने के बाद कोई संभालता नहीं था। बच्चे कहीं और चले गए तो वह अकेला रह गया। वह गेट पर खड़े-खड़े देखा करता था कि क्या कोई मुझ से मिलने आ रहा है। कोई नहीं आता था तो वह पागल हो गया था। आई.सी.एस. और उसको कोई मिलने नहीं आए, जैसे किसी नेता को टिकट नहीं मिले या वह हार जाए और उसके बाद उससे कोई मिलने नहीं आए तो वह पागल हो सकता है। उसको कोई न कोई काम मिलना चाहिए। उसकी क्या योग्यता है, उसके आधार पर सैग्रिगेशन कर के उसको कोई न कोई काम मिलना चाहिए। कॉन्फ्रेंस, सैमिनार या चरित्र निर्माण की क्लासेज़ आदि में काम कर सकते हैं। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि यह देश युवाओं का देश कहलाता है। लेकिन युवाओं के साथ सिनियर सिटिज़न को नैगलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई है, उस पर कहीं न कहीं ब्रेक लगना चाहिए। युवाओं के पास जोश है और बुज़ुर्गों के पास होश है। इसलिए जोश और होश का समन्वय होगा तो यह देश आगे बढ़ेगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : I am to inform the hon. Members that two hours' time allotted for discussion on this Bill is over. As there are three more Members to take part in the discussion on the Bill, the House has to extend time for further discussion on this Bill.

Is it the pleasure of the House that time for discussion on the Bill be extended by one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Well, the time for discussion on the Bill is extended by one hour.

Now, Chaudhary Lal Singh.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यह बिल मेरे बड़े भाई साहब जे.पी. अग्रवाल साहब लाए हैं। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, यह बड़ा ही इमोशनल बिल है। इस बिल की अहमियत बहुत बड़ी है। इसको समझने का मसला है। एक बुज़ुर्ग की इज्जत का सवाल है। एक बुज़ुर्ग की ऑनर और रिस्पेक्ट का सवाल है। आप सब जानते हैं कि जब आदमी जवान होता है, चाहे वह गवर्मेंट सर्विस में होता है, चाहे वह प्राइवेट सर्विस में हो, चाहे वह किसान होता है, चाहे वह लेबर होता है तो जवानी के दिनों में वह बड़े सुंदर तरीके से जिंदगी गुज़ारता है। वह बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी गुज़ारता है। मेरे कहने का मकसद है कि वही आदमी जब बूढ़ा होता है, अगर वह सरकारी नौकरी करता था, उसके लिए सरकार ने पेंशन रखी हुई है। सुनने में आ रहा है कि अब तो वह भी खत्म की जा रही है।

16.00 hrs

वह उस पेंशन से अपनी जिन्दगी गुजार सकता है और उसकी फैमिली भी उसका इंतजार करती है। उसको इकट्ठे पैसे मिलते हैं तो उसकी रेस्पेक्ट भी होती है। जो बुजुर्ग मजदूरी करता है, खेती-किसानी करता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, तो जनाब उस बुजुर्ग को, उन्हीं पैरेंट्स को, उन्हीं मां-बाप को उस समय कोई पूछने वाला नहीं होता है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में मां-बाप ऐसा शब्द है, जिसकी बहुत इज्जत और ऑनर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे मां-बाप हैं, हम समझ सकते हैं कि मां-बाप बच्चों के लिए कहां तक सोचते हैं। मां-बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से आगे जाये। मेरा बच्चा मेरे से बड़ा ऑफिसर बने, मेरा बच्चा मेरे से बहुत आगे जाये। उसका भाई ऐसा नहीं कहता है, उसका अंकल या चाचा ऐसा नहीं कहता है, उसका रिश्तेदार ऐसा नहीं कहता है और भी रिश्ते होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कहता है कि इसे आगे किया जाये। ऐसा केवल उसके मां-बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाये, मेरे से आगे बढ़े। जब वही मां-बाप उसे अच्छा बना देते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी मेरे घर पर दो बुजुर्ग आये। यह परसों की बात है। एक बुजुर्ग की उम्र 100 वर्ष थी, वह 100 वर्ष की उम्र को टच कर रहा था और उसके साथ एक महिला आयी थी और वह करीब 80 वर्ष की होगी। उन दोनों में से मैं एक को जानता था और दूसरे ने मुझे अपनी पहचान करायी। बुजुर्ग बहुत शान और शौकत में जीता था, लेकिन अब वह बुजुर्ग एक आश्रम में रहता है। वह एक महिला को लेकर आया था, उस महिला की बाजू टूटी थी और वह भी आश्रम में ही रहती थी। वह महिला मुझसे कहती है कि क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा मां जी बताइये कि आप कौन हैं? महिला ने कहा कि जहां बसौली में आप एमएलए थे, मैं वहां ककरेडे की हूं, मैं हंसराज मास्टर की मां हूं। उसने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ है, मेरी बाजू टूटी है, मुझे अपनी सलवार का नाड़ा बांधना है, कपड़े पहनने हैं, मेरी बाजू टूटी हुई है। आप सोचिये कि आश्रम में

वह नहाये कैसे, वह वहां रहे कैसे? मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगा कि मैं उसके बेटे को पकड़कर अंदर करवाऊं कि तेरी मां उस जगह जलील और जिल्लत की जिन्दगी बसर कर रही है और तुझे पढ़ाने वाले तेरे मां-बाप हैं।

महोदय, जब मां-बाप को पूछने वाला बच्चा नहीं है, उसके घर का बच्चा उसे नहीं पूछना चाहता तो कई मां-बाप तो ऐसे हैं, जिनका कोई बच्चा ही नहीं है, उनके बच्चा हुआ ही नहीं। दोनों बुजुर्गों की पोजीशन बहुत बुरी है। मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि उनकी बहुत बुरी हालत है। इसके बाद उनकी मदद करने के लिए कौन बचता है? यह सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बुजुर्ग इतनी इनसिक्योर जिन्दगी जी रहा है, सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। वह इतनी जिल्लत की जिन्दगी जी रहा है, वह कैसे जियेगा? जब वह हट्टा-कट्टा था तो सारे उसके पीछे भागते थे और जब वह कमजोर हो गया तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं हैल्थ एवं एजुकेशन मिनिस्टर था, एक डॉक्टर मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मेरे मां-बाप बुजुर्ग हैं। पहले मां-बाप उसे पढ़ाते हैं, उसे नौकरी कराते हैं, जब वे बूढ़े होते हैं, जब उनके बच्चे का ट्रांसफर कहीं और जगह पर हो जाता है तो वह क्या बोलता है। वह मिनिस्टर के पास, सरकार के पास जाकर बोलता है कि सर मेरे मां-बाप बूढ़े हैं और जनाब अगर मेरा ट्रांसफर हुआ तो वे मर जायेंगे तो मैंने कहा कि हां मैं जरूर तेरी ट्रांसफर करूंगा। सर, मेरी आदत थी, शाम को मैं उसका पता लेकर उसके घर पहुंच गया। मैं उसके घर गया तो मैंने देखा कि उसके मां-बाप के नीचे जो बिस्तर था, टाट डाल रखा था और उसके ऊपर कपड़ा या कंबल की भी जगह नहीं थी। मैंने सोचा कि वह मां-बाप के नाम पर ट्रांसफर रूकवाने के चक्कर में है, लेकिन मां-बाप की इज्जत करने को तैयार नहीं है। मैंने तो उस डॉक्टर को कहां का कहां पहुंचाया, यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि मां-बाप के नाम पर दरख्वास्त आती है, ऑफिस में लोगों की चिट्ठियां आती हैं, मां-बाप बीमार भी न हों तब भी उनमें बीमार लिखते हैं, अगर वे 70 साल के होते हैं तो उन्हें 90 साल का लिखते हैं, यह भी लिखते हैं कि उन्हें शुगर है, हाइपरटेंशन है, इन्हें यह-यह प्रॉब्लम है। यहां तक लिखते हैं कि ये पागल हैं, मेंटल हैं। माँ-बाप के नाम पर इतने बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। इतनी ज़लील ज़िन्दगी उनकी हो गई है। हमारा कल्चर इतना गिर चुका है कि ऐसे समय में सरकारों को फैसले करने होंगे। अगर सरकारें फैसला नहीं करेंगी तो हालत नहीं सुधरेगी। सरकारों ने क्या फैसला किया कि पैंशन के रूप में 150 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, 250 रुपये दे दो या पाँच सौ रुपये दे दो। मुझे बताइए कि जब आदमी बुज़ुर्ग होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वह बीमार भी होता है, कमज़ोर भी होता है। उसका कपड़ा कहाँ से आएगा 500 रुपये में या 200 रुपये में? उसकी दवाई कौन लेकर देगा? कौन देगा, कहाँ से देगा? कौन ज़िम्मेवार है उसका? कोई नहीं है। आप सभी पोलिटीशियन

इस बात को जानते होंगे, आपके घरों में बुज़ुर्गों की भीड़ आती होगी, माताओं और बहनों की भीड़ आती होगी। हमारे बड़े-बड़े बुज़ुर्ग हमारे घरों के चक्कर लगाते हैं तो हमें शर्म आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार साल तो मेरी स्टेट में हो गया लेकिन चार साल तक कोई पैंशन ही नहीं लगी। चार साल से नई पैंशन नहीं लगी। क्या कोई बुज़ुर्ग ही नहीं हुए! जो पहले बुज़ुर्ग थे, पैंशन की आस में थे लेकिन उनकी पैंशन नहीं हो पाई और वे मर भी गए। मुझे अफसोस है कि जवानी के दिनों में मैं हूँ या कोई और हो, सबका दिमाग आसमान पर होता है। बुज़ुर्गों का दिमाग घर-घर में ज़मीन चाट रहा है। वह बुज़ुर्ग कितनी ठाट-बाट वाला आदमी, कितनी पगड़ी पहनने वाला आदमी, आज कितनी ज़िल्लत की ज़िन्दगी जी रहा है, फटे कपड़ों और लिबास में घूम रहा है। वह औरत जो इतने अच्छे कपड़े पहना करती थी, वही औरत आज इतनी फटी चप्पलें और फटे-चीथड़े पहने घूम रही है। आप कभी नोट करें कि वे सोते कहाँ हैं। मेजॉरिटी में बुज़ुर्गों का कोई बैडरूम नहीं होता, मेजॉरिटी में बुज़ुर्गों का सोने के लिए कोई कमरा नहीं होता। बुज़ुर्गों का सोने का कमरा क्या है - वरांडा होता है, वरांडा से बाहर भी होता है। कहते हैं कि खाँसता है, थूकता है, बोलता है, चीखता है, शाम को तंग करता है, सोने नहीं देता। यह शर्म की बात है। मैं जनाब को कहना चाहता हूँ कि सरकारें दम रखें, सरकारें चलानी हों तो समझ होनी चाहिए कि सोसाइटी कहाँ इनसिक्योर है। यहाँ सबसे बड़ी मिलिटैन्सी का शिकार तो इस देश के बुज़ुर्ग हो रहे हैं। सबसे ज़लील ज़िन्दगी वे बुज़ुर्ग जी रहे हैं।

महोदय, मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। मुझे किसी ने कहा कि वहाँ कैसीनो ज़रूर देखना। मैं देखने गया। मैंने वहाँ कोई 80 वर्ष के, कोई 90 वर्ष के, कोई 85 वर्ष के बुज़ुर्ग औरतें और मर्द देखे। वे वॉकर और छड़ी के सहारे चल रहे हैं, गाड़ी पर चल रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं - वे जुआ खेल रहे हैं। च्ण्ड्डन्र ड्डद्धड्ड ड्डदत्र्दृत्र्दश्र द्यण्ड्ड थ्ढड्ड, और हमारा बुज़ुर्ग रोटी माँग रहा है। हमारा बुज़ुर्ग कपड़ा मांग रहा है और हमारा बुज़ुर्ग फटा-फटीचर घूम रहा है। शर्म है शर्म? दम है क्या, यह मैं कहना चाहता हूँ। यह बड़े अफसोस की बात है कि हम बुज़ुर्गों को पैंशन तक नहीं दे सके। मैं कहना चाहता हूँ कि अग्रवाल साहब ने बड़ा पुण्य किया है और कुछ लोगों ने इन बुज़ुर्गों का मज़ाक उड़ाने की कोशिश की है। कहते हैं कि 200 रुपये ले लो। फाइल बनाई और बुज़ुर्ग सारा दिन उनकी पैंशन की फाइल बनाकर घूम रहा है। दफ्तर-दफ्तर घूम रहा है, पैंशन लो, पैंशन दो। मुझे कहते हैं कि चार साल हो गए मुझे पैंशन नहीं मिली, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा कुछ इंतज़ाम करो। चौधरी लाल सिंह कितने बुज़ुर्गों का इंतज़ाम कर पाएगा, क्या कर पाएगा? एक पोलिटीशयन है जो गरीबों और बुज़ुर्गों की सुनता है। ऑफिसर तो उसको कमरे से बाहर निकालता है कि बाहर निकालो, ये बूढ़ा बार-बार आ जाता है। वह बेचारा इसलिए आता है कि वह तकलीफ़ में है, चलो कुछ पैसे मिल जाएँ। मेरी जनाब से विनती है कि सरकार हिम्मत करे और बुज़ुर्ग को पैंशन दे, उसकी रोज़ी-रोटी

का इंतज़ाम करे। सरकार कम से कम एक बुजुर्ग को 2000 रुपये या 5000 रुपये प्रति महीने से कम की राशि न दे। बुज़ुर्गों के मामले में सरकार यह भी न देखे कि यह बीपीएल है या एपीएल है। बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग है, चाहे वह माँ है, बाप है, नाना है या दादा है। जो भी बुज़ुर्ग हैं, उनको गवर्नमैंट द्वारा बिना किसी कास्ट, कलर, क्रीड देखे और बिना एपीएल, बीपीएल के भेदभाव के पैंशन मिलनी चाहिए। कोई बुज़ुर्ग पैंशन ले या न ले, यह उसकी चॉइस है। लेकिन बुजुर्ग से पूछते हैं कि क्या तुम बीपीएल हो? विडो को पूछते हैं कि तुम अभी चालीस वर्ष की नहीं हुई हो या पचास वर्ष की नहीं हुई हो। जब वह विधवा हो जाती है, दो या चार बच्चे उसकी गोद में हैं, तो उसके आगे क्या प्रश्न किया जाता है? क्या विधवा होने के बाद वह अमीर हो जाती है? उसका घर वाला चला गया, उसे बच्चे पालने हैं, वह कैसे बच्चों को पालेगी? मैं कल किसी की पेन्ची कर रहा था। मैं हैरान हूं, क्योंकि वह करोड़ोपति है। उसकी एक बहु है और पोता-पोती है। उनके लिए पैसे गिने जा रहे हैं कि देने कितने हैं? वह कह रही है कि मेरे बच्चों को पढ़ाओ, उनको एजुकेशन दो। बुजुर्गों को कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग बहुत फिलोसिफी मारते हैं। हम पॉलीटिशियन्स हैं, हमारी सरकार है। किसी की रीज़नल सरकार है तो किसी की केन्द्र में सरकार है। हम बहुत बड़े लोग यहां बैठे हैं। हम लोगों में इतना ब्रेन है, फिर भी हम बुजुर्गों को बाज़ार में घुमा रहे हैं। मेरी जनाब से विनती है कि इस पर फैसला होना चाहिए कि बुजुर्गों के लिए रोज़ी, रोटी का इंतज़ाम होना चाहिए। उसका अच्छे से जीवन निर्वाह होना चाहिए। उनके बच्चों को उनको अपने साथ रखना चाहिए। यह बड़े अफसोस की बात है कि बुजुर्ग अपने पोते-पोतियों को किस नहीं कर सकता है। वह अपने पोते-पोती को गले लगाने के लिए तरसता है। पोते-पोतियों को खिलाने के समय उसे आश्रम में बैठा देते हैं। वह रोता है, क्योंकि वह जीना चाहता है, वह उनसे मिलना चाहता है। क्या यह सैन्सीबल है? इस सब को कौन रोकेगा? मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो बुजुर्गों के लिए जो काम करेगा, उसको दुनिया पूजेगी, उसकी रिसपैक्ट करेगी। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो दुनिया कहेगी कि कई मंत्री आए और चले गए। ऐसे बहुत से मंत्री हैं जो कुछ नहीं देते हैं। आपको ढपोरशंख नहीं बनना है। आप प्लान कीजिए और जो गलतियां हैं, उनको ठीक कीजिए और बुजुर्गों का ख्याल कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, मैं श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी के विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इनको धन्यवाद भी देता हूं क्योंकि यह बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण विषय है। यह सामयिक विषय इसलिए है क्योंकि जो संयुक्त परिवार था चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो या सिक्ख हो, वह आज टूट रहा है या टूट गया है। केवल गरीब ही नहीं अपितु सम्पन्न या खाते-पीते परिवार में भी बुजुर्गों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह गयी है और कोई जवाबदेही लेना भी नहीं चाहता है। श्रवण कुमार की संस्कृति खत्म हो गयी है। लोग कहते थे कि इनके बाल-बच्चे श्रवण कुमार हैं। आज वह श्रवण कुमार की संस्कृति समाज में नहीं है। इसलिए यह सामयिक और महत्वपूर्ण विषय है।

महोदय, यह जो बिल लाए हैं उसकी धारा 60 में सीनियर सिटीजन की परिभाषा दी है। इस पर अभी तक कोई उपयुक्त कानून नहीं बना है। भारत सरकार ने जो पेंशन योजना लागू की थी, उसकी आयु सीमा 65 वर्ष की थी। वृद्ध और वृद्धा के लिए 65 वर्ष की आयु में जब यह स्कीम लागू की गयी थी तो उसमें एक टारगेट था। इसलिए वह सभी को नहीं मिलती थी। इसमें टारगेट था और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे। इस तरह से उसमें दो बंदिश थीं। यह सभी लोगों को नहीं मिलती थी। सरकार ने आयु सीमा को घटा कर 60 वर्ष कर दिया, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बना है कि सीनियर सिटीजन की आयु सीमा क्या होगी? सरकार के जो कार्यपालक आदेश हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत यह चल रहा है कि 60 वर्ष की उम्र वालों को पेंशन मिलेगी। रेलवे भी यह मानता है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, हवाई जहाज़ में यह 65 वर्ष से नीचे नहीं है। सीनियर सिटीजन के मामले में इसमें एकरूपता नहीं है।

अग्रवाल साहब, जब आपने यह बिल बनाया तो इसमें इसका उल्लेख होना चाहिए था कि इसके लिए भी कोई कानून बने। सीनियर सिटीजन को आपने 60 वर्ष माना है, इसलिए कि सरकार ने पेंशन के लिए इसे 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया है। देश में सीनियर सिटीजन के लिए जो विभिन्न विभाग और मंत्रालय हैं, उनमें इस पर एकरूपता नहीं है। दो साल पहले सरकार ने पेंशन को बढ़ाकर 100 रुपये से 200 रुपये और 200 रुपये से बढ़ाकर अब 300 रुपये कर दिया, और उम्र को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया। मैं 60 वर्ष को मान लेता हूं। अब टारगेट नहीं है। पहले टारगेट था कि गांव में कितने प्रतिशत ऐसे लोगों को पेंशन मिलेगी जो ओल्ड एज हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं। इसलिए उसमें दस प्रतिशत लोगों को या पन्द्रह प्रतिशत लोगों को पेंशन मिलती थी। इससे सारे लोगों को यह नहीं मिलता था, कुछ लोग छूट जाते थे। उसमें चयन होता था तो उसमें बहुत पक्षपात होता था। भारत सरकार ने अच्छा काम किया कि 65 वर्ष से 60 वर्ष कर दिया, और 200 रुपये से 300 रुपये कर दिया। जो लोग 80 वर्ष और उस से ऊपर हैं,

उनके लिए 500 रुपये कर दिया। कई राज्य सरकारों को यह छूट है कि इस पेंशन में राज्य सरकार भी अपने राज्यांश देकर उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में यह करीब 600 रुपये मिलता है। इसका मतलब कि 300 रुपये से ज्यादा मिलता है। कुछ प्रदेशों में 400 रुपये मिलता है, 500 रुपये मिलता है, 600 रुपये मिलता है। लेकिन, जैसे हमारा प्रदेश है, उसमें भारत सरकार ने जो 300 रुपये पेंशन दिया है, वह 300 रुपये ही मिलता है। उसमें राज्य सरकार ने अपनी तरफ से वृद्धि नहीं की है। इस बिल में आपने पेंशन में राज्य सरकार की चर्चा की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चर्चा की है। लेकिन, जो पेंशन दिया जा रहा है उसमें सभी राज्य सरकारों पर अपनी तरफ से जो जवाबदेही है, उसमें एकरूपता नहीं है। भारत सरकार ने जो दिया है, बहुत सारे राज्यों में यह ही मिलता है, बहुत सारे राज्यों में नहीं मिलता है। लेकिन, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है। जो परिवार संयुक्त था, वह टूट रहा है। बाप-बेटे में रिश्ता नहीं रह गया है क्योंकि जब बेटा इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर वह परिवार लेकर अलग हो जाता है। अगर वह मजदूर वर्ग है और शहर में रोज़गार करता है तो वहां पत्नी को ले आता है, बच्चे को ले आता है और उसका बाप अभी भी गांव में है।

हमने इसे देखा है। दो साल पहले हम एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव से घूमने के लिए जा रहे थे। जब लौटकर आए तो एक वृद्ध आदमी हमारी प्रतीक्षा में खड़ा था। यह वर्ष 2009 की घटना है। हमने देखा कि उसका हाथ टूट गया है। वह उसे बांधे हुए था। हमने पूछा कि क्या है तो उसने कहा कि मेरा हाथ टूट गया है, मुझे 200 रुपये पेंशन मिलता है और यह भी रेगुलर नहीं मिलता है, बराबर नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार ने कोई एक श्रृंखला या टाईम तय नहीं किया है कि पेंशन सैंक्शन करने, राज्य सरकार के पास जाने, और उसको डिस्बर्स करने का, उसके भुगतान का क्या सिस्टम होगा? इसमें कभी-कभी छः-छः महीने और कभी-कभी नौ-नौ महीने लगते हैं। कभी दो महीने का पेंशन मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। इसलिए खाने-पीने की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि बेटा नहीं खिलाता है, परिवार नहीं खिलाता है। दवा के लिए डॉक्टर चाहिए तो इसकी व्यवस्था नहीं है।

मैं माननीय सदस्य महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने बिल में सोशल सिक्यूरिटी को परिभाषित किया है, क्योंकि यह तो वेल्फेयर स्टेट है। डेमोक्रेटिक स्टेट के साथ-साथ यह लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार पंसारी की दूकान नहीं होती है कि घाटे और मुनाफे पर चलती रहे कि कहां कितना पैसा खर्च होगा। सरकार तय करती है कि समाज में जो अपंग हैं, जो निराश्रित हैं, और जो असुरक्षित हैं, ऐसे लोगों को हम सुरक्षा दें, ऐसे लोगों का हम कल्याण करें। इसमें सबसे ज्यादा तो बुजुर्ग हैं, पेंशन पाने वाले लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। इसमें इन्होंने जो परिभाषा दी है, आपने इसमें ठीक किया है कि उसमें फुड और हेल्थ केयर के साथ-साथ उन्हें शेल्टर चाहिए।

लाल सिंह जी ने अभी जो कहा है तो लाल सिंह जी ने ठीक ही नैरेट किया है। भले ही उनकी बात किसी को पसन्द हो, न हो, लेकिन उन्होंने तथ्य कहा है...(व्यवधान) उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बुज़ुर्गों के साथ घर में कैसा व्यवहार होता है। माता-पिता का नाम वहां लेते हैं, जहां उनको सुविधा एवं लाभ चाहिए। घर में माता-पिता को तिरस्कृत करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। वे कराहते रहते हैं, उनको पीने के लिए एक लौटा पानी तक नहीं मिलता है, खाने की बात तो दूर है। ऐसे समय में सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। सीनियर सिटीजनशिप की जो परिभाषा है, मैं मांग करता हूं कि इस बिल में सरकार जब विचार करे तो इस बात पर भी गौर करे कि सीनियर सिटीजन को हमें परिभाषित करना है। उम्र की सीमा तय करनी है, क्योंकि अभी एकरूपता और समरूपता नहीं है। 60 और 65 का अंतर्विरोध चल रहा है कि उम्र सीमा क्या हो। इसलिए उम्र सीमा तय करनी है। उसके लिए सेंटर हाउस, जो आश्रम है, वहां आश्रय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा, बहुत सारे घरों में बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जाता है। उन्हें वहां से निकाल कर कोई टूटा-फूटा जो रूम है, उसमें आश्रय देते हैं। अगर उसमें भी उन्हें आश्रय नहीं मिलता है तो वे भाग जाते हैं।

मैं अभी एक गांव में गया था, मुझे वहां पता चला कि एक आदमी का बेटा टीचर है। उसकी पत्नी मुखिया के पद के लिए खड़ी हो गई। उसका पिता इसलिए मर गया, क्योंकि उसके पास एक कम्बल तक नहीं था। उसे पुतहू ने कम्बल नहीं दिया, बेटा कुछ बोल नहीं सकता है। एक 70 वर्ष का व्यक्ति है, उसको उसकी बेटी का बेटा आकर ले गया। उसको खाने के लिए नहीं दिया और बाहर मवेशी घर में उसकी सास, लड़के की मां सोई हुई थी। वह जो कपड़ा ओड़ कर सोई हुई थी, उसकी पुतहू ने आकर उसे छीन लिया और फिर उसे पीटा। उसके बाद उसकी बेटी को खबर दी, तो बेटी ने अपने बेटे को भेजा और वह उसे ले गया। ये कहानी आम हो गई है। जो सीनियर सिटीजन है, चाहे औरत हो या मर्द हो, समाज में ये घटना घट रही है। अगर उसे ओल्ड ऐज़ पेंशन मिलेगी, उसकी सुविधा रहेगी तो ही उसे उसके परिवार वाले पूछेंगे। मेरे स्टेट में बीपीएल को वेरीफाई करने वाला नहीं है। मैं लाल सिंह जी की बात से सहमत हूं कि ओल्ड ऐज़ में बीपीएल, एपीएल की सीमा नहीं होनी चाहिए। हमने देखा है कि जो सम्पन्न परिवार के लोग हैं, उन पर बहस होती रही है। सब लोगों ने विवाद किया है कि जो बीपीएल की सूची है, वह विश्वसनीय नहीं है और जो सम्पन्न लोग हैं, वे बीपीएल में हैं और जो दरिद्र व्यक्ति है, गरीब परिवार का गरीब व्यक्ति है, वह बीपीएल में नहीं है। बीपीएल में जो नहीं है, उसे पेंशन नहीं मिलती है और जो सम्पन्न व्यक्ति बीपीएल सूची में है, उसे पेंशन मिलती है। अग्रवाल साहब ने इस मामले में सीनियर सिटीजनशिप में जो भेदभाव होता है, इसमें टारगेट नहीं है, उस पर इस बिल में विचार नहीं किया है। हो सकता है कि आपके दिल्ली प्रदेश में ये मामला नहीं हो, लेकिन हमारे यहां है। एक सौ व्यक्तियों की एक गांव में इसके लिए पात्रता है। उनको

मिलना चाहिए, लेकिन जब उनके क्षेत्र एवं जिले में जाते हैं, दूसरे जिलों में पोलिटीकल टूर पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर 70-80 साल के बूढ़े एवं बूढ़ियां हैं। कई बार पेटीशन दिया है, ओल्ड ऐज़ पेंशन नहीं मिलती है। 80-82 साल का जो हो गया, उसे पांच साल ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए। अगर वह पेंशन होल्डर है तो उसको और नहीं मिलता है। जिसको पेंशन मिलती है, उसको कहते हैं कि ऐज़ का प्रमाण-पत्र ले आइए। ये सारी चीजें हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनको परेशानी है। इसलिए इसके लिए एक कानून सरकार बना ले और पेंशन देने में जो विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करे। तीन सौ रुपए पेंशन कम हैं, इसमें वृद्धि होनी चाहिए ताकि उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो, भोजन की व्यवस्था हो, कपड़े की सुरक्षा हो और कोई बेटा तभी पूछेगा। गांव में एक कहावत है कि पुतहू अपनी सास की सेवा तभी करती है, क्योंकि उसके पास जेवर है। वह लोभ से सेवा कर रही है कि जब वह मरेगी तो वह जेवर मेरा हो जाएगा। उसी तरीके से ओल्ड एज का जो सीनियर सिटीजन है, अगर उसे पांच सौ या एक हजार रूपए पेंशन मिलेगी तो उसकी सेवा होगी, उसको खाना मिलेगा। वही बेटा उसे देगा, जो अभी उसे तिरस्कृत करता है, वही पुतहू देगी, जो उसे तिरस्कृत करती है, क्योंकि जीवन की एक गारंटी मिलेगी, जीवन के बारे में एक सुनिश्चित्तता मिलेगी। इसलिए सरकार को चाहिए, यह लोक-कल्याणकारी राज है, सरकार इस विधेयक को मान ले।

महोदय, मैं श्री जयप्रकाश अग्रवाल साहब को धन्यवाद देता हूं कि आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपकी इतनी संवेदना ओल्ड सिटीजन, सीनियर सिटीजन के बारे में आ गयी, हम लोग जब अपने क्षेत्र में, जिले में जाते हैं या अपने प्रदेश में घूमते हैं, तो बुजुर्ग की जो दशा देखते हैं तो समझते हैं कि सरकार के द्वारा पेंशन देने के बावजूद भी कोई मैथड नहीं है, जिससे इस बात की गारंटी हो, कोई पदाधिकारी नहीं है जो इस बात की अंडरटेकिंग दे कि हमारे जिले में पात्रता वाले शत-प्रतिशत लोगों को ओल्ड-एज पेंशन मिल रही है और अमुक तारीख तक कोई वंचित नहीं है। इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस बिल में इसका भी प्रोवीजन होना चाहिए, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि एक निश्चित तारीख तक अंडरटेकिंग दे कि हमारे यहां कोई व्यक्ति इस तारीख को वंचित नहीं है। 31 मार्च, 2013 तक हमारे यहां कोई वंचित नहीं है, जिसे पेंशन नहीं मिल रही है। इस बात का प्रोवीजन होना चाहिए। सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस बिल को स्वीकार कर ले, यह बहुत अच्छा है। इसमें जो संशोधन करना है, संवर्धन करना है, वह सरकार करे।

मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सामयिक बिल प्रस्तुत किया है और सरकार को इस बिल पर विचार करना चाहिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I extend my full support to the Bill that has been introduced by our good friend Shri Jai Prakash Agarwal. I would be happy if he can tell us whether he is himself a senior citizen or not. Most of us who have participated in this discussion invariably agree with him because this is very timely as Shri Mangani Lal Mandal has just now mentioned.

The involvement of finance comes to around, as per his calculations, Rs.700 crores from the Consolidated Fund of India and another non-recurring expenditure of around Rs.7 crore. I would be happy if, other than piloting this Bill in this House, the hon. mover of this Bill also draws attention of the Finance Commission towards this problem relating to the senior citizens which the country is facing today.

Two major aspects have been propounded in this Bill. Firstly, 'duty of the appropriate Government to provide social security to all senior citizens'; and secondly, 'shall be paid monthly pension of such rate as may be prescribed by the appropriate Government'. These are the two major issues, other than what he has already narrated in the Bill. 'The Central Government shall, after due appropriation made by law by Parliament in this behalf, provide adequate funds to the State Governments for carrying out the purpose of this Act'. So, this is one of the major riders of this Bill.

Another issue which he has mentioned which I will be delving at length while discussing the Bill is that 'Government may establish and maintain old age homes at accessible places in each district'. This is a laudable suggestion which the hon. Member has put forth. Senior citizens are a neglected lot in a society when the family is fragmented. Flight of youngsters to earn their livelihood causes urbanization to take place in a major way. These are the three major causes which actually put senior citizens into difficulty and therefore, nuclear families are there.

It has become a necessity to live in urban areas with nuclear families and the traditional joint family is breaking down, which is an asset of Indian society. It is the break down of family that has multiplied in this post-modern world, which has put senior citizens into a lot of difficulty.

It was in 1991, as has been very rightly mentioned by our senior colleague Shri Jai Prakash Agarwal while piloting this Bill, that the United Nations urged all the Governments to formulate policies for the benefit of senior citizens. Shri Jai Prakash Agarwal has moved this Bill to make provision for financial security, to make provision for medical care and to make provision for shelters for the senior citizens. As per 2001 Census, the total population of senior citizens was 7.7 crores. The share of the people aged 60 years and above in the total population is the highest in Kerala, which is 8.82 per cent followed by Himachal Pradesh with 8.12 per cent and Punjab with 7.85 per cent. I would be happy if the Government also tells us the proportion of senior citizens especially in the areas, where the tribal people reside, of different States. Is it that many tribal people do not reach the age of 70 because of lack of medical care, because of lack of nutritious food for their livelihood or because they do not get that much of support from the society to live a long life? That also needs to be taken care of by a welfare State, as has been just mentioned.

Continuous increase in life expectancy means that more people are now living longer, but this also gives rise to another problem. Old-age diseases are also being seen throughout our country. At one point of time, we heard that President Reagan was suffering from Alzheimer.

I had also tried to bring in a discussion relating to geriatric diseases and the need to have more of geriatric clinics in every district headquarter hospital. Today, there is a need to have a two-pronged strategy. One is to identify those people who are suffering from Alzheimer, who are suffering dementia, who are suffering from senility and who are suffering from other old-age diseases as a result of which they forget and cannot express themselves as to what they feel about their well-being.

That disease has become so endemic today that large number of families just fearing social boycott, do not express that senior citizens are suffering from Alzheimer or from dementia.

The greater problem is that we do not have today in our country large number of male nurses or female nurses to attend to this type of diseases. There is a need for them. I hope that when the Government responds to the Bill of Shri Jai Prakash Agarwal today or in future, it would cover the aspect of the need to have specific training because this is a different type of training that is required to attend to old-age people who suffer from Alzheimer or dementia. There are many of them who are tortured inside the house. They are just left in the lurch to die. There, the society has to come forward. The Government also has to extend a helping hand. I think, training is necessary, and providing a paltry sum of pension is not sufficient.

There is an old story, which I had read and I think that many of us must have read it during our primary school days. A young King who took over power said that there is no need to have old people in his country and that his country needs young people to march ahead. So, he told to do away with all the old people who are above a certain age because they are not productive for the society. This country faced drought continuously for seven years and no seed was available to sow in the fields. A young boy who had actually kept his old father secluded and hidden in a cellar asked his father as to what he should do. The advice was to plough the drains just beside the road and he will find little bit of seed. He did it, and after the rains came, the sprout came up. The King got the information that here is a boy who could plough the drains beside the road and there he found some sprout, which has come up. How could he do it? The young boy was called before the King, and the King asked him this. Where did you get this idea? It is not your idea as the country has suffered for the last seven years. How could he do this? Who gave him this advice? This boy thinking about his father's life and thinking about his own life first begged apology. He said that if my head will be upright,

then I can tell the truth to the King. The King asked him to do it and tell him the truth. This is how the King came to know that vigour of youth is necessary for progress of the country, but the sane advice of the old people is necessary to keep the country growing. Ultimately, this is how the King came to know that the decision that he had taken some 7 or 8 years back was not the right decision.

While narrating this story, I am also reminded of another story. I hope the Minister of Tribal Affairs and Panchayati Raj is aware about Fakir Mohan Senapati, the father of Odiya literature who had written a short story 100 years back, that is, in the later part of the 19^{th} Century. The story's name is Daka Munshi. The story is about an old person who had devoted his full life to make his son literate so that he can become a Sub-Deputy. Ultimately, he is thrown out of his house because he does not live up to the standard to which his son has grown. I would just conclude the story in one line. Ultimately, the son came to know that how he has neglected his parents about which other Members have also spoken here. The amount of dejection that ultimately dawns on him because he has neglected his parents because of whom he has actually come to this earth was portrayed by Fakir Mohan Senapati some 100 years back in a story.

On an earlier occasion, I had visited Japan with the then Parliamentary Affairs Minister. There we came to know that a large number of villages are being abandoned. Some 20-25 years back the youth were abandoning the villages. But now the old people who were actually left behind to sustain themselves are forced to leave the villages. Practically, the villages are being de-populated. We had gone to a village near Nagasaki where number of villages are being de-populated. They are migrating to the urban areas just to sustain themselves. Villages are being abandoned and flight of people today is there even in our country. I do not know what is happening in Bihar, but in Odisha in my own constituency I have seen that whenever we go to a village either you see aged people or you see the youngest who are below 12 years of age. Only they are there in the village.

The productive age of our generation is between 15 and 55 years, but most of them have left the villages and have gone to other places, especially, to urban areas to earn their livelihood. This is happening and this is a very serious problem, which our rural area is facing. This also leads to the problem the old-age people are facing in the rural area. The Government of India and the Government of the respective States are also providing old age pension. They are providing medical care. They are providing some type of support, but what is greatly needed is empathy, which every old age person requires. When one visits Brindavan or when one visits Mathura, one can always find this out from the old age widows who are there.

Now, I come to the old age people living in the cities. When this Bill has been piloted by Shri Agarwal, I would fail in my duty if I do not mention this that it is not only in Delhi, even in Bhubaneswar and even in other urban areas, old people who live in these urban areas face another type of hazard – that hazard is not only they feel neglected by the society, but also their lives are in danger. Some people just bulldoze into their houses, murder them for some paltry sum and run away with it. Their children live in far off shores in different countries or live in far off places, and they have very little security.

Therefore, my suggestion would be that respective State Governments, and the police force also should be taken into confidence, provide them with some sort of electric connection which, when they are in danger, at least, they could press the bell that would ring in the nearby police station or outpost so that a dedicated police force could attend to their grievances.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): जब बिजली चली जाएगी तब क्या होगा?..(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : जहां बिजली नहीं है वहां लाठी से काम चलेगा। I would say there is a necessity to have a dedicated police force to look into the aspect, especially the security of older people.

I have been told by many old parents that the girl child is more attached to the old parents than the male child. I do not know about you, Sir, but I am

experiencing it myself, though I have not reached the age of 60. I am experiencing it myself, and with all love and affection for my son, I would say this. I am witnessing it in our society.

Therefore, my suggestion would be that the Government should promote the concept of aging in place or aging in one's own home. Home care service is also required. There is a necessity to recognize senior citizens as a valuable resource for the country and ensure that it provides them with equal opportunities and also protect their rights. It should ensure income security for them in their old age.

Lastly, I would say that media has a greater role to play. Media has a greater role to disseminate the information relating to the problems of the older people. Media has a greater role to highlight the changing situation of senior citizens today in the society. I would also urge upon the Government to involve mass media for the support of senior citizens of this country.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): मैं सबसे पहले बिल को सपोर्ट करते हुए श्री जय प्रकाश अग्रवाल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बाकी सदस्यों ने इस बिल पर काफी प्रकाश डाला है। मैं इसे दो आस्पैक्ट में रखना चाहता हूं - एक, इस बिल का फाइनैंशियल आस्पैक्ट क्या है और दूसरा, इसका सोशल आस्पैक्ट क्या है। अगर फाइनैंशियल आस्पैक्ट था तो जैसे इस बिल की स्टेटमैंट में लिखा है -

> "Senior citizens are often neglected by the members of their own families. Their problems have been increasing to such an extent that in the year 1991, the General Assembly of the United Nations had formulated the policy."

इसका मतलब यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, वहां भी सीनियर सिटिजन की प्रॉब्लम है। सीनियर सिटिजन की प्रॉब्लम को दो हिस्से में रखिए - एक, फाइनेंशियल ऑस्पेक्ट और दूसरा सोशल रेस्पेक्ट ऑस्पेक्ट। मैं पहले सोशल रेस्पेक्ट की बात करना चाहूंगा क्योंकि हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनोमी में सोशल ऑस्पेक्ट देखिए। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी में हमें डा0ईश्वरी प्रसाद हिस्ट्री पढ़ाते थे कि नेपोलियन कहा करता था कि nothing can beat the experience. एमिल लेडविग ने अपनी बायोग्राफी, जो नेपोलियन की सबसे बढ़िया बायोग्राफी है, में लिखा है कि नेपोलियन के पास 600 से ज्यादा जनरल्स थे। जब वह जनरल्स को सेलेक्ट करता था कि कौन इस लड़ाई में जाएगा, तो अगर दस जनरल्स शॉर्टलिस्ट हुए, उन दस में से अगर कोई बूढ़ा जनरल भी होता था, जिसके पास अच्छा अनुभव होता था, उसको वह सेलेक्ट करता था, even in the case of geographical hazards, youngster was better. नेपोलियन ने भी एक्सपीरिएंस को महत्व दिया। अगर एक्सपीरिएंस को महत्व दिया जाए, तो जब मैं वकालत करता था, तो मैंने देखा था, पता नहीं उनका नाम लेना यहां परमिटेड है या नहीं, एक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अनुभव से पांच साल सरकार चलाई, हालांकि उनके पास बहुमत नहीं था - डा0नरसिम्हा राव साहब। It is the experience that makes the sun shine. इसकी इम्पोंटेंस है। एक्सपीरिएंस हमारी माइथालॉजी में है कि जब 32वां दांत निकल आता है, जब आदमी 60 साल का हो जाता है, तब उसके विज़डम टीथ आते हैं। चौधरी लाल सिंह जी, जो अभी इतनी बहादुरी से अपना विक्टोरियस ओरेशन दे रहे थे, वह भी इसको समझ रहे हैं कि देर में अक्ल आती है। पता नहीं आपकी उम्र क्या है। इस पक्ष को भी अग्रवाल साहब देखें। एजुकेशनल कार्यक्रमों में बच्चों को बिल्कुल क्लास-वन से हाईस्कूल तक सीनियर सिटिजन्स को रेस्पेक्ट देने के बारे में लेसन्स शामिल किए जाएं। माता को कैसे

रेस्पेक्ट दी जाती है, पिता को कैसे रेस्पेक्ट दी जाती है, यह चीज बच्चों को कांशस होकर कॅरीकुलम में बताया जाए। ऐसा पहले पुराने जमाने में होता था। यह रेस्पेक्ट की बात है।

दूसरा, अब फाइनेंशियल ऑस्पेक्ट पर आइए। मैंने कहीं पढ़ा कि हैल्थ केयर की वजह से लोगों की लांगेविटी बढ़कर 66.1 वर्ष हो गयी है। पहले यह 57 थी, फिर 60 हुई, 63 हुई और अब 66.1 वर्ष हो गयी है। अगर यह कहा जाए कि सभी को, चाहे वह धनी हो या निर्धन, 2000 रुपये दिए जाएंगे, तो यह प्रैक्टिकल नहीं होगा, यह एक यूटोपियन थिंकिंग होगी। लेकिन मेरा कहना है कि आप इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कई रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, चाहे आईएएस हो या कोई छोटा ऑफिसर हो, जब उनकी उम्र 70-80 वर्ष की हो जाती है, तो उनको हर तीन महीने में अपनी शिनाख्त कराने के लिए ट्रेजरी जाना पड़ता है। आप इसको डिसपेंस-विथ कर दीजिए। तहसील लेवल पर जो सीनियर सिटिजन्स रहते हैं, उनको कचहरी और तहसील में न जाकर के, उनके लिए एक शिविर लगाया जाए, वहां के ऑफिसर्स दौरा करें और सीनियर सिटिजन्स की वेरिफिकेशन उनके घर पर जाकर करें, उनकी रेस्पेक्ट करें। इससे सीनियर सिटिजन्स को अपने मान और रेस्पेक्ट का ज्ञान होगा और उस गांव में, उस सोसाइटी में उनकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। I hope I can clarify very well. जैसे कोई डिप्टी कलेक्टर वर्ष 1950 में रिटायर हुआ। आज उसकी उम्र 89 साल है, वह जा ही नहीं सकते वहां, लड़का वहां नहीं है और अगर वह कार मांगता है तो 1000 रुपए या 2000 रुपए का उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाएगा इसलिए वह नहीं जा सकता। किस मुसीबत में वह वहां जाता है, इसे देखा जाना चाहिए। देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जब उनके पास रिकार्ड है, तो विंटर में जो अधिकारी दौड़ा करते हैं, वे उसके घर जाकर उसकी फोटो वेरिफाई कर सकते हैं। मेघवाल साहब रिटायर्ड आईएएस आफिसर हैं, यह समझते हैं कि कैसे दिक्कत आती है। जब तहसीलदार या केन्द्र सरकार का या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी उसके घर जाएगा तो उसकी कंवीनींयस भी ठीक होगी और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी।

सभापति जी, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा कि वैस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मेरे एक मित्र थे, काफी सीनियर थे, अब नहीं रहे। वह एक बार अमेरिका गए। उन्होंने बताया कि उनके बाल-बच्चे सोमवार को चले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से शनिवार-रविवार को मुलाकात होती थी। यह बात उन्होंने हमें 1975-1976 के समय बताई थी। उनके फ्लैट के बगल में एक वरिष्ठ महिला रहती थी और यह भी चूंकि बुजुर्ग थे इसलिए कभी-कभी इनसे बात कर लेती थी। इन्होंने बताया कि मैंने पांच-छः दिन तक देखा कि उसके घर के आगे दूध की बोतल, कुछ अखबार बाहर पड़े हुए हैं, कोई लेने नहीं आया था, क्योंकि उस वृद्धा का दरवाजा बंद रहता था। कुछ दिन बाद जब स्मैल आने लगी तो पता चला कि वह वृद्धा नहीं रही। तब वहां

पुलिस आई और उसकी जानकारी के मुताबिक पता चला कि उसे मरे हुए पांच-छः दिन हो गए थे। जब सोशल सिक्योरिटी से फोन किया गया उसके लड़के को, जो कनाडा में सर्विस करता था। जब उससे टेलीफोन पर सम्पर्क हुआ तो उसने कहा कि यह बैंक अकाउंट है, फ्यूनरल के जो डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर लें, पैसा जमा है तो सब कुछ फाइनल कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास आने का समय नहीं है। यह बात जब हमारे उन मित्र, जिनका नाम गजाधर प्रसाद भार्गव एडवोकेट था, को पता चला कि ऐसा वाक्या हुआ है तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि फौरन मेरा भारत जाने का टिकट बुक करा दो, मैं यहां अब और नहीं रहना चाहूंगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि कोई कंट्री अगर फाइनेंशियली वैलआफ हो, या लोग वैलआफ हों, उनका ट्रीटमेंट अच्छा होता हो। जैसा कि अभी मेघवाल साहब ने भी एक किस्सा बताया था कि जब इनकम टैक्स की रेड हुई तो तहखाने में उनके मां-बाप थे। मैं जब युनिवर्सिटी में था तो वहां हॉस्टल में रहता था। उस युनिवर्सिटी में आईएएस पैदा होते थे। मैं बीए का विद्यार्थी था। मैंने एक दिन देखा कि एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने एक लड़के के बारे में पूछा, वह लड़का पढ़ने गया हुआ था। हमने कहा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उस लड़के का पिता हूं। जब मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे पिता जी आए थे, वह देहात के थे। इस पर उस लड़के ने शर्म के मारे कहा कि वह मेरे पिता नहीं हैं। I remember, that boy later on qualified for IAS and he has recently retired. हमको इतनी झेंप लगी और इतनी ग्लानि हुई कि तब से उस लड़के के बारे में मेरा नजरिया ही बदल गया। जो लड़का अपने पिता को इसलिए पिता कहने में कबूल नहीं कर रहा है कि उसका पिता गांव का देहाती है और धोती-कुर्ता पहनता है। यह मानसिकता है, हमको लगता है कि अग्रवाल साहब ने इसे कहीं न कहीं पहचाना। हालांकि अग्रवाल साहब जब हम नए-नए सांसद बनकर आए थे, यह हाउस कमेटी के चेयरमैन थे तो हमें मकान अलाट करने में काफी दिक्कतें हुई थीं। इन्होंने हमारी बुजुर्गियत भी नहीं देखी। उस समय मैं सीनियर सिटिजन था। चलिए, कम से कम देर आए-दुरुस्त आए।...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : आपको सब चाहते हैं।

श्री विजय बहादुर सिंह : यह तो मैंने ऑन दि लाइटर साइड कहा, क्योंकि माहौल बहुत डल हो रहा था।

MR. CHAIRMAN : You will always be a 'junior citizen' for us. Please continue.

श्री विजय बहादुर सिंह : धन्यवाद। अंग्रेजी में एक कहावत है, एच.जी. वैल्स ने एक स्टोरी लिखी है, उसका शीर्षक है - "If age knew and youth could". जैसे जोश और होश की बात, अभी हमारे माननीय सदस्य ने कही थी, इन दोनों का समन्वय और संगम होने से ही काम चलेगा। यह भी एक विडम्बना है कि

रेलवे में सीनियर सिटिजन की पर्टिकुलर उम्र है, हवाईजहाज में दूसरी है और अन्य जगह तीसरी है। आप सीनियर सिटिजन को अगर रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल नहीं है, जैसे रेलवे में आप रूल बना दें कि अगर कोई सीनियर सिटिजन की उम्र 70 साल हो या कोई भी हो, तो उसे लोअर बर्थ मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। अगर दो आदमी एसी-2 टायर में अप्लाई कर रहे हैं तो जो सबसे सुविधाजनक नीचे वाली सीट हो, वह सीनियर सिटीजन को दी जाए, इसमें क्या दिक्कत है। उसी तरह से रेलवे स्टेशन पर आप लाइन लगवा दीजिए और सीनियर सिटीजन में भी आप उम्र के हिसाब से डिविजन कर दीजिए। अस्पताल में अगर सीनियर सिटीजन दवाई के लिए जाता है तो सीएमओ को सख्त हिदायत होनी चाहिए कि they should be attended to on priority basis. अगर ऐसी बातें कानून के द्वारा शुरू हो जाएंगी जबकि हम जानते हैं कि कानून से यह सभी चीजें आप अचीव नहीं कर सकते हैं लेकिन कानून से एक शुभारम्भ तो हो सकता है। इस तरह से भी इन्हें लाभ दिये जा सकते हैं। सिविलाइजेशन और नेशन का बैरोमीटर तभी माना जाए कि किस देश में बुजुर्गों का कितना आदर है? अगर किसी देश या सभ्यता में बुजुर्गों की इज्जत नहीं है, आदर नहीं है तो उसे सभ्यता का दर्जा नहीं मिलेगा और न ही वह सर्वाइव कर सकेगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस डिबेट को आप कितना भी लम्बा कर सकते हैं लेकिन इस बिल की जो भावना है उसे पकड़ा जाए और अगर यह बिल पास होता है तो इसकी भावना को डिवेलप करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि respect to the citizen is a respect to the age.

<u>16.57 hrs</u> (Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

सीनियर सिटीजन की जो सीनियोरिटी लिस्ट है वह मीणा साहब यूपीएससी से नहीं बनती है, जैसे आप 1970 के पुराने आईपीएस ऑफिसर हैं। चाहे आप कम्पीटेंट हों या इनकम्पीटेंट हों, आप 1970 बैच के ही रहेंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन की सीनियोरिटी लिस्ट बनाने वाला तो भगवान है। जब भगवान ने उसे सीनियर सिटीजन बना दिया है तो हम लोग उसे आदर दें। सीनियर सिटीजन को आदर देना यूनिवर्सल लॉ के नजदीक है। हम इसे आध्यात्मिक रूप में लाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान ने सीनियर बना दिया, ऐसा नहीं है कि सीनियर इन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, पता लगा कि आप जूनियर थे लेकिन आप एससीएसटी हैं तो आप सीनियर हो गये। जिसे भगवान ने सीनियर बना दिया, जिसकी उम्र 70 साल है, उसे आदर मिलना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी सी पैनल्टी क्लॉजेज भी लगवाइये। अभी स्वीडन में हुआ कि अगर एक मां ने अपने बच्चे को निगलैक्ट कर दिया तो मुसीबत हो गयी। वह बात इंडिया तक आई कि उन्हें भगा दिया और क्या-क्या हुआ। If you are neglecting a child and if you are ill-treating

a child, then you face the music and face the consequences. जब में अपने संसदीय क्षेत्र जाता हूं तो करीब दिन में एक बार शिकायत सुनने में आती है कि एक बुड्ढा किसान आता है कि मेरा लड़का नोएडा में मजदूर होकर चला गया और घर का ताला बंद है, मेरे लिए कोई खाना नहीं है, रोटी नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर दो कमरे का मकान है तो दोनों कमरे बंद करके बरामदे में सीनियर सिटीजन को छोड़कर चले जाते हैं। मैं चूंकि गांव से आता हूं उसका थोड़ा बहुत इंतजाम करवा देता था लेकिन वह इंतजाम हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें कोई पैनल्टी-क्लॉज भी लगाएं। उसकी चाहे जो भी प्रक्रिया हो लेकिन ऐसा होना चाहिए। हम जानते हैं कि माननीय अग्रवाल साहब से ज्यादा सीनियर सिटीजन को कौन जानता है।

17.00hrs

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am to inform the hon. Members that three hours have already been taken on this Bill thus almost exhausting the time allotted for its discussion. The House has to extend the time for further discussion on the Bill. Is it the pleasure of the House that the time for discussion on the Bill is extended till the discussion on the Bill is over?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time for discussion on the Bill is extended till the discussion on the Bill is over.

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, मैं रामायण की चौपाई आपको सुनाना चाहता हूं। मंत्री महोदया सदन में बैठी हैं। इनका फोरन और वैस्टर्न एक्सपोज़र है, हो सकता है कि इन्हें रामायण के बारे में न मालूम हो। आप अगर आजकल रामायण को कोट करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप देहाती हैं, लेकिन बाइबिल कोट करेंगे तो कहेंगे कि आप मॉडर्न हैं। मैं रामायण को कोट करना चाहता हूं कि जब भगवान राम समुद्र के किनारे पर थे और पूरी सेना वहां रुकी हुई थी। समुद्र उफान पर था। सभी समुद्र को रास्ता देने के लिए मना रहे थे। लेकिन जब सेना पानी के उफान के कारण समुद्र को पार नहीं कर सकी, तो भगवान राम ने कहा-

"विनय न माने जलधि जड़, जब गये तीन दिन बीत,
लक्ष्मण बाण सम्भालिए भय बिन होत न प्रीत।"

विनय माने प्रार्थना और जड़ माने इल्लीट्रेट, अनकल्चर्ड। न जल मानता है और न जड़ मानता है और तीन दिन बीत चुके हैं। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि बाण सम्भालो और बिना किसी डर के प्रीत नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि आप पेनल्टी क्लाज भी लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि आज

वरिष्ठ नागरिकों को रिस्पेक्ट दी जाए, तो ऐसा करना अनिवार्य है। मैं आपको बता रहा हूं कि यूनीवर्सिटी में एक लड़के ने अपने बाप को डिस्ओन कर दिया, क्योंकि बाप देहाती कपड़े पहनता था और प्रदीप जैन जी के जिले का ही लड़का था। मेरे कहने का मतलब है कि अगर चाइल्ड एब्यूज के लिए स्वीडन में माता-पिता के लिए मुसीबत हो गई, अगर सीनियर सिटीजन के लिए शिकायत हो कि he is being neglected by his children who are well-off, तो इसके लिए भी एक्शन और पेनल्टी क्लाज लगाने की व्यवस्था की जाए।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले जे.पी. अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अच्छा प्रयास किया है और मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ इस शोध चिंतन के लिए माननीय जयप्रकाश अग्रवाल ने विधि के लिए प्रस्ताव की जो सोच रखी है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। हमारे देश में जो भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज था, वह दिनों दिन विकृत होता जा रहा है। सामूहिक परिवार का रिश्ता समाप्त होता जा रहा है। माँ-बाप का आदर करने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति को फालो कर रहे हैं। विदेशों में बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां की संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे विदेशों में 18 साल का बच्चा स्वावलम्बी हो जाता है और माँ-बाप का उन पर कोई अधिकार नहीं रहता है। माँ-बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, तो सरकार द्वारा उनके लिए चिंता की जाती है। वैसे ही अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी रीति-रिवाज हमारे देश में आ रहे हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति विदेशों से प्रभावित होने की वजह से जयप्रकाश जी ने सोचा है कि कैसे हमारे देश में बुजुर्ग लोगों का अच्छा भविष्य हो सकता है।

हमारे देश में बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं जिससे जागरुकता उत्पन्न हुई है। कोई भी आदमी चाहे चाय बागान में काम करे या गांव में रहे, वे जागरुक हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना है। चाहे उनके पास खाना हो या न हो लेकिन उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। आजकल हम एक क्रांतिकारी बदलाव पोलियो के बारे में देख रहे हैं। पहले गरीब आदमी को मालूम ही नहीं होता था कि पोलियो क्या है। अब ऐसे प्रचार-प्रसार हो गया है कि सब बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए जाते हैं। अब पोलियो के बारे में लोगों में जागरुकता आ गई है। इसी तरह बुजुर्गों की देखभाल के लिए नई विचारधारा समाज में आनी चाहिए कि इनकी देखभाल कैसे की जाए। माननीय सदस्यों ने बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम होने चाहिए और उनकी सेवा के लिए ट्रेंड नर्सिस होनी चाहिए। हमारे यहां उलटा होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और स्कूल में टीचर रखते हैं लेकिन प्राइमरी में ऐसे ही रखते हैं। प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था भी इसी ढंग से होनी चाहिए। हम बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो लेकिन बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते हैं। अग्रवाल जी ने कुछ परिभाषाएं सोच कर रखी हैं। मैं दिल्ली में कम ही रहता हूं, सत्र के समय या मीटिंग के समय ही ज्यादा रहता हूं और बाकी समय में अपने गांव में ही रहता हूं। मैं वहां देखता हूं कि जो नौकरी वाले हैं या जिन्हें पेंशन मिलती है वे तो ठीक से रहते हैं लेकिन उनकी भी बहुत मजबूरियां हैं। हमें कोलकाता में इस तरह के बहुत मामले देखने को मिलते हैं। आजकल छोटे न्यूक्लियर परिवार में बच्चों को बहुत पढ़ाते लिखाते हैं और मां-बाप अकेले रहते हैं, उनके पास पैसा होते हुए भी उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ जिन्हें पेंशन नहीं मिलती, जो खेती करते हैं या चाय बागान में काम करते हैं, उन्हें सरकार

कुछ देती है। आजकल की आर्थिक व्यवस्था में बच्चे अपनी कमाई में मां-बाप का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बोझ हैं और उन्हें निकाल देते हैं। चाय बागान में सिस्टम है कि नौकरी या मजदूरी करते हैं तो 58 साल में रिटायर होने के बाद ग्रेच्युटी मिल जाती है। यह अब कानून बनने के बाद मिल जाती है। पेंशन बहुत मुश्किल से मिलती है और कभी नहीं भी मिलती है। जब तक ग्रेच्युटी का पैसा मां-बाप के पास रहता है बच्चे उनकी देखभाल करते हैं और बाद में घर से निकाल देते हैं। इस स्थिति में मां-बाप के पास कुछ काम करने की हिम्मत भी नहीं रहती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे गरीब जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनका हिसाब रखा जाए। जिस तरह शिक्षा के लिए प्रावधान हो गया है इसी तरह बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। स्कूल में शिक्षा के लिए पैसा टैक्स से आता है। इसी तरह बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। मान लीजिए आज मैं जवान हूं लेकिन बुढ़ापे में नहीं पता कि मेरा बेटा मेरी देखभाल करेगा या नहीं। मेहताब जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि भारत में मां-बाप लड़कियों से ज्यादा लड़कों का ख्याल करते हैं इसलिए भ्रूण हत्याएं होती हैं। इस तरफ एक सामाजिक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारे यहां काफी कुरीतियों का निदान हुआ है। पहले सती प्रथा थी कि विधवा हो जाए तो जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय जी इस प्रथा में परिवर्तन लाए, समाज में जागरुकता लाए। बुजुर्गों की अंत समय में अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। रेलवे में कभी सीनियर सिटिजन की आयु 60 वर्ष से कम और कभी ज्यादा रखी जाती है। मेरा निवेदन है कि इसे निश्चित करें। पेंशन और भरण पोषण को मापने के लिए एक अलग मापदंड होना चाहिए। विशेषकर गांव में किसान खेती या मजदूरी करते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनाइज सैक्टर सरकार उठा रही है। सोशल सिक्योरिटी और पेंशन के मामले में आगे क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि जय प्रकाश अग्रवाल जी ने सोच समझकर बिल रखा है इस पर निश्चित तौर पर विचार करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आज हम जवान हैं और आगे बुजुर्ग होंगे। इस मुद्दे के बारे में सोच समझकर कानून और व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि आने वाले समय में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिले। इस संबंध में माननीय सदस्य जिस सोच के साथ बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि भविष्य में बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत विधेयक बने।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.बलराम नायक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी और चौधरी लाल सिंह साहब का धन्यवाद करता हूं। यहां 10-12 सीनियर मैम्बर्स बोल चुके हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें रैस्पैक्ट भी पे करता हूं। उन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी चीजें बताईं। ओल्डर पर्सन्स के लिए नेशनल पालिसी 1999 में लाई गई। सीनियर सिटीजन्स के लिए फूड सिक्युरिटी, फाइनैन्स सिक्युरिटी एंड हैल्थ केयर की पालिसी 1999 में लाई गई थी। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स के लिए 2012 में नेशनल काउंसिल एक डिस्ट्रिक्ट में पालिसी लाई गई। उस पालिसी के तहत एनजीओज, गवर्नमैन्ट के सीनियर सैक्रेटरीज और एक्सपर्ट सीनियर मैम्बर्स को लेकर एक कमेटी बनाई गई और 2012 में पालिसी लाई गई। उसके बाद मेन्टिनेंस एंड वैलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स के लिए 2007 में एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट में यह प्रावधान था कि जो प्रोपर्टी बच्चों को दे दी जाती है, उस प्रोपर्टी को बुजुर्ग लोग वापस ले सकते हैं। अगर बच्चे बूढ़े लोगों की देखभाल नहीं कर पाये तो प्रोपर्टी को उनसे रिटर्न लेने का एक एक्ट 2007 में लाया गया था। उसके बाद इंटरोगेटिड प्रोग्राम फार ओल्डर पर्सन्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें ओल्ड एज होम, डे केयर सैंटर, मोबाइल मैडिकल हैल्थ आदि को शामिल किया गया। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफैंस में हमारी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ से यदि कोई गांवों में बुजुर्गों की देखभाल कर रहा है तो ऐसे लोगों को हमारे यहां से लोग जाकर ट्रेनिंग देते हैं। यदि सीनियर सिटीजन्स के लिए वहां कोई देखभाल करने वाला हो, सोशल सर्विस करने वाला हो, एनजीओज हो तो हमारे सोशल जस्टिस डिपार्टमैन्ट के लोग जाकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं।

चौधरी लाल सिंह : यह कहां होता है?

श्री पी.बलराम नायक : सोशल जस्टिस डिपार्टमैन्ट से हमारे आफिसर्स गांवों और डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, वे वहां के कलक्टर को इत्तिला देते हैं, वहां के तहसीलदार उन्हें बताते हैं कि यहां कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए यदि कोई सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं तो उन्हें ट्रेनिंग देकर सोशल सर्विस के लिए भेजते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर के नेशनल प्रोग्राम फार हैल्थ में पंचवर्षीय योजना में हमने अब तक 3000 करोड़ रुपये लिये हैं। ये तीन हजार करोड़ रुपये फाइव ईयर प्लान में सीनियर सिटीजन्स के लिए खर्च करने के लिए रखे गये हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डैवलपमैन्ट सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देती हैं। साठ साल तक के लोगों के लिए यह पेंशन 300 रुपये है। साठ साल से अस्सी साल तक के लोगों के लिए यह पेंशन पांच सौ रुपये है। कुछ राज्यों में मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु को मैचिंग ग्रांट में पांच सौ, छः सौ, सात सौ रुपये भी दे रहे हैं। दिल्ली में

सात सौ रुपये तक दे रहे हैं। हम आंध्र प्रदेश में मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं और कुछ राज्यों में नहीं दे रहे हैं। इस तरह से जो भी पैसा भारत सरकार से जा रहा है, वह पैसा उन लोगों को दे रहे हैं।...(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर में भी मैचिंग ग्रांट है। भारत सरकार तीन सौ रुपये दे रही है और मैचिंग ग्रांट में कुछ राज्य दो सौ रुपये मिलाकर दे रहे हैं, कुछ राज्य एक सौ रुपये मिलाकर दे रहे हैं और कुछ स्टेट्स में सरकार की तरफ से तीन सौ रुपये मिलाकर ओल्ड एज सिटीजंस के लिए मैचिंग ग्रांट दी जा रही है।

रेल मंत्रालय ने उनके लिए स्पेशल काउंटर्स की सुविधा दी है। रेल में उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीट का प्रावधान किया जा रहा है। रेल में नीचे की सीट देने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। मनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा उन लोगों को 50 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा उन लोगों को सिक्युरिटी और वे कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन या थाने में जा कर सिक्युरिटी मांगें तो उसके लिए सरकार इमिजिएट सिक्युरिटी दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा उन लोगों को ईयरली दो लाख रूपये तक इनकम टैक्स माफ किया जा रहा है। अभी मीणा साहब ने एक नई चीज़ बताई है, प्रॉपर्टी ऑफ रिटर्न मॉर्टगेज। अगर रिटर्न मॉर्टगेज करने से, सिनियर सिटिज़न को बैंक में प्रॉपर्टी मॉर्टिगेशन करने से, हमेशा उसके लिए कितने प्रावधान हैं, दो सौ रूपये, चार सौ रूपये, पांच सौ रूपये, जब तक वे लोग जिंदा रहते हैं, तब तक बैंक भी थोड़े स्टेट में दे रहे हैं। थोड़े स्टेट में इंप्रूवमेंट है और थोड़े स्टेट में इंप्रूवमेंट नहीं है। बाद में उस प्रॉपर्टी का एक रेट फिक्स कर के दे देते हैं। साहब, यह भारत सरकार ने किया है। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और रूरल डिवेल्पमेंट डिपार्टमेंट भी पेंशन दे रहा है।

इस बिल के लिए मैं श्री जयप्रकाश अग्रवाल साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वे इस बिल को वापस ले लें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सर, मुझे अपने पूरे पार्लियामेंट्री करियर में दो चीज़ की बहुत खुशी है। इसके बाद मैं मैंबर रहूं या न रहूं। एक तो राज्य सभा में फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन पर मुझे बोलने का मौका मिला। मेरा सवाल पहले नंबर पर आया जिस पर मेरी तकरार उस समय के होम मिनिस्टर से हुई थी। बाद में सरकार ने उस पेंशन को बढ़ा कर दस हज़ार रूपये किया था। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी। वही समय आज है। हम बहुत सारे बिल लगाते हैं। कोई आता है, कोई नहीं आता है। बैलेट में नहीं आता है। यह बिल बैलेट में भी आया है। इस पर चर्चा भी हुई। सबको बोलने का मौका मिला है। कम से कम आपके सामने हम अपनी बात और वह दर्द रख सके, जिस चीज़ से आम जनता बहुत ही पीड़ित है। यह साधारण बिल नहीं है। मुझे इस बात के लिए सैकड़ों फोन आए कि जयप्रकाश अग्रवाल तुमने बहुत अच्छा काम किया है और जो बातें तुमने वहां रखीं, वे उन लोगों की बातें हैं, जिन बातों से आम ज़िंदगी में सिनियर सिटिज़न बहुत पीड़ित है। मैं इस बिल को वापस लूँ या नहीं लूँ या आप सिलेक्ट कमेटी को भेजें, यह मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करने वाले हैं। मैं तो यह आशा करता था कि आप मेरी बात मान कर, जो ट्रैडिशन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बनी हुई है, उसको तोड़ कर आज आप यह कहेंगे कि हम इस बिल को एक्सपेट करते हैं या आप इस बिल को वापस ले लीजिए, हम दूसरा बिल ला रहे हैं और उसके अंदर ये तब्दीलियां कर के लाएंगे तो आज मुझे बहुत खुशी होती। चूंकि मैं आपकी पाबंदियों से बंधा हुआ हूँ इसलिए मैं इस बिल को ज़रूर वापस लूंगा। लेकिन एक-दो मुद्दे मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ।

सर, हमारी पार्लियामेंट की जो साइट है, उसमें सिर्फ वे बिल मेंशन किए जाते हैं, जो हम यहां इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जितने बिल हम लोग डालते हैं, मान लीजिए कि मैंने सौ बिल डाले, लेकिन मेरा बैलेट में एक भी नंबर नहीं आया तो मेरे खाते में वहां ज़ीरो लिखा जाएगा। इसमें मेरा क्या कसूर है? जो सइट आपने बना रखी है, उसमें आप ज़ीरो लिख दें, क्योंकि जयप्रकाश ने पांच साल में एक भी बिल पेश नहीं किया है। सर, आप यह नोट कर लें, आप किसी तरह यह हिदायत दें कि उसमें यह लिखा जाए कि हमने कितने बिल डाले। इंट्रोडक्शन मेरे हाथ में नहीं है। वह बैलेट में आएगा या नहीं आएगा, वह मेरे हाथ में नहीं है। मैंने अपना काम पूरा किया है लेकिन अगर वह किसी सिस्टम के तहत नहीं आ पा रहा है तो मेरा कसूर नहीं माना जाना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि इसकी हिदायत आप जरूर देंगे। मेरा कहना है कि आपने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, रोजगार गारंटी योजना दी, तो आप एक आप राइट टू लिव और बना दीजिए। इनको देश में जीने का अख्तियार है, इनको सांस लेने का, रोटी खाने का अख्तियार है और वह जिम्मेदारी सरकार

की होनी चाहिए। सरकार यह देखे कि ये लोग जिंदा रहें, ये हमारे मां-बाप हैं, ये हमारे भगवान हैं, उनको रोटी मिले, उन्हें कपड़ा मिले और उनके रिक्रिएशन सेंटर्स अच्छे हों। वे एक डिग्निटी के साथ रह सकें। मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे और इसको उसके साथ जोड़ेंगे। अब सवाल आता है कि कितना पैसा इनको मिलना चाहिए? मुझे माफ कीजिएगा, कई मेंबर्स ने पांच सौ, सात सौ और एक हजार रूपए की बात कही, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज की तारीख में पचास रूपए तो स्कूटर वाला ले लेता है। क्या उसके मोहल्ले के कोने पर आपका सेंटर खुला हुआ है कि वह सत्तर साल की बुढ़िया पैदल जाएगी और अपनी पेंशन लेकर वापस आ जाएगी। मुझे एक केस बता दीजिए, जिसके अंदर एक बार में उसे पेंशन मिल जाती हो। उनको सौ-सौ चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहते हैं कि अभी तुम्हारे दस्तखत नहीं मिल रहे हैं, यह स्पेलिंग गलत है, तुम्हारा फोटो नहीं मिल रहा है, वह बीस-बीस रूपए के फोटो खिंचवा के आती है। धक्के खाने के बाद उसे पेंशन मिलती है। मुझे माफ कीजिएगा, आज की तारीख में पांच सौ, सात सौ या एक हजार रूपए कोई मायने नहीं रखते हैं। सौ-दो सौ रूपए की तो रेस्टोरेंट या होटल में कॉफी मिलती है। कौन दे रहा है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसके घर को खाना नहीं मिल रहा है, उन बच्चों के पास रहने लिए जगह नहीं है, उन्होंने उसे सड़क पर फेंक दिया और आप कह रहे हैं कि पांच सौ रूपए ले लो, मुझे एक आदमी पांच सौ रूपए में जीने वाला आप बता दीजिए। क्या वह हवा खाएगा? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिस तरह टेंपरेरी इंप्लायमेंट पर आप लोगों को रखते हैं, उस तरह से उनको मिनिमम पांच हजार रूपए जरूर करें। यह सरकार की तरफ से पाबंदी हो। आप यह न छोड़ें कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करे। ऐसा न हो, आप यहां से पांच हजार रूपए करें और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह उसमें जो जोड़ना चाहती है, वह जोड़े। माफ कीजिएगा, यह टुकड़ा न डालें। मुझे इन पांच सौ, सात सौ, हजार या पन्द्रह सौ रूपये पर बहुत सख्त ऐतराज है। आपने बहुत दिया है, आपने किसानों का 75 हजार करोड़ रूपया माफ कर दिया, आपने बुनकरों का माफ कर दिया, आप औरों को बहुत सब्सिडी देते हैं तो इससे बड़ी सब्सिडी और क्या हो सकती है इनको देने के लिए। ये भी तो हमारे लोग हैं, अपना सारा जीवन इन्होंने देश के लिए बिता दिया।

महोदय, आप इसमें एक तब्दिली और करायें। 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद आप उससे कहते हो कि सरकारी मकान खाली कर दो। सर, माफ कीजिएगा, आपके यहां भी बहुत सारे केस आते होंगे। वह जिस समय रिटायर होता है, तब उसे सरकारी मकान खाली करना पड़ता है। उसके बाद वह कहां जायेगा, या तो वह चोरी करे, बेईमानी करे, रिश्वत ले और अपना मकान बना ले। मुझे एक भी सरकारी कर्मचारी बता दो, जो शराफत से उस वेतन के अन्दर अपना मकान बना सकता हो। जब उसके रिटायर होने के चार-पांच साल बच जाते हैं तो वह घर में रोने लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं कहां मकान

लूंगा? वह अनऑथराइज्ड कालोनी के किसी गन्दे से इलाके में पीछे की तरफ एक कमरा ले लेता है और उसमें रहता है। आप उनकी हालत देखिये। क्या सरकार ने कभी कोई सर्वे कराया है कि यह तो मालूम करो कि जिनसे आप मकान खाली करवा रहे हो वे कहां जायेंगे? आप पांच लाख मकान सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाओ और जो सरकारी कर्मचारी उसमें रहता हो, उसके लिए एक स्कीम दे दो कि अगर तुम इतना पैसा जमा करते रहोगे तो यह मकान, फ्लैट तुम्हारा हो जायेगा और तुम इसमें रहना। आप उन्हें बेराजगार कर रहे हैं, उन्हें बेघर कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर भी ध्यान देंगे और जो मुद्दे मैंने पहले आपके सामने रखे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देंगे। अब तो आपने शायद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भी बंद कर दी है और अब आप उन्हें एकमुश्त पैसा दे रहे हैं। अब आपको पता है कि उस एकमुश्त पैसे का क्या होने वाला है, क्या कोई उसका पैसा छोड़ेगा? उसको लाख दो लाख या चार लाख रुपये जो भी मिलेंगे, एक बच्चा कहेगा कि 10,000 रुपये मुझे चाहिए, आज मुझे बच्चे की फीस जमा करनी है, दूसरा कहेगा कि मुझे यह चाहिए। उसका तो काम हो गया और चौथे दिन वह सड़क पर होगा। माफ कीजिए, जो पैंशन आप दे रहे थे, मुझे पता नहीं कि किस आदमी ने आपको यह समझा दिया कि आप सरकारी कर्मचारियों की पैंशन बंद कर दो, लेकिन मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप लोगों को ज़िन्दा रहने दो। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इस सरकार से बहुत उम्मीद है। आज जितने बढ़िया कदम आप उठाते जा रहे हैं, उसमें एक कड़ी और जोड़ो और इन बुज़ुर्गों को यह कहो कि आप हमारे माई-बाप हैं, आप हमारे भगवान हैं, और हम आपकी केयर करते हैं और हम आपको सब कुछ देंगे। एक बार सोच लो। आप मुझसे मत कहलवाओ, मैं बिल वापस लेता हूँ, लेकिन आप कुछ तो कहें। मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। किशोर भाई ही खड़े होकर कुछ कह दें।

श्री पी.बलराम नायक: मैं आपके मनोभावों को समझता हूँ।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं अपने सारे साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि सबने बहुत अच्छे सुझाव दिए, चुभते हुए दिए, उनकी आँखों में आँसू देखकर सबको दर्द है और किसी ने इस पर नॉन सीरियस तरीके से अपनी बातों को नहीं रखा। मैं हृदय से अर्जुन भाई का भी आभारी हूँ कि बहुत बातें उन्होंने जिस रूप में रखीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह दर्द सबका है, मेरा दर्द नहीं है। कई बार सड़क पर पड़े हुए लोग, माँ-बाप और बच्चे कई बार भूखे दिखते हैं तो घर पर आकर खाना खाने का मन नहीं करता। इस खाई को पाटना होगा, उन गरीब आदमियों के दिलों को छूना होगा। उनको दिखाना होगा कि लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। इससे हमारी छवि भी बदलेगी। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और जो मंत्री

जी चाहें, जो वह कहेंगे मैं कह दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी कुछ तो कह दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

श्री पी.बलराम नायक : सभापति जी, यहाँ बहुत सारे अच्छे सुझाव दिए गए हैं, मैं उन सुझावों की रिस्पैक्ट करता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, अग्रवाल जी ने इतनी तबीयत से इस बिल को रखा है और यदि मंत्री जी इनसे कहेंगे कि इसे वापस ले लो, तो इनको चोट पहुँचेगी। इनको ही नहीं, बल्कि जितने लोग इसमें शरीक हुए हैं, उन सबको चोट पहुँचेगी। इसलिए मंत्री जी से मेरा इतना ही कहना है कि सीधा मना करने की जगह इसमें से कुछ रास्ता निकालिए।

श्री पी.बलराम नायक : सभापति जी, अग्रवाल जी इस सदन के सीनियर मैम्बर हैं, मैं उनकी भावनाओं को मैं समझता हूँ। मैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखकर ज़रूर कुछ करूँगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति जी, इस सदन की जो परिपाटी है उसे सरकार तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं इस बिल को वापस लेता हूँ। लेकिन यह आशा करता हूँ कि ये बहुत ध्यान रखेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Has the hon. Member Shri J.P. Agarwal leave of the House to withdraw his Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

17.30 hrs

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL, 2010
(Amendment of Section 2, etc.)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक (धारा 2 का संशोधन आदि) पर मैं प्राइवेट मैम्बर बिल सदन में लेकर आया हूं। इस संबंध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मनरेगा बिल वर्ष 2004 में लोक सभा में पारित हुआ था। लेकिन धारा 2 में आज संशोधन की जरूरत है। धारा 3(1) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के एक सदस्य को ही इस बिल के तहत रोज़ग़ार देने का प्रावधान है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को रोज़ग़ार देने से सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पूरा रोज़ग़ार प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं इसमें संशोधन चाहता हूं कि परिवार की भाषा में परिवर्तन करके परिवार के सभी सदस्यों को एक व्यक्ति मानते हुए, जितने भी व्यक्ति काम कर सकते हैं, उन सभी को जॉब कार्ड मिलना चाहिए और सभी को काम मिलना चाहिए। आज की स्थिति में यदि परिवार का एक व्यक्ति काम करता है तो पूरे परिवार का पालन नहीं हो सकता है। जब परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, तभी परिवार का चूल्हा दो समय जलता है। मैं इसमें यह संशोधन भी चाहता हूं कि मनरेगा में सौ दिन रोज़ग़ार देने का ही प्रावधान है। साल के 365 दिन होते हैं। यदि छुट्टियों को निकाल भी दिया जाए तो भी बाकी दिनों में रोज़ग़ार देने की ज़रूरत है। मैं सौ दिन से बढ़ाकर 240 दिन रोज़ग़ार देने की मांग करता हूं। हम इसे रोज़ग़ार गारंटी योजना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितना रोज़ग़ार मांगा जाए, उतना रोज़ग़ार मिले, तब इस बिल का अर्थ पूरा होगा। जिस ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह योजना बनी है, वहां खेती के सिवाय रोज़ग़ार के कोई अवसर नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोई उद्योग न होने के कारण वहां के नौजवानों को रोज़ग़ार नहीं मिलता है।

महोदय, यह सत्य है कि भारत युवाओं का देश है। दुनिया में सर्वाधिक युवा भारत में हैं। लेकिन इतने युवाओं को काम देने के लिए सरकार के पास कोई प्रावधान दिखायी नहीं दे रहा है। सरकार रोज़ग़ार के नये अवसरों का निर्माण करने में असफल हुई है। सरकार के मंत्रिगण सीना तान कर कहते हैं कि यह बहुत अच्छा बिल हम लेकर आए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिल के नाम के अनुसार काम नहीं चल

रहा है। गांव के बेरोज़ग़ारों को रोज़ग़ार नहीं मिल रहा है। अभी-अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान अपने माता-पिता को गांव में छोड़ कर शहरों में काम के लिए जाते हैं। यह हर गांव में हो रहा है। गांव में रोज़ग़ार नहीं होने से वहां नौजवान रहना पसंद नहीं करते हैं। यह मजबूरी भी है। हम यह सब देखते हैं, क्योंकि हमें जनप्रतिनिधि के रूप में गांव-गांव में घूमना पड़ता है। किसान हो या खेत में काम करने वाला मजदूर हो, सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, परिश्रम से पढ़ाते हैं। पढ़ने-लिखने के बाद भी गांव में रोज़गार नहीं है। कोई मैट्रिक पढ़ता है, कोई बारहवीं पढ़ता है, कोई ग्रैजुएशन करता है, कोई आई.टी.आई. करता है, और उसके आगे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन गांव में रोज़गार नहीं है। इसके चलते नौजवानों के दिलों में निराशा छायी हुई है। ऐसे नौजवानों को काम देने के लिए मनरेगा के नाम से हमने योजना बनायी है तो इसमें हर नौजवान को काम मिलने के प्रावधान के साथ-साथ उस सीजन में उसे काम मिलना चाहिए। केवल सौ दिनों के काम में काम नहीं चलेगा।

इसमें एक और बात है कि देश की भौगोलिक स्थिति को हमने देखा है। मैं आपको यह बताऊंगा कि पंजाब, हरियाणा इस तरह के स्टेट हैं जहां खेती में इरीगेशन है। वहां पर दो-दो, तीन-तीन फसलें उगती हैं। कई स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर इरीगेशन नहीं है। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं कि मेरे महाराष्ट्र में 19 परसेंट इरीगेशन है, पंजाब में 90 प्रतिशत इरीगेशन है। मेरे यहां एक फसल होती है। बारह माह में चार माह में खेती का काम होता है, आठ माह खेती का काम नहीं होता है। गांव के किसान और किसान परिवार के नौजवान बाकी दिनों में क्या करेंगे? इसलिए सभी स्टेटों में इस योजना को हम इस तरीके से न समझें कि चार माह काम देंगे और बाकी माह खेती में काम करेंगे। ऐसी स्थिति पूरे देश में, अन्य राज्यों में नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहां पर सौ दिनों के काम का जो बंधन बना हुआ है, उसे हटाने की जरूरत है।

इस देश को हमने महात्मा गांधी के नाम से योजना दी है। इस योजना का नाम महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना जरूर है, लेकिन महात्मा गांधी की जो कल्पना थी - ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग - इस कल्पना को कभी इस सरकार ने साकार नहीं किया। सरकार इसमें सफल नहीं हुई। महात्मा गांधी जी की कल्पना के अनुसार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार निर्माण होते तो शायद आपके बीच में मुझे यह बात कहने की साहस नहीं होता और इसकी जरूरत भी नहीं होती। आप देखिए कि देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के सिवा जो रोज़गार के साधन थे, जिसमें लोहार आते हैं, कर्मकारों में कुम्हार आते हैं, बढ़ई आते हैं, इन सब लोगों का रोज़गार सरकार ने समाप्त कर दिया है। ये सारे रोज़गार शून्य, नगण्य हो गए। कुम्हारों को काम नहीं मिलता, लोहारों को काम नहीं मिलता, बढ़ई को काम नहीं मिलता। ये वर्ग जो गांवों में रहते थे, इनके भी रोजगार छिन गए। सरकार ने इनके लिए आज तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। कृषि और कर्मकारों के रोज़गार समाप्त होने के बाद यहां का नौजवान कहां जाएगा?

मैं आपके माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंदर में काम का दायरा बढ़ा है, काम बढ़ा है। इनमें जो काम दिए हुए हैं, उन कामों के आधार पर हम वहां पर विकास नहीं कर पाए हैं। भारी भ्रष्टाचार होता है। हम बार-बार देखते हैं कि कई जगहों पर अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्टर मशीन से काम कर लेते हैं और रिकॉर्ड मेनटेन करते हैं। दो दिनों से हम चैनल पर देख रहे हैं। किसी चैनल पर बताया जा रहा है कि किसी का भी नाम बताते हैं और उसके नाम से बैंक में एकाउंट खोला जाता है और बैंक में पैसे भर लेते हैं, विथड्रॉ भी कर लेते हैं और मशीन से काम करते हैं। इन सारी बातों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और उस पर मॉनिटरिंग करने की जो हमारी क्षमता होनी चाहिए, जो नियोजन होना चाहिए, वह नियोजन भी कम हो रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि काम का दायरा बढ़ाते हुए कृषि का विकास भी इसमें लेना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ में अगर कोई किसान चाहता है कि उसे अपने खेत में कुआँ खोदना है तो कुआँ बनाने के लिए भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। किसान अपने परिश्रम से कुआँ खोदता है। वहीं अगर चार किसान मिल कर जल संग्रह के लिए अपने खेतों के बीच में कोई छोटा तालाब बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी प्रावधान किया जाए। रास्ता बनाना है। खेत में जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। देखिए, इसमें प्रावधान नहीं है। एक किसान के लिए भी अगर रास्ता बनाने की जरूरत होती है और किसान सामने आकर कहता है कि मेरा परिवार इसमें काम करेगा तो इसमें इसका भी प्रावधान करें। एक खेत का रास्ता बनाने के लिए भी अगर ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में प्रावधान होता है तो इसका जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य पूरा होगा और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का विकास होगा।

मैं अभी पढ़ रहा था, यूपीए गवर्नमेंट के जो चेयर परसन हैं, इन्होंने कहा है कि रोजगार गारंटी योजना एक सफल योजना बनती जा रही है, जिसका हम कृषि क्षेत्र को ज्यादा लाभ दे सकते हैं। उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि अगर हम कृषि क्षेत्र का काम करने के लिए जाएंगे तो इसमें देश की फसल और उपज बढ़ सकती है और कृषि का विकास हो सकता है। अगर यह करना है तो वैयक्तिक लाभ मिले, इसका भी इसमें प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खेती के विकास के लिए मनरेगा का उपयोग नहीं करेंगे, जिसमें रास्तों के साथ में सिंचाई का भी प्रावधान करने की जरूरत है। सिंचाई के लिए बढ़ावा देने के लिए मैं महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के बारे में बताता हूं। हमारे यहां पर ब्रिटिश काल से करीब-करीब दस हजार तालाब हैं। एक-एक तालाब में सौ-सौ, दो-दो सौ हैक्टेयर इरीगेशन होता है, लेकिन मनरेगा के माध्यम से इन तालाबों की मरम्मत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर है तो पूरा का पूरा कॉंट्रेक्टर के माध्यम से काम कराने का प्रयास होता है। इस पर रोक लगाते हुए मैं चाहता हूं कि इन सारे तालाबों की मरम्मत के लिए जितने मजदूर वहां काम करना चाहते हैं, उन सभी को अगर हमने काम करने

दिया, मैं जिन दस हजार तालाबों की बात कर रहा हूं, उन पूरे तालाबों की अगर मरम्मत हो जाती है तो हजारों-लाखों हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, विकास की जरूरत है। इसमें दो बातें हैं कि रोजगार भी है और कृषि विकास भी है। जहां कृषि विकास होगा, वहां पर हमारे देश का अनाज और अन्य चीजों के उत्पाद में बढ़ोत्तरी होगी। हम आज जो ग्रामीण क्षेत्र को न्याय देने की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो नौजवान शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, उन सब को रोकने के साथ में कृषि उपज को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसमें इन सारी बातों का प्रावधान करने का मैं सुझाव देता हूं।

हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर सरकार के मंत्री महोदय, संबंधित मंत्रालय के नहीं होते, यहां पर जो केबिनेट मंत्री बैठे हैं, इनसे मैं विनती करता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यहां मंत्री जी भी बैठे हैं।

श्री हंसराज गं. अहीर : सोरी, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस योजना को और सफल बनाने के लिए इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि ये जो योजना चल रही है, ये पूरी तरह गलत है, ये सही है। ये सही इसलिए भी है, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, अगर इस देश में सबसे पहले कहीं योजना चली है तो वह 1978 में महाराष्ट्र में चली थी। उसे वहां पर स्वीकार किया गया है, यह काम विलम्ब से हुआ है। मैं इसका दायरा इसलिए बढ़ाने की मांग कर रहा हूं, इसमें बहुत सी बातें हैं। मैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार के बारे में बता रहा हूं, वहां के नौजवानों को काम नहीं मिलता है। अगर इसकी समयावधि बढ़ा दी जाए, तो शायद इसमें हम बहुत सफलता पाएंगे। बेरोजगारी का जो विषय है, देश की जो सबसे बड़ी समस्या है और खेती की बदहाली एवं किसानों की बर्बादी की जो समस्या है, इन सारी बातों का जवाब हमें मिल जाएगा, अगर हम इसमें सौ दिन से बढ़ा कर पूरे वर्ष भर काम देने के लिए प्रावधान करें। परिवार की जो परिभाषा है कि एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार, इसको न मानते हुए, एक परिवार के जितने सदस्य काम करना चाहते हैं, उन सभी को काम देने का अगर इसमें प्रावधान किया जाता है तो निश्चित ही ये एक अच्छी सफल योजना बन सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को आप स्वीकार करेंगे। इसमें निश्चित विचार करेंगे, इन भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। ये बड़ा अहम् बिल है, मेरे भाई साहब जो लाए हैं। मैं इनका शुक्रिया करूंगा, हमें इस पर बोलने का मौका मिला। असली में इस एक्ट की जो मंशा है, ये स्कीम नहीं है, एक्ट है। हमारे देश में बहुत सी स्कीम्स बनीं, योजनाएं बनाई गईं। गांवों की माइग्रेशन रोकने के लिए, मजदूरों एवं गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम बनी, जवाहर रोजगार योजना बनी। बहुत सी ऐसी स्कीम्स आईं, योजनाएं बनीं। आखिर क्या हुआ? न माइग्रेशन रूकी, न उनको रोजगार मिला। ये दोनों बातें नहीं हुयीं। आप समझते हैं कि कई बार आदमी शाम को बैठकर स्कीम बनाता है, योजना बनाता है, प्लान करता है, लेकिन कभी वह प्लान इंप्लीमेंट होता है और कभी नहीं होता है। योजनाएं ऐसी ही होती हैं। सरकार ने बड़ी अच्छी मंशा दिखायी कि स्कीम नहीं एक्ट बनाया। एक्ट यह बनाया कि एक मजदूर को पॉवर दी, एक लेबर को पॉवर दी, एक किसान को पॉवर दी कि अगर आपको रोजगार न मिले तो आप सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने अपने लिए कानून बनाया हो कि आपको रोजगार न मिले, तो मेरे ऊपर केस करना। यह एक एक्ट है, स्कीम नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह महात्मा गांधी के नाम पर बनी। पहले यह महात्मा गांधी के नाम पर नहीं थी। नेशनल रूरल इंप्लायमेंट गारंटी एक्ट था, लेकिन बाद में जब इसका रेस्पांस, इसकी सोच सामने आनी शुरू हुयी तो हमारी गवर्नमेंट ने इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लायमेंट गारंटी एक्ट रखा। यह बहुत अच्छा काम था। महात्मा गांधी जी गांव के बारे में सोचते थे कि गांव के लोग अपने घर में काम करे, विद इन दी रीच काम करें, अपने एरिया में काम करें, उनको वहीं डेवलपमेंट मिले, वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायें, उनको एंपावर किया जाए कि वे अपने इलाके में काम कर पाएं।

आज कम से कम मैं यह कह सकता हूं, मैं अपनी स्टेट की बात कहता हूं, बाकी जगह भी ऐसा है, जो स्टेट पिछड़ी हुयी हैं, बैकवर्ड हैं, जो एरिया बिल्कुल ही बैकवर्ड था, रिमोट था, मेरी अपनी कांस्टीच्युएंसी पच्चीस हजार वर्ग किलोमीटर की है, वहां सात जिले हैं, मेरे हिसाब से वहां दो हजार सरपंच हैं। इतनी बड़ी कांस्टीच्युंएसी है और उस इलाके में एक पंचायत को, मैं एमएलए भी रहा हूं, मिनिस्टर भी रहा हूं, मेरा एमपी का दूसरा टेन्योर है, मैंने देखा कि तीस, चालीस या पचास हजार रूपए से ज्यादा पैसा कभी पंचायत

को नहीं मिला। यह ऐसा एक्ट बना, इस एक्ट से जहां गांव में कभी सीमेंट नहीं गया, वहां इसकी साठ-चालीस की रेश्यो है, पक्के-कच्चे की रेश्यो है। मैं अभी रियासी गया था, दो-तीन डिस्ट्रिक्ट घूमा, तो ट्रकों में सीमेंट जा रहा था। मैंने पूछा कि यह सीमेंट कहां जा रहा है। मुझे बताया गया कि यह आपकी स्कीम बनी है और इस स्कीम के जरिये सीमेंट गांवों में जा रहा है। गांव सोच नहीं सकता था कि हमारे इलाके में पक्की गलियां, कच्ची गलियां, कई रास्ते, ब्राइडल पार्क, ट्रैक्टर रोड, कई कनेक्टिविटी की चीजें मैं उनको कह सकता हूं, जो आज बन गयी हैं। पीएमजीएसवाई बनने से मैं नहीं समझता कि हर गांव या हर मोहल्ले तक, क्योंकि जो कोर नेटवर्क बना, वह सड़क पर बैठकर बनाया गया, वह सारा बकवास है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने पांच सौ आबादी वाला गांव रखा, वह भी रह गए, जो आपने ढाई सौ आबादी वाले गांव रखे, वह कोर नेटवर्क में हैं ही नहीं। जो कोर नेटवर्क ने नहीं दी, उनमें भी गांव में लोगों ने दिहाड़ी और मजदूरी करके कच्चे रास्ते बनाने शुरू कर दिए। वहां बहुत खूबसूरत कच्चे रास्ते बने हैं। जो पक्के का पैसा बचता है, वहां एक मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके, जहां उनको पर्टिकुलर जरूरत होती है, वहां लगा देते हैं। यह बहुत अच्छा इंप्लीमेंट हो रहा है। रिक्लेम हुयी हमारी जो जमीनें थीं, जो नालों से बह रही थीं, वहां फ्लड प्रोटेक्शन से, जो छोटे-छोटे नाले थे, उनके लिए वहां क्रेड बार लगायी गयीं, कच्चे डंगे लगाए गए, पत्थर के लगाए गए। इससे कई लोगों की जमीनें भी बची हैं। यह भी मुबारक की बात है। असल में कमी कहां आ रही है? एक तो रोजगार सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, वह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि फेमिली के एक आदमी को काम देने का मतलब नहीं है। जब मां-बाप को बच्चा देखने को राजी नहीं है तो क्या भाई दूसरे भाई को देखने को राजी है? हर बंदे की इंडीविजुअल फेमिली है। अगर कोई चार भाई हैं, तो उनके घर में चार जवान बंदे बेरोजगार क्यों रहेंगे? चारों काम क्यों नहीं करेंगे? चारों काम करेंगे तो देश की प्रोडक्टिविटी में फर्क आएगा, देश का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उनके घर का चूल्हा-चौका अच्छा चलेगा। यह कौन सी बात है। हम तो यह भी कहेंगे कि लेडी भी काम करे। मेरी आपसे विनती है कि अब सौ दिन के रोजगार से काम नहीं होने वाला है। यह ठीक है कि जो स्टेट्स परिपक्व हैं, संपूर्ण हैं, कम्प्लिट हैं, जिनकी आमदनी अच्छी है, इकोनॉमिकल कंडिशन ठीक है, उस स्टेट में 100 दिनों का रोजगार हो सकता है कि बाकी दिन, वे काम कर रहे हैं। जिन स्टेट्स में, जिन रियासतों में सिवाय इसके काम है ही नहीं तो उनको आपको देखना पड़ेगा। आपको मिनिमम इसे 100 दिन की जगह 200 दिन करना पड़ेगा और 300 प्वाइंट दस दिन करना जब आपको 200 में तसल्ली हो जाएगी।

दूसरा, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसमें कमी है और वह यह है कि आपने ऐक्ट बनाया। कोई आफिसर नहीं चाहता कि पंच, सरपंच, मजदूर कोई भी जो छोटे-छोटे लोग हैं, उनसे बात करें, हिन्दुस्तान में कई ऐसे गांव हैं जहां काम नहीं मिला और काम नहीं मिलने के बाद वे बेचारे शराफत से

इनके ऊपर केस भी नहीं करते हैं। उनके पास पैसे नहीं है, वे केस कैसे करेंगे? आपने कहा कि विद इन द फिफ्टीन डेज, जब वह दर्खास्त देगा, पहले उसका एक कार्ड बनेगा, कार्ड देने के बाद ऐप्लिकैशन देगा। अगर पन्द्रह दिन के अंदर उसको रोजगार नहीं मिला तो सरकार उसको भत्ता देगी। पूरे देश में कोई ऐसी जगह है जहां आपने इसको इम्प्लिमेंट किया, नहीं हुआ, ऑफिसरों की दादागिरी की वजह से गरीब आदमी को दबाए हुए रखा होता है। वे कइयों को काम नहीं देते, कार्ड बने पड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप काम नहीं देते हैं और कइयों ने काम किया हुआ है, मैंने अभी पांच-सात पंचायतों की बात सुनी, वे कह रहे थे कि सर, हमें इसका पैसा नहीं मिल रहा है। मैं डोड़ा गया था। डोड़ा में मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं मिला। हमारे बहुत से लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। यह ऐक्ट है। यह कानून है, इसकी अवहेलना, ब्रीच ऑफ लॉ, how they dare उनकी कितनी हिम्मत है कि वे इस कानून को ब्रेक कर रहे हैं, कॉन्सिट्टूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उन लोगों की खबर कैसे ली जाए, उनकी खबर कौन लेगा और इसके साथ जो आदमी काम कर गया और पैसे नहीं मिले, जिसको काम नहीं मिल पाया, उसको काम नहीं दिए, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, जिसमें बहुत-सी तकलीफें हुई हैं। मैं जनाब से कहना चाहूंगा कि इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वाटर बॉडिज हैं, तलाब हैं, बहुत से बन कर आएं, इस स्कीम में कुछ कमी है कि जो काम लेबर कहीं नहीं कर सकते हैं, सख्त रॉक आती है, आपके यहां कई जगह यह नहीं आती है, हमारे यहां आती है उसमें प्रोविजन होना चाहिए कि वे जब अपना तालाब बना रहे हैं तो अगर दस हजार रुपया इक्यूपमेंट में खर्च हो जाए तो क्या तकलीफ है? वह फिक्स होना चाहिए। अगर मजदूरों से यह खुदाई नहीं हो रही है तो मजदूर जो मजदूरी कर सकता है, जहां गैती जा सकती है और जहां उसकी गैंती नहीं जा सकती है, जहां उसकी कसी नहीं जा सकती है, उस बंदे को कैसे काम करना है, वहां इक्यूपमेंट इस्तेमाल होनी चाहिए। उस इक्यूपमेंट के साथ लेबर को लगाना, ताकी वह बिजी हो जाए, ऐसी कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज, मैं नहीं समझता की सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ गलत है। कुछ कमी है, इसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मेरी यह आपसे विनती है। मैं जनाब से यह भी कहना चाहता हूं कि उनको गंदम की हार्वेस्टिंग करनी थी, हमारे यहां कुछ गर्म पहाड़ी इलाकों पर गंदम होती है, धान भी होती है तो वहां वे ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते थे। बीस-बीस आदमी एक देसी इंजन उठा कर वहां ले जाते हैं, वे पहले तो जानवरों से काम करते थे, अब ट्रैक्टर नीचे गांव में घूम रहे हैं, उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि इस योजना से, इस ऐक्ट से लोगों ने मजदूरी कर के वहां ट्रैक्टर पहुंचा दिए, बहुत अच्छी बात है। जहां इरिगैशन नहीं हो रहा था, इसी के जरिए पानी की सुविधा कर दी। आप सिंचाई विभाग देखिए, हमारे कुछ डिशिल्टिंग, शिल्ट नहीं निकलते थें, शिल्ट निकालने

के लिए मशीनरी कच्ची होती, नहीं निकलती थी, खेत में पानी नहीं जाता था। जो आखिरी खेत है उस तक पानी नहीं जाता था।

जब मनरेगा आया तो उस दिन के बाद छोटे-छोटे सुए, नहरें, डिस्ट्रीब्यूट्री ब्रांचेज की सफाई होनी शुरू हो गई। आज आप जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कह रहे हैं, इस एक्ट के जरिए वह कारण बना है। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मुझे तकलीफ है कि आप लोगों को हमारी तरफ से, सरकारों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से वहां योजनाओं के जो कैम्प लगते हैं, वे प्रॉपर्ली नहीं लगते। योजनाएं समझाई नहीं जातीं। मैं कहना चाहता हूं कि बीडीओज़, एसीडी, विलेज लैवल वर्कर्स का काम ध्यान से नहीं देखा जा रहा है। रूरल डैवलपमेंट में सब एमपीज़ हर जगह चेयरमैन होते हैं। जब व्यक्ति क्वाटर्ली मीटिंग लेता है, मेरी काफी मीटिंग बनती हैं क्योंकि मेरे सात जिले हैं। तीन महीने में हम इतनी मीटिंग कैसे करें, लेकिन करते हैं। उस मीटिंग की रिपोर्टिंग का जवाब प्रॉपर्ली नहीं आता। जब जवाब नहीं आता तो एक्ट का प्रॉपर्ली हल नहीं होता। मेरी आपसे विनती है। इसी के साथ मैं पीएमजीएसवाई की बात करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) हमारी वहां कुछ तकलीफें पैदा हो रही हैं। जब आप सौ, दो सौ दिन का रोजगार करेंगे, जो पैसे नहीं आ रहे हैं, जिसे मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। वहां जितने बलॉक हैं, उनमें पेमैंट देने वाली हैं। वह क्यों नहीं दी जा रही हैं? क्या आपके पास यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा है तो आपने पैसे क्यों नहीं दिए? अगर यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया तो उसे क्यों नहीं मंगवाया, क्यों नहीं चैक किया? यदि लेबर ने काम कर दिया और उसकी पेमैंट पन्द्रह दिन के भीतर देनी है तो क्यों नहीं दी? मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को दुरुस्त करना पड़ेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): हंसराज अहीर साहब नरेगा में अमेंडमेंट के लिए जो बिल लाए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे हिसाब से इस समय टोटल नरेगा स्कीम को संशोधित करने की जरूरत है। यह बिल लिमिटेड परपज के लिए आया है। इन्होंने सैक्शन - 2 में कहा है - जॉब कार्ड की पाबंदी है कि परिवार में एक ही व्यक्ति काम करेगा। परिवार में जितने भी व्यक्ति काम करने वाले हैं, जो जॉब कार्ड होल्डर हैं और जॉब चाहते हैं, उन सबको एलाऊ किया जाना चाहिए, ऐसा एक अमेंडमेंट लाए हैं। यह लिमिटेड परपज का अमेंडमेंट है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें कई तरह के और अमेंडमेंट आने की जरूरत है। जैसे अभी चौधरी लाल सिंह जी कह रहे थे। मैं इनकी बात से भी सहमत हूं। जैसे इस स्कीम में जो भी काम होता है, उसमें लेबर और मैटीरियल का कम्पोनेंट निश्चित है। स्कीम कहती है कि 60 प्रतिशत लेबर पर खर्च होना चाहिए और 40 प्रतिशत मैटीरियल पर खर्च होना चाहिए। 60:40 का रोशियो कई बार उलटा हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहां एक प्रॉब्लम हुई कि रेलवे के आरयूबी कौन बनाएगा।

18.00hrs

हमने एक सजेशन दिया था कि इसे नरेगा में बना दो, क्योंकि जब आपका गेज परिवर्तन हो रहा है, तो जो रेलवे लाइन है, वह ऊंची हो जायेगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेघवाल जी, हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब शून्य काल लिया जायेगा।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला सुबह उठाना था, लेकिन अब यह शून्य काल में आ गया है। देश भर में लोगों का मन काफी परेशान है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार काफी सीमा तक बढ़ गया है। हम भ्रष्टाचार का एक मामला उठाते हैं, तो दूसरा मामला सामने आ जाता है। एक मामला हाथ में लेते हैं, वह पूरा नहीं होता, दूसरा मामला सामने खड़ा हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर की खबर के बारे में कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि देश में उसकी खबर नहीं थी। यह मामला पहले भी उठता रहा है, लेकिन चलिए छोड़िये। पहले यह मामला नहीं था, तो अब आ गया और वह खबर दूसरे देश इटली से आयी, यानी उनको एतराज है कि इसमें पैसा लिया गया, पैसा खाया गया। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से टाट्रा ट्रक वाला मामला आया। वह खबर भी बाहर से आती है। दूसरे देश से सूचना आती है तब हम लोग, सरकार खासकर, क्योंकि हम लोगों को पता भी रहता है और उसे उठाते भी हैं तो कोई मानता नहीं है। अब रिटेल में एफडीआई आयी। वह अच्छा है या बुरा, उस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसकी खबर भी बाहर की संसद से आती है कि इसमें डेढ़ सौ करोड़ रुपये खिलाए पिलाए गए। खबर बाहर से आती है। यहां से जो खबर आती है, उस मामले को आप मुस्तैदी से नहीं लेते, कहीं रगड़ते नहीं। अब यह मामला आया। खासकर डिफेंस के मामले में चार मामले आ गये। आदर्श हाउसिंग सोसायटी का मामला सीबीआई को दे दिया। टाट्रा ट्रक का मामला सीबीआई को दे दिया। अब अगस्टा वेस्टलैंड वाला मामला आया, उसे सीबीआई को दे दिया। यह सीबीआई * ... है। ये मामले आते रहते हैं। आपने... * -- सीबीआई। सबको सीबीआई ...* अंग्रेजी की बात कर रहा है। ...(व्यवधान) हमारे गांव में कहते हैं ... जिसमें सांप, बिच्छु तमाम तरह की चीजें रहती हैं। यह सीबीआई ...* है। डिफेंस मिनिस्टर अपनी इमेज बचाने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। कोई मामला आया, यानी सीबीआई जैसे कोई थाना हो, उसे सीबीआई के थाने में दे दिया।

टेट्रा का मामला आया, तो सीबीआई को दे दिया, फिर आप किस कर्म के हैं? आप क्या काम कर रहे हैं? मैं बड़ी इज्जत करता हूं इनकी, लेकिन आप कुछ करें ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। 65 साल हो गए, कैसे-कैसे लोग इसमें मालदार हो गए, क्या यह हमको-आपको पता नहीं है। यह ऐसा धंधा है जिसमें लोग रातों-रात मालामाल हो जाते हैं। अब इस मामले में वहां की अदालत ने केस चला दिया, बात पक्की हो गयी कि इस मामले में खाया-पिया गया। घूसखोर इस देश का कौन है, अब यही आपको पता लगाना

---

* Not recorded as ordered by the Chair .

है। ज्यादा कोई चीज पता नहीं लगानी है, बाकी चीजें पता लग गयी हैं। इसमें सीबीआई क्या करेगी? आप अगर इसमें सीबीआई को लगा देंगे, तो यह एक ...* है। इसमें से बड़ा भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार अंदर से बाहर नहीं आता है। यदि एक कत्ल का केस होगा, अपराध का केस होगा, यह संस्था अच्छा काम करेगी, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए इसको जान लिया गया है कि यह एक ...* है, कुछ नहीं करना है, तो इसमें डाल दो, इस कबाड़खाने में डाल दो, इस ...* में डाल दो। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अब आपको एक ही बात पता लगानी है कि यहां किसने घूस ली। वहां क्या हुआ, हमें इसकी परवाह नहीं है। यहां किसने घूस खाई है, वह कौन है? वह व्यक्ति आज आपके पास, आपके करीब है। सरकार यदि जरा ताकत और संकल्प दिखा दे, सब तंत्र आपके पास है, दो मिनट में वह पकड़ा जा सकता है। इसमें तीन सवाल हल हो गए, पैसा खाया गया, जो डील थी, उसमें ऊपर-नीचे किया गया। लेकिन इसके बाद भी वहां की सरकार ने पकड़ लिया, केस चला दिया और जब आप गए तो आपको टका सा जवाब दे दिया कि यहां केस चला रहा है, यहां की अदालत फैसला करेगी, आपको क्या बता दें। ये गए थे वहां नाटक करने, नाटक करना है। उसको पकड़ना कौन सी बड़ी बात है।...(व्यवधान) क्या सीबीआई उसमें माथा मारेगी? सीबीआई इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। सीबीआई को हमने ठीक नहीं किया, आपने ठीक नहीं किया।...(व्यवधान) क्या कोई ऐसी चीज इसने पता लगाई। हां, कत्ल के केस में पता लगाया, अपराध के मामले में वह ठीक है। मैं मानता हूं। अगर वे फ्री रहते, तो ठीक काम कर लेते।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगर संक्षेप में बोलें, तो अच्छा होगा। यह शून्यकाल है।

श्री शरद यादव : महोदय, मैं मानता हूं कि मन में जो तकलीफ है, वह शून्यकाल में शून्य को तोड़कर आगे आ गयी है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी उसे उस गोल चक्कर के अंदर आना चाहिए।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो यहां वाला आदमी है, जिसने यहां दलाली खाई है, जो यहां का ब्रोकर है, जो यहां पर देश के डिफेंस के सब तरह के मामलो को सरकने नहीं देता है, उसे पकड़िए। अब यदि यह डील कैंसिल हो गयी, तो यह सौदा सात साल पीछे जाएगा। अगर कोई दूसरी डील करेंगे, तो सात साल बाद ही हेलीकॉप्टर आ पाएगा। इसलिए मेरी विनती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या सरकार यह पता लगाए कि इस देश में किसने यह माल काटा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसे छोड़ दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे फौज का मनोबल टूट जाएगा। वाह जी, वाह। चोरी से मनोबल टूटता है या गलत काम करने वालों को पकड़ने से मनोबल बढ़ता

* Not recorded as ordered by the Chair.

है। हमारे लोग सबसे ज्यादा फौज में हैं। सबसे ज्यादा फौज में हैं, सबसे ज्यादा तंग हैं। इससे मनोबल कैसे घटेगा। कई लोग बैठ गए टीवी पर, चैनल में बैठ गए हैं। वह जनरल, जो रिटायर हो गया है, वह दलालों के साथ बैठकर क्या कर रहा था? जनरल है तो क्या हुआ, जब जनरल थे तो इज्जत करते थे, लेकिन वह बिचौलियों के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं, उनके नाते-रिश्तेदार, भाई-भतीजे क्या कर रहे हैं। फौज़ के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इससे फौज़ का मनोबल टूट जाएगा। फौज में अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करता है तो उसका मान-सम्मान होता है। यह नहीं होता है कि रिटायर होने के बाद बिचौलियों के साथ बैठता हो। आपके पास वे सब नाम हैं, आपके इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं, हमें भी पता चलता रहता है। आपने कहा कि सीबीआई जांच करेगी, वह क्या जांच करेगी। आपको संविधान ने ताकत दी है, पुलिस आपके साथ है, सब तरह की ताकत है, तो क्यों नहीं नाम सामने आते, जिन्होंने दलाली खाई है। सीधा सा सवाल है, कि उस बिचौलिए को पकड़ो, किस-किसको पैसा मिला है, उन्हें पकड़ कर अंदर करेंगे तो अन्य के लिए दहशत होगी और बिचौलियों का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए जो मौज-मस्ती में हैं, उन्हें अंदर करो। यही मेरी विनती है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विजय बहादुर सिंह, आपने शून्य काल में बोलने के लिए दो नोटिस दिए हैं। आप नियमों के अनुसार सिर्फ एक विषय पर ही बोल सकते हैं और आपसे निवेदन है कि आपस में उन्हें न जोड़ें।

श्री विजय बहादुर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक ही विषय झांसी वाले पर अपनी बात कहूंगा। अंग्रेजों ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमता अभी भी समझ में आती है। उन्होंने उत्तर भारत के झांसी को फौज का केन्द्र बनाया और रेलवे का भी केन्द्र बनाया। झांसी मिडल में है, अभी भी आर्मर कोर की सबसे बड़ी ट्रेनिंग ग्राउंड, तोप दागने की ग्राउंड झांसी में ही है। रेलवे लाइन भी उस जमाने से अभी तक उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने में झांसी केन्द्र बिंदु है। हमारा कहना यह है कि अभी सबसे बड़ी समस्या यह चल रही है कि दिल्ली और उसके आसपास कोई सेटेलाइट एयरपोर्ट नहीं है। सर्वेक्षण में झांसी का भी नाम आया था। यहां पर पर्याप्त मात्रा में जमीन है, जंगल है, मैदान है, वहां से 15-20 मिनट में प्लेन से यहां पहुंचा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं एयरपोर्ट वाले विषय पर बोल रहा हूं। मैं संसद में हूं, विधान सभा में नहीं कि रेल की बात करूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: विजय बहादुर सिंह जी के अलावा किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं फार्मूला रेल पर आ रहा हूं। झांसी में हवाई अड्डा खोलने की कार्यवाही शुरू की जाए। इससे दो फायदे होंगे। अगर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोई खतरा होता है तो आपके पास विकल्प रहेगा। सेटेलाइट एयरपोर्ट आजकल काफी जरूरत है, इस तरह की बात भी हो रही है। ऐसा न हो कि जब पानी बरसने लगे, तब आप छाता खरीदें। पानी बरसने वाला है, चाहे चीन से हो या उधर से हो।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको कैसे पता चल गया?

श्री विजय बहादुर सिंह : जब बादल आते हैं तो पानी बरसेगा, यह पता चल ही जाता है। अभी शरद यादव जी ने भी बताया था। मैं कोई लुंज-पुंज वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि झांसी से बढ़िया जगह कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि वहां पठारी, ऊसर जमीन है, खेती नहीं हो सकती। अगर वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बना देते हैं तो पूरे बुंदेलखंड का विकास होगा और वहां से पांच जिले उत्तर प्रदेश के और पांच-दस जिले बुंदेलखंड के, जो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, खजुराहो तक, वे लाभान्वित होंगे। एक बहुत बड़ा दिल्ली की सुरक्षा का कवच होगा। जिस तरह से झांसी लक्ष्मीबाई ने 1857 में लड़ाई लड़ी थी, उसका सही ट्रिब्यूट यह होगा कि यहां पर एक हवाई-अड्डा बनाया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): रानी लक्ष्मीबाई हवाई-अड्डा बनाया जाए।

श्री विजय बहादुर सिंह : नाम तो मैं अभी निर्धारित कर दूं लेकिन अभी नाम दे दें तो यह यूपीए की सरकार शायद तैयार नहीं होगी, नाम दूसरा हो जाएगा। नाम जो चाहें आप करा लें। इसलिए मैं इस नाम के बारे में ज्यादा समय न लेकर यह कहना चाहता हूं कि झांसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारम्भ किया जाए।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस देश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के दिशा-निर्देशन में शिक्षा में सुधार करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी। नवोदय विद्यालय संस्कृति की हथेली पर विज्ञान का जलता हुआ चिराग है। आज नवोदय विद्यालय में शिक्षक तथा कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाओं को भविष्य के उजाले की ओर ले जाने के लिए स्थापित किये गये थे। इसमें विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हुआ करती है, छात्रों को देश की आस्था, निष्ठा, भक्ति के प्रति प्रशिक्षित किया जाता है। ग्रामीण भारत को एक निष्ठावान भारत के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। जब शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो उसमें पेंशन की भी व्यवस्था रहती है, दूसरी सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब उन्हें नौकरी मिली तो उसमें

---

* Not recorded.

पेंशन की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पूरे देश में शिक्षक और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हजारों-लाखों छात्र जो ग्रामीण जीवन की धारा से जन्म लेकर अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए आये हैं, आज महीनों से उनका विद्यालय बंद है। मांगे कुछ नहीं हैं, जो मांगे नियुक्ति में हैं, उन्हीं मांगों को पूरा करना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर वह क्या करना चाहता है। जिस देश ने, जिस व्यवस्था ने और पूर्व प्रधान मंत्री ने काफी मंथन करने के बाद इस विद्यालय को जन्म दिया था, उनकी मानसिक वेदना से यह विद्यालय उपस्थित हुआ था आज वह विद्यालय हड़ताल पर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस हड़ताल को समाप्त करवाने की कोशिश की जाए और उनकी जो डिमांड हैं, जो नियुक्ति में आपने उन्हें सुविधाएं दे रखीं हैं, उन्हें पूरा किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनोहर तिरकी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान, श्री रवनीत सिंह, श्री हरिभाऊ जावले तथा श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी जी को डॉ भोला सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the issue of fishermen.

Sir, in Tamil Nadu, almost everyday 'attack on fishermen' forms the headline news in all newspapers and TV channels. This is not the first or second incident. It has been happening since 1983. My party's leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, had written several letters to our hon. Prime Minister and also hon. Minister for External Affairs. The former Members of Parliament of my constituency had also represented several times in this august House regarding this issue. After I became Member of Parliament, I have also represented several times in this august House regarding this issue, but till now there is no remedy at all.

Sir, whenever our fishermen go for fishing, the Sri Lankan Navy personnel are beating them brutally, breaking their boats, tearing their nets, taking away the fish caught by them, torturing and harassing them against the natural principles of law.

On November 28, 2011, five fishermen were arrested by Sri Lankan Navy and the Sri Lankan Government charged them for the offence of drug smuggling. They are the fishermen and they do not know anything except fishing. Why has the Sri Lankan Government filed such cases against our fishermen? What is the inner motive behind that? On November 10, 2012, violence erupted in the Sri Lanka's biggest prison, where our arrested fishermen are also kept, and 27 prisoners were killed. It was the good luck of our fishermen that they are safe. Had anything happened to our fishermen, who would have been held responsible?

The families and relatives of the affected fishermen came to my residence and asked for the remedial action taken by the Government. I could not answer their question. It may be a small issue to our Government, but it is a very big issue to my constituency.

The Sri Lankan Government did not get any evidence against them for the alleged crime. So, recently the relatives of those fishermen went to meet them in jail at Colombo. The arrested fishermen told them that the Sri Lankan Government was threatening them to accept the crime and saying to the prisoners 'only if you accept the crime, we will release you. Otherwise, we will never release you.'

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not go into details and be brief.

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH : Sir, I shall finish in one minute.

The Sri Lankan Government is threatening them that otherwise they would never release those fishermen. The Sri Lankan Government is torturing them like this. So, I would now urge upon the Government to take action to get those five fishermen released on a war-footing basis.

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के कई भागों में करीब 40 सालों में सबसे ज्यादा भयावह अकाल पड़ने की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मेरा संसदीय क्षेत्र रावेर जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां ओलावृष्टि के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में चालीस साल बाद सबसे बड़ा भयावह अकाल पड़ा है। एक तरफ पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ जहां अच्छी फसल हुई है वहां दस-बारह दिन पहले ओलावृष्टि के कारण 200-250 करोड़ रुपए केले की फसल का नुकसान हुआ है। हार्टीकल्चर, जिसमें फ्रूट आता है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्राप इंश्योरेंस स्कीम वर्ष 2012 में चलाई है। हमारे सात हजार किसानों ने पांच करोड़ रुपए प्रीमियम दिया है। इंश्योरेंस स्कीम के कुछ नार्मस हैं, उनमें तीन महीने कम टेम्पेचर के लिए हैं और बाकी चार महीने तेज हवा के लिए हैं। इंश्योरेंस कम्पनी कहती है कि यह जो ओलावृष्टि है, वह नार्मस में नहीं आती है। किसानों ने जो पांच-छह करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया है, अगर उनके नुकसान की भरपाई नहीं होगी, तो फसल बीमा कराने का क्या फायदा है? राज्य सरकार भी नहीं देती है और केंद्र सरकार भी नहीं देती है। पूरे देश में जहां से भी 'बनाना' फल आता है, वहां किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई है। किसान बर्बादी की ओर जा रहे हैं। कुछ किसान आत्महत्या करेंगे, ऐसा लगता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि वहां अच्छे अधिकारी भेजिए और अनुमान लगाया जाए। वहां सर्वे कराएं और नुकसान की भरपाई करने की तजवीज़ करें। क्रॉप इंश्योरेंस लोन में इंश्योरेंस के नार्म्स बदलने चाहिए। पूरे साल में अगर 'बनाना' की क्रॉप डेढ़ साल है तो डेढ़ साल के लिए नार्म्स होने चाहिए। अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है तो नुकसान की भरपाई होनी चाहिए।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अति लोक महत्व मुद्दे पर अपनी बात कहना चाहता हूं। पूरे देश में ट्रेड यूनियन के श्रमिकों ने 20 और 21 फरवरी को विगत पिछले दो दिन हड़ताल की और हड़ताल सफल भी रही। सभी सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि जब भारत बंद रहता है तो कई घटनाएं होती हैं लेकिन हिंसक घटनाएं नहीं होती हैं। इस बार आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि इस बार बंद से करीब 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इतने बड़े पैसे का नुकसान हुआ है जबकि इस पैसे से देश का बहुत बड़ा विकास हो सकता था। मुझे कोई गुरेज़ नहीं है और मैं केंद्र सरकार पर आरोप लगाता हूं। इसी सदन में समय-समय पर श्रमिकों की समस्याएं बराबर रखी जाती रही हैं लेकिन सरकार ने हठधर्मिता के कारण श्रमिकों की समस्याओं को सीरियली नहीं लिया, उनकी बातों को नहीं सुना।

जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तब जाकर मजबूर होकर ऐसी ही स्थिति आती है। भारत बंद एक दिन होता है लेकिन यही कारण है कि हड़ताल दो दिन रही और सफल रही। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिकों की मांगे वाजिब और जायज थी। ट्रेड यूनियन के नेताओं ने बराबर केंद्र सरकार से कहा कि हमसे वार्ता कर लें, हमारी मांगें मान लें। लेकिन जब केंद्र सरकार ने बात नहीं मानी और सरकार की हठधर्मिता के कारण मजबूर होकर हड़ताल हुई।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। गाजियाबाद में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी का क्षेत्र है। इलाहाबाद से आते हुए मुगलसराय से दिल्ली की लाइन पर तमाम फैक्ट्रियां दिखाई देती हैं। राजेन्द्र जी यहां बैठे हैं, वे मेरठ से सांसद हैं। ओखला तक जितनी भी फैक्ट्रियां थीं वहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। यहां तक कि महिलाकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें बीएसपी सरकार के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि थे, जिनकी जांच चल रही है, उनके नाम उजागर होंगे। जांच में चाहे कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, जेल जाएंगे। आपने आगरा में कुछ माह पूर्व देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक सम्मेलन किया था जिसमें 40 देशों के निवेशक, यानि उद्योगपति आए थे जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते थे। उस माहौल को सुनियोजित तरीके से बिगाड़ा गया है, यह साजिश है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह स्टेट से संबंधित है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसे गंभीरता से ले। भारत बंद कई बार हुआ है, हड़तालें बहुत बार हुई हैं, लेकिन इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं हुई हैं। इसे केवल राज्य का मैटर समझकर न छोड़ा जाए, बल्कि आप अपनी तरफ से एक दल भेजिये और मैं चाहूंगा कि एक सर्वदलीय दल में यहां से नेता लोग जाएं और वहां जाकर देखें कि किसकी गलती थी और किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है।

उपाध्यक्ष जी, आपने टीवी पर देखा होगा कि बड़े पैमाने पर अच्छी-अच्छी गाड़ियां, जो करोड़ों रुपये की गाड़ियां हैं, उनमें आग लगाई गई। यह बहुत शर्मनाक घटना घटी है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति इस देश और प्रदेश में कहीं भी न हो। अगर श्रमिकों की जायज मांगें थीं तो केन्द्र सरकार को उन्हें मानना चाहिए। आप इसकी जांच करा लीजिए, जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वे कोई भी हों, अगर हम या हमारे दल के लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार अपनी तरफ से एक दल भेजकर इसका सर्वे कराये और जो भी नुकसान हुआ है, उसका

भुगतान करे और जिन लोगों ने गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI NRIPENDRA NATH ROY (COOCH BEHAR) : Respected Deputy Speaker Sir, thank you for allowing me to raise a matter of public importance in this House. Through you Sir, I would like to draw the attention of Hon. Prime Minister of India. My constituency is Cooch Behar and my neighbouring district is Jalpaiguri. In both these districts, the issue of enclaves has been a burning problem for the last 65 years. Enclaves are the lands involving Bangladesh and India. 111 enclaves of India fall within the boundaries of Bangladesh while 51 enclaves of Bangladesh lie within Indian territory. The people who reside in these enclaves are deprived of all kinds of facilities. They have no educational opportunities or health care facilities. Law and order situation is grim. Daily they are harassed and tortured by the security forces manning the borders on both sides. Sir, in the morning, we were discussing about the Hyderabad incident. Since law and order is not in place in the enclaves, it becomes easy for the terrorists or criminals to commit crimes in Bangladesh and immediately thereafter, take refuge in Indian enclaves. Similarly, the criminals of India take shelter in Bangadeshi enclaves after undertaking terrorist strikes. The situation in Jalpaiguri and Cooch Behar are grave. Law and order has gone for a toss. Thus through you, I urge upon the Government and Hon. Prime Minister to hold talks with Bangladesh as early as possibly to resolve this enclave issue effectively. This is really a burning problem which needs to be addressed immediately and basic human rights should be restored along with the rule of law. Once again I thank you for giving me the opportunity to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिये।

---

* English Translation of the speech is originally delivered in Bangla

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : यह बहुत बड़ी समस्या है। वहां कानून का शासन नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्री जी बंगलादेश के साथ बातचीत करके जल्दी से जल्दी इनक्लेव लैंड समस्या को समाप्त करें और इनक्लेव लैंड के लोगों को कानून की शासन व्यवस्था मिले, उन्हें सजग citizen ह्यूमैनिटी मिले, यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बतायें कि सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस मुद्दे से अपने आपको एसोसिएट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप एसोसिएट कर सकते हैं।

श्री मनोहर तिरकी : मैं अपने आपको इस मुद्दे से एसोसिएट करता हूं।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बिजली देश की जीवन रेखा है। इसका फेल होना नुकसान तो पहुंचाता है, साथ ही भारी पीड़ादायक और देश के लिए अपमानजनक भी है। हमने निर्धारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य आधा ही हासिल किया है। बिजली की मांग कितनी है, इस महत्वपूर्ण तथ्य का आकलन करने पर जानकारी मिलती है कि उद्योग विभाग में 35 प्रतिशत की मांग है, कृषि में 28 प्रतिशत की मांग है, 28 प्रतिशत की मांग घरेलू उपयोग के लिए है और नौ प्रतिशत व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होती है। हर बार बिजली का बढ़ता उत्पादन उन लोगों के काम आता है, जो इसे खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र पिछड़ जाता है और गैर उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा ताकतवर राज्यों द्वारा अपने कोटे से ज्यादा बिजली खींची जाती है। इसी वजह से पावरग्रिड फेल हो जाता है और देश की छवि को गहरा धक्का लगता है। वास्तविक बिजली उत्पादन की प्राकृतिक सीमाएं हैं, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता, इस तथ्य को ध्यान में रखकर हर राज्य को जितना कोटा दिया जाता है, वह उतनी ही बिजली निकालें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उन राज्यों को ज्यादा बिजली की आवश्यकता हो तो सौर ऊर्जा सहित सारी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाने चाहिए। महाराष्ट्र में परली के सभी ऊर्जा संयंत्र पानी न होने के कारण बंद पड़े हैं। अकाल की परिस्थिति गंभीर बनी हुई है। बच्चों की परीक्षा के दिन होने के नाते बिजली की बहुत ही आवश्यकता है। पॉवर ग्रिड से महाराष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा बिजली दें और मेरा चुनाव क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वे ज्यादा से ज्यादा बिजली दें।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) के सहयोग से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है "पोषण" अंग्रेजी में इसका नाम है "न्यूट्रिशन"। यह पुस्तक मेरे पास है, मैं साथ लाया हूँ। भोजन के संबंध में शिक्षित करने के लिए इस पुस्तक को मंत्रालय तथा उक्त संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर के जनता में बंटवाया जाता है तथा जनता को संतुलित भोजन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस पुस्तक में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के स्त्रोत एवं कार्य शीर्षक के अंतर्गत पृष्ठ छह पर अंकित सूची में क्रमांक दस पर बताया गया है कि शरीर के पोषण में ऑक्सीजन संचरण व खून बनाने के लिए लोहा आवश्यक है तथा इस महत्वपूर्ण पोशक तत्व का स्त्रोत बताते हुए यह जानकारी दी गई है कि इसका स्त्रोत गोमांस है।

महोदय, संविधान में "राज्य की नीति के निर्देशक तत्व" नामक अध्याय के अनुच्छेद 48 के अनुसार गोवंश का संरक्षण किया जाना शासन की जिम्मेदारी है। गाय परंपरा से इस देश के बहुसंख्यक विशेषकर हिंदू, सिख एवं जैन समाज की आस्था का केंद्र है। भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था का गोवंश आधार रहा है। गाय इस देश का मानबिंदु है। अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तक में ऐसी गाय का मांस खाने की सलाह देना अत्यंत आहत करने वाला, इस देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने वाला तथा सामाजिक ताने-बाने को विच्छिन्न करने वाला है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस पुस्तक को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान के अधिकारियों को दंडित किया जाए तथा संबंधित सभी पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राकेश सिंह, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण स्वयं को श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी के विषय के साथ संबंद्ध करते हैं।

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Thank you very much Sir.

Mr. Deputy Speaker Sir, thank you for allowing me to raise this very important issue concerning the crores of people in Karnataka. Actually, grave injustice has been done to the State of Karnataka, the people of Bengaluru, the farmers of the Southern Karnataka in Cauvery river water dispute.

Recently, on 20th February, 2013, the Government of India has notified the final award of the Cauvery Water Disputes Tribunal which is against the interests of the state of Karnataka. I am using this opportunity to oppose this, to condemn this Notification. We always felt that the Government of India should have come to the assistance of people of Karnataka because the final award is not equitable. He has not provided any justice to the State of Karnataka.

I want to give it very briefly to the consideration of this august House. The entire basin area in square kilometres in Karnataka is 34,273 which is 42 per cent and in Tamil Nadu, it is 44,016 kilometres which is 54 per cent. The share for each State as per Cauvery Tribunal final award is 270 tmc feet of water for Karnataka which is only 37 per cent and 419 tmc feet of water which is 59 per cent to the State of Tamil Nadu. There has been series of injustice done to the State of Karnataka. We were pleading the Tribunal that we should be given 465 tmc feet of water but only 270 tmc feet of water has been given. There is nearly 47 tmc feet of ground water available in Tamil Nadu area. But that has not been accounted by the Tribunal while sharing the river water.

Thirdly, regarding the need of Bengaluru, you know that Bengaluru is one of the fastest growing cities of the country in Asia. We have more than one crore population. We require nearly 20 tmc feet of water whereas the Tribunal has not taken this into account. The Tribunal has taken only one-third of the Bengaluru population for the purpose of accounting the water requirements of Bengaluru. I also want to apprise the House that unallocated quantity of 48 tmc of water has been erroneously reallocated on population basis. It has drastically reduced the

availability of crop water and adversely affected the ongoing projects in the State of Karnataka.

The most important development to be brought to your kind notice is that the Tribunal has over-estimated the crop water requirement of Tamil Nadu based on the self-serving affidavits of Tamil Nadu and overlooking the objections of Karnataka. Finally, the final order of the Tribunal has not been directed for constitution of the Cauvery Management Board. The Tribunal, realising the fact that the constitution of a Board or Authority under section 6A of the Act of 1956 is the sole prerogative of the Central Government and also having regard to the fact that the regulation will have to be approved by the Parliament under section 6A (vii) of the Inter-State River Water Disputes Act of 1956. Therefore, our demand is that they have already notified section 6(1). Our hon. Minister Namo Narain Meenaji is here. Regarding section 6(1), the Central Government should assure this House that they will file an appeal to the Supreme Court on behalf of the Government of India. There are civil appeals from the State of Karnataka, civil appeals from the State of Tamil Nadu, civil appeals from the States of Puducherry and Kerala are pending. When the civil appeals are pending, I do not understand how the final award has been notified under section 6(1). Therefore, I would urge through you that the Government of India should intervene and should take the legal assistance and say that this decision of the Supreme Court should be reviewed.

There is another section, section 6A of the Inter-State River Water Disputes Act. Under section 6A, they can decide about the sharing of the water and the release of the water. They can come out with a scheme and to monitor that scheme, they can have a Management Board. We are totally opposed to this constitution of the Management Board. About 20 years back, there has been a final award of the Tribunal about the Ravi-Beas Award. But till today, it has not been notified. The State Government of Punjab has gone on a writ petition. Therefore, Ravi-Beas Award has been pending for notification for twenty years. In the case of Karnataka,

we got the final Award in 2007 and in 2013 under the pressure of the Government of Tamil Nadu, under the political pressure, the Central Government has buckled and allowed the notification. We condemn that. We would urge and demand the Union Government of India that they should not notify section 6A. If they notify section 6A, it will be a great injustice to the State of Karnataka. Already the farmers, the people of Karnataka and the State of Karnataka are in agitation. Therefore, I want an assurance, through you, from the hon. Minister that they will assure the people of Karnataka that they will not notify section 6A of Inter-State Water Disputes Act regarding the final Award of the Cauvery Tribunal.

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): महोदय, देश के बीस प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जंगल के इलाके में रहते हैं। जंगल का जो उत्पादन है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि तेंदू पत्ता, महुवा फ्लॉवर, बम्बू और सौ से ज्यादा ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिनका सदियों से ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम था, इसे देखते हुए भारत सरकार वर्ष 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लायी। उसमें वहाँ के आदिवासियों को अधिकार दिया गया है और राज्यों की सरकार द्वारा उस माइनर फॉरैस्ट प्रोडक्ट को कलैक्ट करके सेल करके अपना जीविकोपार्जन करने का अधिकार दिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2006 फॉरैस्ट राइट एक्ट के बाद भी आज तक देश के प्रायः सभी राज्यों में यह अधिकार वहाँ के आदिवासियों को नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और आपके ज़रिये भारत सरकार से निवेदन है कि हर राज्य को दिशा निर्देश दिए जाएँ। खास तौर से बैम्बू और तेन्दु पत्ता को लोगों द्वारा संग्रह करने और ग्राम सभा को परमिट देने से वे लोग इसको कलैक्ट करेंगे और सेल करेंगे। दूसरी बात है कि महुआ का जो फूल है, उस पर हर राज्य में एक्साइज़ डिपार्टमैंट ने कब्ज़ा करके रखा है, वह अपनी आमदनी करता है। उसको फ्री करना चाहिए और फॉरैस्ट राइट्स के तहत उनको अधिकार मिलना चाहिए। तेन्दु पत्ता में काफी राज्यों में काफी इनकम होती है लेकिन उस इनकम का पैसा उन पर खर्च नहीं होता है। इसलिए जितनी भी इनकम होती है, उस पर पूरा का पूरा अधिकार वहाँ के आदिवासियों और वहाँ के लोगों का है ताकि वे उससे अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

मेरा आपसे अनुरोध है कि फॉरैस्ट राइट एक्ट में जो इनडिविजुअल राइट और कम्युनिटी राइट दिया गया है, इन दोनों चीज़ों को अगर ठीक से लागू किया जाए तो माइनर फॉरैस्ट प्रोडक्ट के अलावा जो मिनिरल डिपॉज़िट भी हैं, उन पर भी वहाँ के आदिवासियों का हक होता है। इसलिए जितने पैसे का

व्यवसाय राज्य सरकारों ने 2006 के बाद किया है, उसको वहाँ के आदिवासियों के विकास के लिए खर्च करने की मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूँ।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार को इसकी उचित व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूँ। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में बी.एस.एन.एल. की सेवा बहुत गड़बड़ है। वहाँ कोई टेलीफोन सेवा ठीक ढंग से काम नहीं करती है। मोबाइल फोन हफ़्ता-हफ़्ता बंद रहते हैं। लैन्डलाइन जब खराब हो जाते हैं तो महीना भर खराब रहते हैं। जब वहाँ शिकायत करते हैं तो ठीक करने वाला कोई नहीं होता है लेकिन उसका बिल ठीक समय पर हाज़िर हो जाता है। मोबाइल टावर से सिगनल हफ्ता भर, महीने भर नहीं रहते लेकिन शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों का क्षेत्र पहाड़ी है और सीमांत क्षेत्र है। इसकी सीमा से लगा हुआ भूटान है, एक तरफ बंग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है और हमारा असम भी साथ लगा हुआ है। वहाँ जो सुरक्षा में तैनात लोग हैं बी.एस.एफ. वगैरह के, वे हमसे शिकायत करते हैं कि आप दिल्ली में यह मामला क्यों नहीं उठाते हैं। इस कारण वे लोग भी अपने संबंधियों से बात नहीं कर पाते हैं। बी.एस.एन.एल. का काम एक लाभकारी संस्था के हिसाब से बनाया गया है, इसलिए उसको ठीक से काम करना चाहिए, पैसा ठीक से लेना चाहिए। अभी लोग इनके टेलीफोन हटा रहे हैं, लैन्डलाइन वापस कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। हमें बड़ा अफसोस लगता है कि हमें अपने इलाके में तीन-चार फोन रखने पड़ते हैं। जहाँ बी.एस.एन.एल. है, वहाँ एयरटैल नहीं मिलता है, एयरटैल होगा तो बी.एस.एन.एल. नहीं मिलता है। यह बी.एस.एन.एल. पूरे भारत में सेवा देती है, इसलिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि हम देश में कहीं भी उसकी सेवाओं का प्रयोग ठीक से कर सकें। यह उनकी मिलीभगत है कि जहाँ एयरटैल है वहाँ बी.एस.एन.एल. नहीं चलेगा, बी.एस.एन.एल. है तो वोडाफोन नहीं चलेगा, इसलिए आदमी को चार-पाँच फोन रखने पड़ते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए बी.एस.एन.एल. की सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि सारे भारत में कहीं भी इसका उपयोग अच्छे से हो सके, इसका मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ। रिपेयरिंग और मरम्मत की सेवाएँ ठीक से मिलें, इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गुजरात राज्य स्थित नर्मदा बाँध की ऊँचाई बढ़ाने जैसे अति लोक महत्व के मुद्दे को उठाने की इजाज़त प्रदान की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, आप जानते हैं कि गुजरात राज्य बार-बार सूखे से प्रभावित होता रहता है। इसके कारण कई क्षेत्रों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। इस समस्या के निवारण हेतु हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने नर्मदा नदी पर बाँध बनाने हेतु पहला पत्थर 45 साल पहले रखा था। लेकिन इतने साल बाद भी सरदार सरोवर योजना पूर्ण नहीं हुई है, जो हमारे लिए जीवन-रेखा है। नर्मदा बांध की ऊंचाई पूर्ण न होने के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। बांध की अंतिम ऊंचाई की सीमा जो कि 138.68 मीटर तय की गई है, जिसे अभी भी बढ़ाया जाना बाकी है, वर्ष 2006 में 121.92 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाने की अनुमति मिली थी तथा अभी भी 17 मीटर की अनुमति मिलना शेष है।

महोदय, नर्मदा बांध की ऊंचाई पूर्ण होने से देश को बहुत लाभ होगा। जैसे कि बांध की जल संरक्षण क्षमता 46.8 लाख एकड़ फीट तक बढ़ जाएगी जो वर्तमान जल संग्रह क्षमता से तीन गुना ज्यादा होगी और इससे 6.8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की सिंचाई की सुविधा होगी तथा साथ में चालीस प्रतिशत अधिक विद्युत उत्पादन भी होगा और इससे बिजली की कमी से गुजर रहे देश को काफी लाभ मिलेगा। इससे पेयजल की कमी को भी दूर किया जा सकेगा तथा अकाल के समय भी लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 अप्रैल में इन्वायरमेंटल सब-ग्रुप आफ एनसीए की मीटिंग में बांध की ऊंचाई बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। हालांकि इस संदर्भ में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टरी भारत सरकार के सब-ग्रुप की अनुमति मिलना शेष है, जिसके तहत बांध की अधिकतम ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति मिल सकती है। जहां तक पुनर्वास व्यवस्था का सवाल है, इस संबंध में गुजरात और मध्यप्रदेश सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया है। इन राज्य सरकारों ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सब्मिट कर दी है तथा ग्रीवेंस रिड्रसल एथोरिटी के साथ परामर्श करके अपनी रिपोर्ट भी दे दी है तथा नर्मदा बांध के अंतिम काम को पूर्ण कराने की मांग की है।

महोदय, भारत सरकार ने भी अपनी आर एंड आर, पीएफ तथापि एक्शन टेकन रिपोर्ट ग्रीवेंस रिड्रसल एथोरिटी को प्रस्तुत कर दी है। जीआरए के साथ परामर्श प्रक्रिया का पूर्ण होना अभी शेष है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह जल्दी से जीआरए महाराष्ट्र की परामर्श रिपोर्ट मंगाकर तथा आर एंड आर सब ग्रुप आफ एनसीए की बैठक बुलाकर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने की बात हो रही है। किसान अपने खेत में बहुत मेहनत करता है, तब जाकर वह अन्नदाता कहलाता है। जब वह बीज बोता है, तो वह भविष्य के सपने देखने शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कोई

प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके सपने बिखर जाते हैं। ऐसी ही स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हुई है। पिछले दिनों 16 फरवरी को मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर के साथ मध्यप्रदेश के लगभग 35 जिलों में भीषण ओलावृष्टि हुई है। एक ही दिन में लगभग तीन बार ओले गिरे, भीषण आंधी चली, कई पेड़ तथा मकान गिर गए। बिजली के खंभे उखड़ कर दूसरी जगह गिर गए, इतनी भीषण आंधी वहां चली थी। पूरे प्रदेश में 35 जिलों में लगभग 106 तहसीलें इस भीषण ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं। 3688 गांव इससे प्रभावित हुए हैं और जो प्रारम्भिक आकलन हुआ है, उसके अनुसार लगभग 868 करोड़ रुपयों का नुकसान मध्यप्रदेश में हुआ है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र का अभी-अभी दौरा किया है, लगभग 35 गांवों में मैं स्वयं गया था। ग्रामीण क्षेत्र की चारों विधान सभाओं में लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है और दो सौ गांवों में इसका असर है। महोदय, सौ-सौ ग्राम के ओले वहां गिरे थे। गेहूं, चना, मटर, मसूर जैसी सभी फसलें वहां चौपट हो चुकी हैं। शहपुरा, पाटन, बरगी, मझोली, पनागर, सिहोरा जैसे अनेकों क्षेत्र इससे प्रभावित हैं। लगभग जबलपुर में ही 35200 हेक्टेयर का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। फसलों का नुकसान 50 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक अलग-अलग फसलों के आधार पर उसका आकलन हुआ है। 50 हजार खातेदार सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं। जबलपुर में लगभग 150 से 200 करोड़ रुपयों के नुकसान का आकलन हुआ है। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि किसानों को राहत पहुंचे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदेश के अपने सीमित संसाधन होते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं क्योंकि किसानों में आज भीषण निराशा है, पहले से ही वे महंगाई से त्रस्त हैं, ऊपर से प्राकृतिक आपदा की मार ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि संकट के समय में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सहायता प्रदान करे। इसके साथ जो कृषि ऋण है, क्योंकि आज किसान ऐसी स्थिति में आ कर खड़ा है कि वह अपना कर्जा भी नहीं चुका सकता है क्योंकि उसकी फसल चौपट हो चुकी है, उन कृषि ऋण को माफ करने में केंद्र सरकार आगे बढ़ कर राहत पहुंचाए और मध्य प्रदेश को अतिरिक्त सहायता प्रदान करे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रेलवे के जो डिवीजन हैं और रेलवे के जो ज़ोन हैं, उनको रि-ऑरगेनाइज करने की अब जरूरत है। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे बीकानेर डिवीजन का हेडक्वार्टर बीकानेर ही है। इसके पांच किलो मीटर बाद जोधपुर शुरू हो जाता है। अगर किसी डिवीजन में, जैसे मेरे डिवीजन के पांच किलो मीटर बाद रेलवे के किसी डिवीजन में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आग लग गयी

तो इसके लिए स्टाफ जोधपुर से आता है, जो वहां से 240 किलो मीटर दूर है। ऐसा देश में और जगह भी है।

मैंने एक प्रश्न के माध्यम से रेलवे से जब प्रश्न किया तो रेलवे ने कहा कि हमारे यहां रि-ऑरगेनाइजेशन करने का अभी कोई विचार नहीं है। जब मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट के सीट का लिमिटेशन, डी-लिमिटेशन हो सकता है, उनके क्षेत्र बदल सकते हैं या उनके क्षेत्रों का पुनर्निधारण हो सकता है तो रेलवे के डिवीजन, जहां डी.आर.एम. बैठता है और ज़ोन, जहां जी.एम. बैठता है, उनका रि-ऑरगेनाइजेशन क्यों नहीं हो सकता?

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री से मांग करता हूं कि रेलवे के डिवीजन और ज़ोन को रि-ऑरगेनाइज करे और उसको ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जिसका जहां हेडक्वार्टर है, उसके आस-पास का एरिया उस ज़ोन में या उस डिवीजन में आना चाहिए।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.00 a.m. on Tuesday, February 26, 2013.

18.57 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Tuesday, February 26, 2013/Phalguna 7, 1934 (Saka).